लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ५६, १९६१ / १८८३ (शक)

[७ से १९ अगस्त १९६१ / १६ से २८ श्रावण १८८३ (शक)]

2nd Lok Sabha

चौदहवां सत्र, १९६१ / १८८३ (शक)

(खण्ड ५६ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खण्ड ५६–अंक १ से १०—७ से १६ अगस्त १९६१/१६ से २८ श्रावण १८८३ (शक)]

अंक १ सोमवार, ७ अगस्त, १९६१/१६ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ३, ८३, ४ से ९ और ४५ . . २—२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १० से ४४, ४६ से ८२ और ८४ . . २६—६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ७०, ७२ से १४० और १४२ . ६२—११९

निधन संबंधी उल्लेख ११९

तारांकित प्रश्न संख्या ४४ और ४५ के बारे में . १२०

स्थगन प्रस्ताव

(१) आसाम में पाकिस्तानियों का कथित अनधिकृत प्रवेश १२०—२२

(२) पानशेत में मिट्टी के बाध का टूट जाना . . १२२—२३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
बाढ़ की स्थिति . . १२३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . १२४—३१

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . १३२

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति का प्रतिवेदन और साक्ष्य . १३२

सदस्यों का त्याग पत्र . . . १३३

प्रत्यर्पण विधेयक—पुरःस्थापित . . १३३

शब्दों को निकालने के बारे में १३३

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . १३४—६२

कार्य मंत्रणा समिति—

चौसठवां प्रतिवेदन १६३

दैनिक संक्षेपिका १६४—८०

विषय	पृष्ठ
अंक २—मंगलवार, ८ अगस्त १,९६१/ १७ श्रावण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८५ से ९४ और ११६ . . .	१८१—२०४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९५ से ११५ और ११७ से १५९ . .	२०४—३८
अतारांकित प्रश्न संख्या १४३ से २४०, २४२ से ३३७, ३३९ और ३४१ ,से ३४३	२३८—३३१
अतारांकित प्रश्न संख्या १६३३ के उत्तर में शुद्धि . .	३३१
अतारांकित प्रश्न संख्या ३०७६ के उत्तर में शुद्धि . . .	३३१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३३१—३४
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौसठवां प्रतिवेदन	३३४
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	३३४—७९
दैनिक संक्षेपिका	३८०—९१
अंक ३—बुधवार, ९ अगस्त १९६१/१८ श्रावण १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १६० से १७० . .	३९३—४१३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७१ से २८५ . . .	४१३—७३
अतारांकित प्रश्न संख्या ३४४ से ४२०, ४२२ से ५३१, ५३३ से ५४० और ५४२ से ५६३ .	४७३—५५९
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	५५९—६५
चीनी की स्थिति तथा निर्यात पर नोट के बारे में . .	५६५
ग़ैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पच्चासीवां प्रतिवेदन	५६५
विदेशी मुद्रा स्थिति के बारे में वक्तव्य तथा विदेशी सहायता संबंधी विज्ञप्ति .	५६६
तारांकित प्रश्न संख्या १५७८ के उत्तर में शुद्धि	५६६
समितियों के लिये निर्वाचन	५६६–६७
(१) राष्ट्रीय सेना छात्र दल की केन्द्रीय सलाहकार समिति ।	
(२) केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड ।	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प .	५६७—९४

पृष्ठ

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . . ५९४–६१३

खंड २ से २४ . ६१०–११

पारित करने का प्रस्ताव ६११–१३

चीनी के उत्पादन, वितरण, निर्यात और मूल्य-निर्धारण के बारे में चर्चा . ६१३–१९

दैनिक संक्षेपिका ६२०–३८

अंक ४--गुरुवार, १० अगस्त, १९६१/१९ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २८६ से २८९, ३३१, ३४३ और २९० से २९५ ६३९–६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २९६ से ३३०, ३३२ से ३४२ और ३४४ से ३७० . ६६३–९८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६४ से ५९० और ५९३ से ६९६ ६९८–७५४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ७५४–५५

आयकर विधेयक--

प्रवर समिति का प्रतिवेदन तथा साक्ष्य ७५५

विधेयक पुरःस्थापित--

(१) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक . ७५६

(२) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . ७५६

संघ राज्य क्षेत्र (स्टाम्प और कोर्ट फीस विधियां) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . . . ७५६–५८

खण्ड २ से ६ तथा १ . . ७५८–५९

पारित करने का प्रस्ताव ७५९

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक--

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ७५८–६७

खण्ड २, ३, ४ तथा १ . . . ७६८–६९

नमक उपकर (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव ७६९–७७

खण्ड २, ३, ४ तथा १ . . . . . ७७७

पारित करने का प्रस्ताव ७७७

प्रसूति लाभ विधेयक--

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव. . ७७७–८५

विषय सूची

	पृष्ठ
चीनी के उत्पादन, वितरण, निर्यात और मूल्य निर्धारण के बारे में चर्चा .	७८५–९४
दैनिक संक्षेपिका	७९५–८०४
अंक ५—शुक्रवार, ११ अगस्त, १९६१/२० श्रावण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३७१ से ३७६, ३८२, ३७७ से ३८१, ३८३ से ३८६, ३८८, ३९० और ३९१	८०५–३२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३८७, ३८९ और ३९२ से ४२९ .	८३३–५१
अतारांकित प्रश्न संख्या ६९८ से ८८४, ८८६ से ८९५ .	८५१–९३६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
यान में जगह देने में इंडियन एयरलाइन्स की विफलता .	९३७–३८
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	९३९–४२
प्राक्कलन समिति—	
कार्यवाही सारांश .	९४२
सिख गुरुद्वारा विधेयक—	९४२
राय	
विशेषाधिकार समिति—	
तेरहवां प्रतिवेदन . .	९४२–४३
सभा का कार्य	९४३
ब्रिटेन के योरोपियन आर्थिक समूह में सम्मिलित होने के बारे में वक्तव्य .	९४३–४४
तेल की खोज के लिये प्राकृतिक गैस आयोग तथा फ्रांसीसी पैट्रोल संस्था के बीच हुए करार के बारे में वक्तव्य . .	९४४
संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	९४५
दादरा और नगर हवेली विधेयक—पुरःस्थापित . .	९४५
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव .	९४५–७८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पच्चासीवां प्रतिवेदन	९७८
व्यक्तिगत आय के बारे में संकल्प	९७९–८६
सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पुनः सेवा में लगाये जाने पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में संकल्प .	९८६–९८
कार्य मंत्रणा समिति—	
पैंसठवां प्रतिवेदन . . .	९९८
दैनिक संक्षेपिका	९९९–१०१३

पृष्ठ

अंक ६—सोमवार १४ अगस्त, १९६१/२३ श्रावण १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३०, ४३१ और ४३३ से ४४२ . १०१५—३७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . १०३७–३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३२ और ४४३ से ५११ . . १०३८–७२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८९६ से ९२६, ९२८ से ९५१, ९५३ से १०९९ और ११०१ से ११०७ . . . १०७२—११६०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखापटनम् में कर्मचारियों द्वारा हड़ताल ११६०–६१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ११६१—६३

अनुदानों की अनुपूरक मांगें, (सामान्य) १९६१-६२, के बारे में विवरण . ११६३

दो सदस्यों की दोष सिद्धि और जमानत पर उनकी रिहाई . ११६३

समिति के लिये निर्वाचन—

भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर ११६३–६४

कार्य मंत्रणा समिति—

पैंसठवां प्रतिवेदन . . . ११६४

संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक, १९६१ . ११६५—८२

विचार करने का प्रस्ताव ११६५—८१

खंड २, ३ और १ . ११८१—८२

पारित करने का प्रस्ताव . ११८१–८२

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . ११८२—९३

प्रवर समिति में सौंपने का प्रस्ताव ११८२—९३

दैनिक संक्षेपिका ११९४—१२०६

अंक ७—बुधवार १६ अगस्त, १९६१/२५ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५१२ से ५१४, ५१६ से ५२३, ५२६, ५२९, ५३०, ५३३ और ५३५ . १२०७—३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५१५, ५२४, ५२५, ५२७, ५२८, ५३१, ५३२, ५३४ और ५३६ से ५६६ . . . . १२३२—५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ११०८ से १२५५, १२५७ और १२५८ . १२५२—१३१२

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव के बारे में —	
गोआ के राष्ट्रीय नेता को दी गई यंत्रणा . . .	१३१२–१३
मास्टर तारा सिंह का आमरण अनशन . . .	१३१३–१४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारतीय जूट मिल संघ द्वारा सामूहिक रूप से मिलें बन्द करना .	१३१४
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	१३१४–१५
गोरेश्वर के दंगों के प्रतिवेदन के बारे में	१३१५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छियास्सीवां प्रतिवेदन . .	१३१५
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ इकतालीसवां प्रतिवेदन	१३१६
आसाम नगरपालिका (मनीपुर संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	१३१६
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . .	१३१६—५२
दैनिक संक्षेपिका . .	१३५३—६१

अंक ८– गुरूवार, १७ अगस्त, १९६१ / २६ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६७ से ५६९, ५७१ से ५७३, ५७५, ५७६, ५७८ से ५८१, ५८३, ५८५, ६१८, ५८६, ५९०, और ५९१	१३६३–८८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५७०, ५७४, ५७७, ५८२, ५८४, ५८७ मे ५८९, ५९२ से ६१७ और ६१९ से ६२६ .	१३८८—१४०४
अतारांकित प्रश्न संख्या १२५९ से १४२४ और १४२६ से १४४२	१४०६—९०
स्थगन प्रस्ताव—	
सोनपुर में गोलीकांड .	१४९०—९२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दिल्ली में बार बार बिजली का बन्द हो जाना	१४९२—९४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१४९४
राज्य सभा से सन्देश	१४९४
सभा का कार्य	१४९४
वेतन में स्वेच्छा से कटौती (कर से विमुक्ति) विधेयक—पुरःस्थापित	१४९५
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव .	१४९५—१५०२
दादरा और नागर हवेली विधेयक	१५०२—१४

विषय	पृष्ठ
विचार करने का प्रस्ताव . . .	१५०२—१३
खंड २ से १४ तथा १ . . .	१५१४
पारित करने का प्रस्ताव .	१५१४
प्रत्यर्पण विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	१५१४—१८
दैनिक संक्षेपिका	१५१९—२९
अंक ९— शुक्रवार, १८ अगस्त, १९६१ / २७ श्रावण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६२७ से ६४१ .	१५३१—५४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६४२ से ६८०	१५५४—७०
अतारांकित प्रश्न संख्या १४४३ से १६०२	१५७०—१६३४
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	१६३४—३६
राज्य सभा से सन्देश	१६३६
राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक सभा-पटल पर रखे गये—	
(१) भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) संशोधन विधेयक	१६३६
(२) विदेशी पंचाट (मान्यता देना और लागू करना) विधेयक .	१६३६
विशेषाधिकार समिति—	
तेरहवां प्रतिवेदन	१६३७—३९
विशेषाधिकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१६३९—४१
प्रत्यर्पण विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव .	१६४२—४३
आयकर विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	१६४३—५०
गैरसरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छियासीवां प्रतिवेदन	१६५०
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (श्री महन्ती का) पुरःस्थापित	१६५०—५१
लोक प्रतिनिधित्व (अनर्हता निवारण) विधेयक (श्री खुशवक्त राय का) पुरःस्थापित	१६५१
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) (श्री नरसिंहन का) पुरःस्थापित . . .	१६५१
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन का)	१६५१

विषय	पृष्ठ
विचार करने का प्रस्ताव	१६५१—५३
सिख गुरुद्वारा विधेयक (सरदार ए० एस० सहगल का)	१६५३—५५
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	१६५५
खाद्यान्नों के मूल्य निर्धारण विधेयक (श्री झूलन सिंह का)	१६५५—६८
विचार करने का प्रस्ताव	१६५५—६८
दैनिक संक्षेपिका	१६६९—८०

अंक १०— शनिवार, १९ अगस्त १९६१ / २८ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६८१ से ६९०, ६९३, ६९४ और ६९६	१६८१—१७०१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६९१, ६९२, ६९५, ६९७ से ७२६	१७०१—१६
अतारांकित प्रश्न संख्या १६०३ से १७२४	१७१७—६६
स्थगन प्रस्ताव	१७६६—६८
कथित गुप्तचर का पकड़ा जाना	१७६६—६८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१७६८—६९
सभा का कार्य	१७६९
शिशिक्षु विधेयक—पुरःस्थापित	१७६९
विशेषाधिकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१७६९—७९
आयकर विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	१७७९—८३
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति का प्रतिवेदन	१७८३
अणुशक्ति विभाग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१७८३—८९
दैनिक संक्षेपिका	१७९०—९७

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक सभा

शुक्रवार, १८ अगस्त, १९६१
२७ श्रावण, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बैंक निक्षेप बीमा योजना

†*६२७. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री खीमजी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कोडियान :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री सुब्बया अम्बलम् :
श्री नारायन् कुट्टी मेनन :
श्री दामानी :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री म० ला० द्विवेदी :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री प्र० गं० देव :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री हेम बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **वित्त** मन्त्री ५ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बैंक में जमा राशियों को सुरक्षित रखने के लिये बीमा योजना मंजूर कर ली है; और

†मूल अंग्रेजी में

1104 (Aii) LSD—1.

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी हां।

(ख) योजना को लागू करने के लिये एक विधेयक के चालू सत्र में पुरःस्थापित किये जाने की आशा है और उस विधेयक के उपबन्धों की पूर्वधारणा करना आवश्यक नहीं मालूम होता है।

श्री दी० चं० शर्मा : यह ठीक है कि विधेयक पुरःस्थापित किया जायेगा परन्तु मैं नहीं समझता कि उसकी मुख्य बातें हमें बता देने से क्या हानि होगी। जब प्रश्न पूछा गया है और उसे ग्रहण कर लिया गया है तो यह जानकारी दी जानी चाहिये।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : प्रश्न ग्रहण कर लिया गया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उस विधेयक के उपबन्ध आज ही बता दूं। विधेयक शीघ्र पुरःस्थापित किया जाने वाला है और वह शीघ्र ही माननीय सदस्यों के हाथों में आ जायेगा। विधेयक के यहां पेश किये जाने के पहले उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या उस योजना में छोटे बैंकों को खत्म कर देने का विचार है ताकि बीमा योजना बड़े बैंकों तक ही सीमित रहे ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : छोटे बैंकों की समाप्ति का कोई प्रश्न नहीं है। सरकार की नीति यह नहीं है।

†**श्री खीमजी** : इस योजना के क्रियान्वयन में प्रतिवर्ष कितना व्यय होने का अनुमान है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : माननीय सदस्य विधेयक के पेश किये जाने तक धैर्य रखें।

†**श्री तंगामणि** : क्या इस विधेयक को भूतलक्षी प्रभाव देकर लागू किया जायेगा ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : उसे भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जा सकता है।

पंजाब में इस्पात बेलन मिलें[1]

+

†*६२८. **श्री दी० चं० शर्मा** :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब राज्य में कोई इस्पात बेलन मिलों की स्थापना के लिये मंजूरी दी है; और

(ख) यदि हां, तो ये मिलें किन किन स्थानों पर स्थापित की जायेंगी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) नहीं, श्रीमन्। परन्तु जैसाकि मानदीय सदस्य जानते हैं ५० से कम मजदूरों को नियोजित करने वाले और स्थानीय तौर से उपलब्ध रद्दी लोहे का उपयोग करने वाली छोटी पुनर्वेलन मिलों की स्थापना पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। पंजाब में स्थापित हुई ऐसी मिलों के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Steel Rolling Mills.

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या पंजाब सरकार ने इस्पात पुनर्वेलन मिलों और अन्य मिलों की चालू वर्ष की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये इस्पात का अतिरिक्त कोटा मांगा है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** जहां तक पुनर्वेलन मिलों का सम्बन्ध है, इस्पात के अतिरिक्त कोटे का कोई प्रश्न नहीं है, वास्तव में वर्तमान पुनर्वेलन मिलों की संचालन क्षमता तीन पारी के आधार पर २१ लाख टन है। हम एक पारी के आधार पर संभरण कर रहे हैं। बिलेटों की कमी हो सकती है। इसलिये वास्तव में हम उन राज्यों में पुनर्वेलन मिलों के नए एकक स्थापित करने की स्थिति में नहीं हैं जिनमें वे पहले से मौजूद हैं।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या यह सच है कि पंजाब के पिछड़े क्षेत्र में ऐसी कोई मिल नहीं है और, यदि हां, तो क्या उस क्षेत्र में ऐसी कोई मिल स्थापित की जायेगी ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** मेरे लिये यह कहना बहुत कठिन है कि कौनसा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और कौनसा प्रगतिशील है। पंजाब कई अन्य राज्यों की तुलना में प्रगतिशील राज्य है। उसमें पुनर्वेलन की पर्याप्त क्षमता मौजूद है।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** क्या पुनर्वेलन मिलों में से ५० प्रतिशत से भी अधिक केवल पंजाब में स्थित हैं और क्या सौराष्ट्र गुजरात, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी पुनर्वेलन मिलें स्थापित की जायेंगी जिनमें अभी कोई पुनर्वेलन मिलें नहीं हैं ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** मैं यह नहीं बता सकता कि पंजाब में कितने प्रतिशत पुनर्वेलन मिलें स्थित हैं। वास्तव में पंजाब और बंगाल में देश के अन्य राज्यों की तुलना में अधिक पुनर्वेलन मिलें हैं।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या यह सच नहीं है कि महेन्द्रगढ़ जिले में रद्दी लोहे और अयस्क के संग्रह की सम्भावना है ? यदि कोई उद्योग प्रस्ताव करे तो क्या वहां ऐसे मिल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** जहां तक महेन्द्रगढ़ जिले का संबंध है, मेरे पास कोई विशेष जानकारी नहीं है। मैं बता चुका हूं कि यदि कोई उद्योग स्थानीय रद्दी लोहे से पुनर्वेलन मिल चलाना चाहता है और ५० से कम व्यक्तियों को नियोजित करता है तो उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

खेतरी तांबा परियोजना

+

†६२९. **श्री त० ब० विठ्ठल राव :**
श्री प्र० गं० देव :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :
श्री स० अ० मेहदी :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री प्र० चं० बरुआ :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतरी तांबा परियोजना के बारे में किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) :** (क) हां, श्रीमान ।

(ख) जानकारी प्रदान करने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५९)**

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** विवरण में बताया गया है कि अयस्क के रक्षित भंडारों का निर्धारण किय जायेगा । क्या इस दिशा में अभी तक कोई कदम उठाया गया है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** अयस्क के रक्षित भंडारों का प्रारंभिक सर्वेक्षण किया जा चुका है और अभी भी भारतीय खानिविभाग द्वारा किया जा रहा है ।

युद्ध के खतरे के लिये जहाजों का बीमा

+

†*६३०. **श्री राधा रमण :**
श्री श्री नारायण दास :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री १८ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १५८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्ध के खतरे के लिए जहाजों के बीमे की योजना पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (अ) जी, हां ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री राधा रमण :** क्या सरकार निकट भविष्य में भारतीय समवायों में ऐसा बीमा लागू करना चाहती है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** समस्त प्रश्न की जांच की जा रही है ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि भारतीय जहाजों का जो इंश्योरेंश होता है तो हिन्दुस्तानी इंश्योरेंश कम्पनियों में उनके इंश्योरेंश का क्या परसेंटेज है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : उसका परसेंटेज तो अभी मेरे पास नहीं है पर वह बहुत कम है । उसकी फीगर्स मेरे पास इस समय नहीं है पर मैं उनको दे दूंगी । हिन्दुस्तानी इंश्योरेंश कम्पनियों में नाममात्र का ही इंश्योरेंश हुआ है ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तानी जहाज जो हैं उनमें से करीब ९० प्रतिशत: फौरेन इंश्योरेंश कम्पनियों में इंश्योर्ड होते हैं तो क्यों नही उनका हिन्दुस्तानी इंश्योरेंश कम्पनियों में इंश्योरेंश हों ? इसके वास्ते आपको तरफ से क्या प्रबन्ध हो रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : उसके बारे में माननीय सदस्य को मालूम है कुछ महीने पहले एक बिल भी हाउस में आया था और वह ऐक्ट भी बन गया है । हम यही कोशिश कर रहे हैं कि उनका हम इंश्योरेंश अपने यहां कर सकें । एल० आई० सी० की जो एक सबसीडेयरी बौडी है उसके द्वारा इस बात की हम कोशिश कर रहे हैं ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि पूर्वी और पश्चिमी नौपरिवहन निगम के जहाजों का बीमा विदेशी कम्पनियों में हुआ है और, यदि हां, तो भारतीय नौपरिवहन कम्पनियों द्वारा विदेशी बीमा कम्पनियों को कितने प्रीमियम का भुगतान किया जाता है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** बीमा दो प्रकार का है । यह ठीक है कि भारतीय जहाजों का बीमा विदेशों में कराया गया है । ब्रिटेन में दो भारतीय जहाजों का बीमा मुचुअल कम्पनी में हुआ है जिसे युद्ध जोखिम क्लबों[1] में से एक कहा जाता है । अन्य भारतीथ जहाजों का बीमा खुले बाजार में हुआ है । खुली बाजार दर २९ प्रतिशत है और युद्ध जोखिम क्लबों में ·०१२५ प्रतिशत की दर पर बीमा होता है । वास्तविक स्थिति यह है ।

†**श्री हेम बरुआ :** प्रश्न यह है कि मैं विदेशी मुद्रा की राशि जानना चाहता हूं । इसीलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि जो भारतीय नौपरिवहन कम्पनियां ब्रिटिश और अन्य विदेशी कम्पनियों से बीमा कराती हैं वे कितने प्रीमियम का भुगतान करती हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** मैंने यही कहा था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह कुल राशि जानना चाहते हैं ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** कुल राशि मुझे नहीं मालूम है। यदि उनका खुले बाजार में बीमा कराया जाता है तो वह २० प्रतिशत प्रीमियम की दर तर होता है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उनके पास सूचना नहीं है ।

करारोपण मंत्रणा समिति

\+

†*६३१. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री ७ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्यक्ष कर केन्द्रीय मंत्रणा समिति कायम करने की दिशा में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** सरकार ने अपने १ अगस्त, १९६१ के संकल्प द्वारा केन्द्र में एक प्रत्यक्ष कर मंत्रणा समिति निर्मित की है । ५ अगस्त, १९६१ को एक प्रेस नोट जारी किया गया है जिसमें संकल्प के अन्तर्गत स्थापित प्रथम समिति के गैर-सरकारी सदस्यों के नामों की घोषणा की गई है । उस संकल्प और प्रेस नोट की प्रतियां सभा-पटल पर रख जाती हैं । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६०]**

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** विवरण से ज्ञात होता है कि गैर-सरकारी सदस्यों में चार संसद् सदस्य और छै प्रतिनिधि वाणिज्य उद्योग, व्यवसायों और अन्य हितों के होंगे । ये अन्य हित क्या हैं और क्या उनमें छोटे करदाता भी सम्मिलित होंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] War Risks Clubs.

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : उसमें चार संसद्-सदस्य, दो पदेन सदस्य, भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल के सभापति, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कामर्स आफ इंडिया के सभापति, और छै अन्य गैर सरकारी सदस्य हैं। इन व्यक्तियों के नामों की घोषणा प्रेस नोट में की जा चुकी है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह छोटे करदाताओं के प्रतिनिधियों के नाम जानना चाहते हैं।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: यहां जो संसद् सदस्य हैं वे सब छोटे करदाता ही हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : हम उनके नाम जानना चाहते हैं।

†**श्री मोरारजी देसाई** : श्री चे० रा० पट्टाभिरामन, श्री मूल चन्द जैन, श्रीमती मफीदा अहमद और श्री आई० टी० लोहानी।

†**श्री प्रभात कार** : श्री लोहानी पालनपुर के नवाब हैं।

†**श्री मोरारजी देसाई**: वह अपनी निजी थैली पर आयकर नहीं भुगतान करते हैं।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त**: विवरण में कहा गया है कि नामनिर्देशित सदस्यों में अन्य हित भी म्मिलित हैं। इसका क्या तात्पर्य है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : उसका तात्पर्य लेखा परीक्षकों, व्यवसाइयों और ऐसे अन्य लोगों है।

†**श्री दामानी**: क्या इस मंत्रणा समिति की कोई बैठक हो चुकी है और यदि हां तो उसमें क्या निर्णय किया गया ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है।

†**श्री तंगामणि** : दसवें सदस्य की नियुक्ति कब की जायेगी और यह समिति कितने समय तक चलेगी ? वह अस्थायी होगी अथवा स्थायी ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : दसवें सदस्य का नामांकन कालान्तर में किया जायेगा और पहली बैठक निकट भविष्य में होगी जब कि उसके सभापति, जो वित्त मंत्री हैं, अपने विदेश दौरे से लौट आयेंगे।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : इस समिति का कार्य-काल क्या होगा--दो वर्ष, पांच वर्ष अथवा क्या ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : यह समिति मंत्रणा समिति के रूप में स्थापित की गई है और सदस्यों का कार्यकाल यह होगा कि वे उस समय तक बने रहेंगे जब तक कि वे सदस्य हैं। उसमें कोई वार्षिक परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात् सदस्य प्रतिवर्ष बदले नहीं जायेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कितनी अवधि तक सदस्य रहेंगे ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : वह अवधि दो वर्ष है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या सब सदस्य पुरुष हैं ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : श्रीमती मफीदा अहमद उसमें हैं और उपसभापति भी पुरुष नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब्रजराज सिंह :** मैं एक स्पष्टीकरण कराना चाहता हूं। आपको याद होगा कि हमने एक कानून पारित किया है जिसमें यह कहा गया है कि यदि इस सभा के किसी सदस्य को किसी सरकारी समिति का सदस्य नियुक्त किया जायेगा तो आपकी पूर्व अनुमति प्राप्त की जाएगी। इस समिति में सरकार द्वारा सभा के कुछ सदस्यों को नामांकित किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इन सदस्यों का नामांकन करते समय आपकी पूर्व अनुमति प्राप्त की थी ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** इस मामले में संसद्-कार्य मंत्रालय से परामर्श किया गया था और ये नाम उनके द्वारा दिए गए हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं नहीं जानता परन्तु सामान्यतः जब मैं सभा की कोई समिति नियुक्त करता हूं तो मैं विभिन्न दलों से परामर्श करता हूं। यदि किसी अधिनियम के अन्तर्गत संसद् सदस्यों को नियुक्त किया जाना होता है तो संसद् कार्य मंत्रालय और विभिन्न दलीय नेताओं से पूछा जाता है। कई मामलों में मुझसे भी परामर्श किया जाता है। परन्तु मैं नहीं समझता कि इन मामलों में मुझसे परामर्श करना आवश्यक है। मैं इससे यथासंभव बचा रहना चाहूंगा क्योंकि यदि प्रवरण में कोई गलती हो गई तो माननीय सदस्य मुझे दोषी ठहरायेंगे और कहेंगे कि मैंने पक्षपात किया है। मैं चाहूंगा कि समस्त जिम्मेदारी सरकार अपने पर ही रखे और मुझे इस झंझट में न डाले मैं इस कठिनाई को समझता हूं। संसदीय प्रतिनिधि मण्डलों तक के संबंध में सब लोगों को खुश करना कठिन होता है क्योंकि सीटें थोड़ी होती हैं और मुझे लगभग पांच सौ सदस्यों का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए मैं इससे यथासंभव बचना चाहूंगा। मैं इसको कोई विशेषाधिकार नहीं समझता वरन कभी कभी तो यह मेरे लिऐ भारस्वरूप बन जाता है।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** मेरा प्रश्न यह नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि सभा यह निर्णय कर चुकी है कि ....

†**अध्यक्ष महोदय :** नहीं।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** ... कि सरकार द्वारा किसी सदस्य का किसी समिति में नामांकन किये जाते समय आपकी पूर्व अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए ताकी सदस्यों की निष्पक्षता कायम रहे।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं नहीं समझता कि सभा का इस आशय का कोई संकल्प है ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** ऐसा कोई संकल्प नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ :** मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं। इस समिति में जो सदस्य हैं वे केवल एक ही दल से नियुक्त किए गए हैं। आपने अभी कहा था कि यदि आपसे परामर्श किया जायेगा तो प्रवरण के समस्त दोष आपके ऊपर मढ़ दिए जायेंगे। क्या अध्यक्षपीठ का यह कर्तव्य नहीं है कि विभिन्न दलों के हितों की रक्षा करे ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इस प्रकार की समितियों की नियुक्ति कुछ अधिनियमों के अन्तर्गत की जाती है। जहां तक सभा द्वारा नियुक्त संसदीय समितियों का संबंध है, सभापति का प्रवरण मेरे हाथ में है। यह बात प्रवर समितियों के संबंध में भी सही है। जो अन्य समितियां मैं नियुक्त करता हूं उनके संबंध में मुझे पूर्ण अधिकार है फिर भी मैं संसद्-कार्य मंत्री से परामर्श करता हूं। जिन मामलों में संसद् सदस्यों का चुनाव होता है उनमें मेरा कोई हाथ नहीं होता है। कुछ मामलों

†मूल अंग्रेजी में

में मुझसे परामर्श किया जाता है। परन्तु जब कोई नई समिति नियुक्त की जाती है तो मैं नहीं समझता कि सरकार के लिए मुझसे परामर्श करना आवश्यक है। हां, उचित वितरण की दृष्टि से संसद-कार्य मंत्रालय से परामर्श किया जाता है। मैं चाहूंगा कि संसद-कार्य मंत्री दलीय नेताओं से परामर्श करें।

†**श्री अजराज सिंह :** क्या आपसे परामर्श नहीं किया जा सकता ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे इसमें कठिनाई मालूम होती है। मुझे हर मामले में अपनी पसंद उन पर नहीं लादनी चाहिए।

मैं यह सुझाव रखूंगा कि जिन समितियों में संसद-सदस्य लिए जाते हैं उनमें यथासंभव प्रतिपक्षी को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। चूंकि सब दलों को एक समिति में संतुष्ट नहीं किया जा सकेगा इसलिए उन्हें बारी बारी से नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि समितियों के समक्ष दोनों मत पेश किए जा सकें।

†**श्री मोरारजी देसाई :** मेरा निवेदन है कि सामान्यतः ऐसा ही किया जाता है। परन्तु कभी कभी ऐसा नहीं किया जाता है ताकि ऐसा कोई कड़ा नियम न बन जाये।

†**अध्यक्ष महोदय :** दस सदस्यों की समिति में ऐसा किया जाना चाहिए।

†**श्री अजराज सिंह :** क्या मैं अपना प्रश्न स्पष्ट कर सकता हूं ? संसद (अनर्हता निवारक) अधिनियम में यह उपबंध किया गया है कि

†**श्री मोरारजी देसाई :** क्या प्रश्नों के घण्टे में इस प्रकार की बातें ली जा सकती हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** हां, क्योंकि सदस्यों के नामांकन का मामला मुख्य प्रश्न से उत्पन्न हुआ है। चूंकि यह मामला यहीं उत्पन्न हुआ है इसलिए माननीय सदस्यों का यह कहना असंगत नहीं है कि विरोधी पक्ष को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है।

परन्तु इस प्रश्न का निर्णय अभी नहीं किया जा सकता। मैं इस पर विचार करूंगा। मैं चाहूंगा कि जब कोई बड़ी समिति नियुक्त की जाये जिसमें पांच या छै से अधिक सदस्य हों, तो विरोधी पक्ष को प्रतिनिधित्व देने का ध्यान रखा जाये।

†**श्री मोरारजी देसाई :** वैसा किया ही जाता है।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** यह आपका सलाह है अथवा विनिर्णय ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह विनिर्णय नहीं है। विनिर्णय बाधक होता है। मैं विनिर्णय नहीं देना चाहता। यह सुझाव मात्र है।

दिल्ली में विज्ञान संग्रहालय

+

†*६३२. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री नेक राम नेगी :
श्री हेम बरुआ :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १७ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में एक विज्ञान संग्रहालय स्थापित करने के बारे में क्या प्रगति हुई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उस योजना के ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितनी रकम नियत की गयी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) से (ग) जैसे ही संग्रहालय के लिए भूमि आवन्टित कर दी जायेगी उसका बयौरा तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का विचार किया जा रहा है ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : कौन कौन से स्थानों का विचार इस संबंध में किया जा रहा है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह विज्ञान संग्रहालय दिल्ली में ही स्थापित किया जाना है ।

†**डा० गोविन्द दास** : जहां तक इस अजायबघर का संबंध है, दूसरे अजायबघरों में और इस में क्या फ़र्क होगा ? क्या इस तरह के और अजायबघर देश में हैं ? अगर हैं, तो क्या उन का सामान इस अजायबघर में लाया जायगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : माननीय सदस्य ने तीन सवाल पुछे हैं । यह साइंस म्यूज़ियम है और इस किस्म के साइंस म्यूज़ियम दुनिया के दूसरे देशों में भी हैं । म्यूनिक का ड्यूश म्यूज़ियम एक मशहूर म्यूज़ियम है । दूसरी जगहों से कोई सामान यहां नहीं लाया जा गा । ठीक इस किस्म के तो नहीं, लेकिन एक साइंटिफिक और टैक्नालिजिकल म्यूज़ियम कलकत्ता में है और बंगलौर और बम्बई में कायम करने का प्रोपोज़ल है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : मैं मुख्य प्रश्न के भाग (ग) के संबंध में यह जानता चाहता हूं कि णया इस प्रयोजन के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में कोई आवण्टन किया गया है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : योजना आयोग ने १ करोड़ रुपये के प्रतीक आवण्टन का सुझाव दिया है ।

†**श्री राधा रमण** : माननीय मंत्री ने कहा कि ब्यौरा तैयार करने के लिये एक समिति नियुक्त की जायेगी । क्या सरकार ने कोई स्थान निश्चित कर लिया है जहां यह संग्रहालय बनाया जायेगा ।

†**श्री हुमायून् कबिर** : जैसा कि मैं कुछ देर पहले बता चुका हूं, वह दिल्ली में बनाया जायेगा । अस्थायी तौर से राष्ट्रीय संग्रहालय के सामने वाले प्लाट का सुझाव दिया गया है ।

†**श्री तंगामणि** : यह विज्ञान संग्रहालय साउथ केंसिंगटन म्यूज़ियम की लाइनों पर होगा अथवा उससे भिन्न प्रकार का ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : प्रत्येक विज्ञान संग्रहालय की अपनी कुछ विशेषतायें होती हैं । साउथ केंसिंगटन का विज्ञान संग्रहालय बहुत अच्छा है । म्यूनिक का ड्यूश म्यूज़ियम भी बहुत अच्छा है । अमेरिका तथा अन्य देशों में भी इस प्रकार के संग्रहालय हैं । हम वर्तमान अनुभव का लाभ उठायेंगे और अपने संग्रहालय को यदि अन्य संग्रहालयों से अच्छा नहीं तो उनके समान बनाने का प्रयत्न करेंगे ।

†**श्री राधा रमण** : क्या सरकार राष्ट्रीय संग्रहालय की तरह इस विज्ञान संग्रहालय को मूर्त रूप देने के लिए किसी विदेशी की सहायता लेने का विचार कर रही है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : प्रश्न का निर्णय मौका आने पर किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेणुका राय समिति की रिपोर्ट

†*६३३. { श्री चुनी लाल :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री पांगरकर :
श्री म० ला० द्विवेदी : }

क्या **शिक्षा** मंत्री २ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्य संचालन के बारे में रेणुका राय समिति की सिफारिशें कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** कानूनी और वैधानिक स्थिति की जांच की जा चुकी है और अब राज्य सरकारों के विचार आमंत्रित किये गये हैं।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या किन्हीं राज्य सरकारों के विचार अभी तक प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो किन किन राज्य सरकारों के ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जी नहीं; हमने राज्य सरकारों को हाल में ही लिखा है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** कुछ राज्यों में समाज कल्याण बोर्ड को परियोजना क्रियान्वयन समितियों का कार्य पंचायतों के कार्य के साथ सम्बद्ध किया जा रहा है। क्या ऐसा समस्त अन्य राज्यों में भी किया जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है। मैं इसका उत्तर देने को तयार हूं परन्तु यह अधिक अच्छा होगा कि माननीय सदस्या पृथक प्रश्न की सूचना दें।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती।** रेणुका राय समिति ने यह सिफारिश की है कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड और राज्य समाज कल्याण बोर्डों को कायम रखना चाहिए। उसने इस सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं। परन्तु अनेक राज्यों में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, उसे पंचायतों को हस्तान्तरित किया जा रहा है। इसलिए मैं यह जानना चाहती थी कि क्या यह सामान्य रूप होगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इस मामले में निर्णय राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है। कुछ राज्यों में, जिनमें प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण किया गया था, राज्य सरकारों ने महसूस किया कि पृथक परियोजना क्रियान्वयन समितियों की कोई आवश्यकता नहीं है और यदि ऐसी कोई समितियां हों तो उन्हें पंचायतों के अन्तर्गत कार्य करना चाहिए। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड और राज्य सरकारों के बीच कुछ मतभेद था इसलिए राज्य सरकारों की बात ऊपर रही।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या केन्द्रीय सरकार ने इस महत्वपूर्ण मामले पर स्वयं भी कभी विचार किया है और, यदि हां, तो उसकी राज्य सरकारों को क्या सलाह है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** माननीय सदस्य का तात्पर्य परियोजना क्रियान्वयन समितियों से है अथवा रेणुका राय समिति की सामान्य सिफारिशों से ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** मैं पंचायत राज संस्थाओं और समाज कल्याण संगठनों के एकीकरण का निर्देश कर रहा हूं और यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने इस मामले पर विचार किया है और राज्य सरकारों को अपनी सलाह दी है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं इस प्रश्न का उत्तर देने को तयार हूं । परन्तु मैं फिर यह निवेदन करूंगा कि हम मुख्य प्रश्न, जो रेणुका राय समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में है, से बचाव कर रहे हैं जिसके सम्बन्ध में मैंने बताया कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सम्बन्ध में वैधानिक एवं कानूनी स्थिति की जांच की गई है; हमने राज्य सरकारों की सलाह मांगी है और उनकी सलाह प्राप्त होने के तुरन्त पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में तेल उद्योग का विस्तार

†

†*६३४. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री अगाड़ी :
श्री रामपुरे :
श्री नेका राम नेगी :
श्री कोडियान :
श्री वारियार :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ४ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १९०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र में तेल शोधक कारखानों की क्षमता बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) वर्तमान करारों के अन्तर्गत विस्तार नहीं किया जा सकेगा ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** कौन कौन सी कम्पनियों ने विस्तार के लिए प्रार्थना की है और कितने विस्तार के लिए ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** जिन विस्तार प्रस्तावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है वे बर्मा शैल और स्टेंडर्ड वैकुअम आयल कम्पनियों से आये हैं ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** वर्तमान क्षमता कितनी है और वे उसका कितना विस्तार करना चाहती हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** वास्तव में बर्मा शैल की वर्तमान क्षमता २८ लाख टन है जो १६ लाख टन से बढ़ कर हुई है । जहां तक स्टेंडर्ड वैकुअम आयल कम्पनी का सम्बन्ध है, वह १४ लाख टन से बढ़ कर १९ लाख टन हो गई है । इस प्रकार वे निरन्तर विस्तार करती रही हैं और इस सीमा पर हमने विस्तार रोक दिया है क्योंकि हम ने देश की समस्त आवश्यकताओं का विचार

†मूल अंग्रेज़ी में

किया है । जैसा कि मैं कह चुका हूं, अब कोई प्रस्ताव तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकेगा जब तक कि वर्तमान करारों के पदों में आमूल परिवर्तन न किया जाये ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र की तेल शोधनशालाओं को जो अतिरिक्त क्षमता मंजूर की जा रही है वह इसलिए दी जा रही है कि हम उन से कुछ समय तक अपरिष्कृत तेल साफ करायेंगे अथवा इसलिए कि वे बाहर से अधिक अपरिष्कृत तेल का आयात करेंगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : अतिरिक्त क्षमता उनको पिछले तीन या चार वर्षों में दी गई थी। उन्होंने अपनी क्षमता बढ़ा कर प्रायः दुगनी कर ली है । अब उसे रोक दिया गया है ।

जहां तक अपरिष्कृत तेल की मात्रा का सम्बन्ध है, जो उन्होंने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से लेना स्वीकार किया है, उनको कोई अतिरिक्त विस्तार क्षमता मंजूर नहीं की जायेगी । उतना कार्य वे अपनी वर्तमान क्षमता में ही कर सकेंगी ।

†**श्री कोडियान** : माननीय मंत्री ने मूल प्रश्न के उत्तर में कहा था कि वर्तमान करारों के अन्तर्गत विस्तार के लिए कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे । क्या जिन तेल कम्पनियों ने सरकार से इसके लिए पहुंच की है उन्होंने नई शर्तों पर करार करने की इच्छा व्यक्त की है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : हम ने सामान्यतः यह स्पष्ट कर दिया है कि जिन वर्तमान शर्तों के अन्तर्गत वे कार्य कर रही हैं वे हमारे लिए उपयुक्त नहीं होंगी । हाल में हमें पश्चिमी देशों से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने तेल शोधन में बहुसंख्यक सहभागिता भारत सरकार को देना स्वीकार किया है । मैं नहीं जानता कि उनके दिमाग में उसका ब्यौरा क्या है परन्तु यदि इन प्रस्तावों की जांच की जाये तो पश्चिमी तेल कम्पनियों द्वारा अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाया जायेगा और वे यहां आकर तेल शोधन कार्य करना पसन्द करेंगी । परन्तु जैसा कि मैं सामान्यतः बता चुका हूं हम बर्मा शैल और स्टेंडर्ड वैकुअम कम्पनी और भारत सरकार के बीच वर्तमान करारों के स्वरूप को स्वीकार नहीं करेंगे ।

†**श्री दामानी** : तीसरी पंचवर्षीय योजना के दूसरे वर्ष के अन्त तक गैर-सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में शोधित तेल का कितना उत्पादन होने लगेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : तीसरी पंचवर्षीय योजना के दूसरे वर्ष तक सरकारी उद्योग क्षेत्र की नूनमाटी में स्थापित होने वाली तेल शोधनशाला में ७·५ लाख टन उत्पादन होने लगेगा और तीसरी योजना के दूसरे वर्ष के अन्त तक बरौनी की तेल शोधनशाला के एक भाग में ही उत्पादन प्रारम्भ हो सकेगा । सरकारी क्षेत्र का कुल उत्पादन लगभग १७·५ लाख टन होगा । गैर-सरकारी क्षेत्र का उत्पादन ६० लाख टन होगा जैसी कि इस समय स्थिति है ।

†**श्री दामानी** : हमारी वास्तविक आवश्यकताओं के अनुमान में हमारा उत्पादन कितना प्रतिशत है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : तीसरी योजना के दूसरे वर्ष के अन्त तक कुल उत्पादन लगभग ७७·५ लाख टन होगा । उस समय कुल उपभोग लगभग ८० लाख टन या उससे थोड़ा अधिक होगा ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को देखते हुए कि बर्मा शैल को जो अतिरिक्त क्षमता दी गयी है, उसे अंकलेश्वर तथा खम्भात अशोधित तेल के शोधन में संभवतः उपयोग किया जायेगा, क्या मैं जान सकता हूं कि बर्मा शैल के साथ यह करार स्थायी है या केवल अन्तरिम व्यवस्था है ? यदि वह केवल अंतरिम व्यवस्था हो तो वह कब तक क्रियाशील रहेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय** : तेल साफ करने के लिये बर्मा शैल ने अशोधित तेल की जितनी मात्रा मंजूर की है और जिसके बारे में अभी बातचीत चल रही है, उसके बारे में करार एक स्थायी करार होगा। हम अस्थायी आधार पर उनके साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : इस कारण कि अंकलेश्वर और खम्भात का अशोधित तेल साफ करने के बारे में अभी बातचीत चल रही है, क्या बर्मा शैल ने अपनी क्षमता बढ़ाने के लिये अनुमति दिये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने रखा है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी हां, अंकलेश्वर और खम्भात से और अधिक अशोधित तेल मिलने के कारण वह अपनी क्षमता और बढ़ाना चाहता है। लेकिन हमने इन दो बातों को अलग अलग रखा है : अर्थात् विस्तार की अनुमति देना और इस कारण अनुमति देना कि हम उन्हें तेल संभवत: सप्लाई कर सकेंगे क्योंकि उसने अपने पहले करार में यह मंजूर कर लिया था कि जब कभी देशी अशोधित तेल तैयार किया जायेगा वह इस बात के बावजूद तेल शोधन का काम मंजूर करेगा कि उसकी क्षमता के विस्तार के लिए अनुमति दी गयी या नहीं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमारी आवश्यकता का संशोधित अनुमान १ करोड़ टन से १ करोड़ ३० लाख टन को देखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि शोधित तेल के मुकाबले में यह आवश्यकता किस प्रकार पूरी करने का सरकार का विचार है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : तीसरी योजना अवधि के अंत तक भारत में कुल शोधन क्षमता प्राय: हमारे उपभोग और उस थोड़ी सी मात्रा के बराबर होगी जो तेल शोधन कारखानों के उत्पादन में असन्तुलन के कारण हमें आयात करना पड़ती है। इसलिये तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हमने शोधन क्षमता के जितने विस्तार की योजना बनायी है उसे और अधिक बढ़ाने की अभी कोई जरूरत नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ** : अंकलेश्वर और खम्भात के अशोधित तेल की सफाई के लिये बर्मा शैल के साथ हाल की बातचीत वर्तमान व्यवस्था के अधीन या स्वतंत्र रूप से शुरू की गयी है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : पुराने करार की कोई बात नयी बातचीत के लिए मुसंगत नहीं होगी। पुराने करार में केवल एक ही शर्त यह थी कि जब देश में देशी अशोधित तेल निकलेगा, उसे अपने निजी तेल शोधक कारखानों में साफ करने में कोई आपत्ति नहीं होगी बशर्ते कि कीमत तय हो जाये और किस्म मंजूर हो। अभी हम केवल कीमत के बारे में बातचीत कर रहे हैं और उन्हें यह समझा रहे हैं कि किस्म बिलकुल ठीक है और हमारे तेल की सफाई के लिए उन्हें कोई विशेष विनियोजन करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसने सभी शर्तें मान ली हैं और अब यह केवल कुछ ही दिनों की बात है कि वह हमारा तेल लेना शुरू कर देंगे।

शक्ति और संसाधनों का विकेन्द्रीकरण

†*६३५. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय ने केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दी जाने वाली रकमों के सम्बन्ध में विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता पर विचार किया है ; और

(ख) १९६१-६२ के लिए दी गयी कौन सी रकमें राज्य सरकारों को पहले ही दी जा चुकी हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और ख). योजना आयोग को वह विस्तृत प्रक्रिया अभी निश्चित करनी है जिसके अनुसार तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता निर्धारित होगी। फिर भी १९६१-६२ के लिये सभी क्षेत्रों के लिये रखी गयी कुल केन्द्रीय सहायता का तीन चौथाई हिस्सा प्रत्येक राज्य सरकार को मार्गोपाय अग्रिम के रूप में महावार किस्त के रूप में दिया जा रहा है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : राज्य सरकारों को निधियां देने के लिये इस समय कौन सी प्रक्रिया अपनायी जा रही है और इस बात के लिये सरकार क्या सावधानी बरतती है कि राज्यों के पास निधियां इकट्ठी न हो जायं बल्कि उन्हें धीरे धीरे प्राप्त होती रहें।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : दूसरी योजना के दौरान केन्द्रीय सहायता देने की प्रक्रिया १९५८-५९ में निर्धारित की गयी थी। वह प्रक्रिया यह है कि प्रत्येक वर्ष के लिये केन्द्रीय सहायता वित्त मंत्रालय विभिन्न विकास मदों के लिये नियत करती है और मई के प्रारंभ मे ९ बराबर बराबर महावार किस्तों में मार्गोपाय अग्रिम के रूप में दी जाती है। अंतिम भुगतान मंजूरी नो महीने के खर्च के वास्तविक आंकड़ों तथा अगले तीन महीने के प्रत्याशित खर्च के आंकड़ों के आधार पर मार्च में किसी समय दी जाती है।

प्रत्येक विकास मद के संबंध में यही सामान्य प्रक्रिया अपनायी जाती है। नौ महीने के अन्त में राज्य सरकारें अपनी अपनी रिपोर्टें भेजती हैं और तब शेष रकम दी जाती है। यह प्रक्रिया योजना की प्रगति में सहूलियत के लिये १९५८-५९ में बनायी गयी थी।

†**श्री शंकरैया** : क्या राज्य सरकार मंजूर की गयी रकम किन्हीं योजनाओं पर केवल एक खास ढंग से ही खर्च कर सकती है या उसे खर्च करने के लिये कुछ स्वतन्त्रता भी दी जाती है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : उसे उन विभिन्न मदों पर ही रुपया खर्च करना होता है जिनके लिये वह रकम नियत की जाती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : ; अगला प्रश्न। श्री विट्ठलराव/श्री दी० चं० शर्मा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : ६३६।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मुझे एक और सवाल पूछने की इजाजत दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे इस माननीय सदस्य से हमेशा कुछ न कुछ कठिनाई होती है। मेरे विचार से जब कभी किसी प्रश्न का पर्याप्त उत्तर दे दिया जाता है, मैं अगला सवाल उठाता हूं। मैं ने दूसरा सवाल पुकारा है और माननीय सदस्य उठ खड़े हुए।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : आपने मुझे केवल एक ही अनुपूरक प्रश्न के लिए अनुमति दी है। मैं नहीं जानता कि आपको मुझसे क्या परेशानी है।

†**अध्यक्ष महोदय** : कोई बात नहीं, लेकिन मैंने दूसरा प्रश्न पुकारा है।

†**हरिश्चन्द्र माथुर** : वास्तव में यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आपने यह कहा कि आपके और हमारे बीच कोई कठिनाई है। खास कर इस सवाल के बारे में मैं नहीं जानता कि कठिनाई का क्या कारण है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरी कठिनाई यह है कि दूसरा प्रश्न पुकारने के बाद, माननीय सदस्य उठ खड़े होते हैं और मैं जिन प्रश्नों के लिये उन्हें अनुमति देता हूं उनसे वे संतुष्ट नहीं हैं। फिर माननीय

---

†मूल अंग्रेजी में

सदस्य कहते हैं कि मैंने उन्हें केवल एक ही प्रश्न के लिए अनुमति दी है मानों सब कुछ प्रश्नों की संख्या पर ही निर्भर है, न कि उनके विषय पर। यदि दूसरे माननीय सदस्य वही या उसी तरह का प्रश्न पूछें तो क्या मैं दूसरा सवाल न उठाऊं। या तो मैं स्वत: निर्णय करूं या उन्हें अपनी इच्छानुसार निर्णय करने की अनुमति दूं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर**: वास्तव में यह मेरे प्रति अन्याय है। मैंने आपसे कभी नहीं कहा।

†**अध्यक्ष महोदय**: मेरे न कोई मित्र हैं और न शत्रु। सभी माननीय सदस्य मेरे मित्र हैं। यदि मैंने किसी माननीय सदस्य को कोई बुरी बात कही हो तो मुझे खेद है और मैं उसकी भरपायी करूंगा। मैंने कई बार ऐसा किया है कि एक माननीय सदस्य द्वारा बार बार टोकने पर भी मैंने दूसरे सदस्य के बाद उन्हें फिर मौका दिया है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर**: यह केवल उसी तरह का विशेषाधिकार है। यह तो शुष्क क्षेत्र है वास्तव में यह बहुत ही दुर्भाग्य है।

†**अध्यक्ष महोदय**: शासन करना इस ओर का विशेषाधिकार है और आपत्ति करना उस ओर का, यही कारण है। अगला प्रश्न।

कोयला धोने के कारखानों से प्राप्त मध्यम कोटि का कोयला

\+

†*६३६. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री हेम बरुआ :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २१ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३७२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला धोने के कारखानों से प्राप्त मध्यम कोटि के कोयले के उपयोग सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट की इस बीच छानबीन कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कौन कौन सी मुख्य सिफारिशें मंजूर कर ली हैं ; और

(ग) उन सिफारिशों पर कार्यवाही कब शुरू की जायगी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). कोयला धोने के कारखानों से प्राप्त मध्यम कोटि के कोयले के उपयोग सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट की छानबीन सम्बन्धित विभिन्न विभागों/मंत्रालयों से प्राप्त टिप्पणों को ध्यान में रखते हुए की गयी है। मुख्य सिफारिश यह है कि भविष्य में कोयला धोने के कारखानों और तापीय बिजली घरों का आयोजन, जहां तक संभव हो, इकट्ठा किया जाये। इस सिफारिश तथा दूसरी सिफारिशों की छानबीन हो रही है। यह छानबीन पूरी हो जाने तथा उन पर सरकार द्वारा निश्चय कर लिये जाने के बाद उनके विषय मे कार्यवाही शुरू की जायगी।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : निश्चय करने के लिए इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय किन किन दूसरे मंत्रालयों और विभागों से परामर्श करता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** मैं बता चुका हूं कि कई विभागों से परामर्श किया जाता है जैसे सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय क्योंकि वह उस मध्यम कोटि के कोयले के उपयोग से सम्बन्धित है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या परियोजना की छानबीन में विलम्ब कोयले के लाभप्रद उत्पादन के विषय में हमारे देश के लिए हानिकारक सिद्ध नहीं हो रहा है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** इस रिपोर्ट के विचार में विलम्ब का कोई प्रश्न नहीं है । वह अभी हाल ही में प्राप्त हुई है और उसकी छानबीन हो रही है और उसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि रेलवे, सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय और दूसरे मंत्रालयों से परामर्श करना पड़ता है । जब तक उस पर पूरा पूरा विचार न कर लिया जाये, उस पर कोई कार्यवाही करना इस मंत्रालय के लिये उचित न होगा ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** यह कैसी बात है कि इन सिफारिशों पर अंतिम निश्चय करने से पहले ही केन्द्रीय सरकार ने पिछले महीने यह आदेश दिया है कि कोयला खानों से मध्यम कोटि का केवल सड़क से ही उपभोक्ताओं को भेजा जाये जिसके फलस्वरूप यह आशंका है कि बिजली का बहुत भारी संकट पैदा हो जायेगा क्योंकि मध्यम कोटि का कोयला रेल की अपेक्षा सड़क से भेजने में दूना खर्च लगता है, और क्या दुर्गापुर उद्योगों तथा दुर्गापुर स्थित तापीय बिजली कारखानों से अपने उत्पादन पर इसकी गम्भीर प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** मध्यम कोटि का कोयला बिजली घरों को भेजा जा रहा है और उस पर जो निर्बन्धन लगाये गये थे वे अब हटा दिये गये हैं । दुर्गापुर बिजली घर और कोयला धुलाई कारखानों ने यह शिकायत की थी कि दुर्गापुर को मध्यम कोटि का कोयला भेजने की अनुमति दी जानी चाहिये और उसकी अनुमति दी गई है । इसी प्रकार जमशेदर पुर में तापीय बिजली घरों को भी मध्यम कोटि का कोयला भेजने की अनुमति दी गयी है । केवल दूसरे प्रयोजनों के लिए अर्थात् ईंटें जलाने तथा इसी तरह की बातों के लिए लम्बे फासले पर कोयला लाने ले जाने पर निर्बन्धन लगाया गया है क्योंकि यह सोचा गया था कि जहां परिवहन उपलब्ध होने पर निर्बन्धन लगाये गये हैं वहां दूसरा कोयला भेजा जाना चाहिये, मध्यम कोटि का कोयला नहीं ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** जिन मामलों में उपभोक्ता पहले ही कोयला धुलाई कारखानों के साथ ठेका कर चुके हैं और अब मध्यम कोटि के कोयले की जगह और कोई चीज देना कोयला धुलाई कारखानों के लिए संभव नहीं है, उन मामलों में क्या सरकार रेल द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति देगी क्योंकि रेल की तुलना में दूसरा परिवहन बहुत महंगा पड़ेगा ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यह कार्यवाही के लिए सुझाव है ।

†**श्री हेम बरुआ :** इस बात को देखते हुए कि समिति ने तापीय बिजली घरों की स्थापना और कोयला धुलाई कारखानों से प्राप्त होने वाले मध्यम कोटि के कोयले के उपयोग की सिफारिश की है, क्या इन सब योजनाओं को एक में मिला देने का सरकार का विचार है ? समिति की सिफारिशों को किस प्रकार इकट्ठा मिला देने का सरकार का विचार है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** समिति ने एक सामान्य सिफारिश की है कि कोयला धुलाई कारखानों में तैयार किया गया मध्यम कोटि का कोयला तापीय बिजली घरों में इस्तेमाल किया जाय । यह

---

†मूल अंग्रेजी में

सिफारिश मंजूर कर ली गयी है। उसको कार्यान्वित करने का मतलब यह है कि तापीय बिजली घर ऐसी जगह बनाये जायें कि उन्हें मध्यम कोटि का कोयला आसानी से पहुंचाया जा सके।

इस्पात कारखानों में कर्म समितियां

†*६३७. **श्री इन्द्र जीत गुप्त :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री १५ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारखाना अधिनियम के अधीन रूरकेला इस्पात कारखाने का पंजीकरण इस बीच किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कारखाने के लिए अब एक कर्म-समिति स्थापित की जायगी ;

(ग) क्या भिलाई इस्पात कारखाने में इस बीच एक संयुक्त समिति बनायी गयी है ;

(घ) दुर्गापुर इस्पात कारखाने के लिए कर्म समिति कब बनायी जायेगी ; और

(ङ) क्या इन तीनों कारखानों के लिए एक सी "परिवेदना प्रक्रिया" अब अन्तिम रूप से तैयार की जा चुकी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी हां।

(ख) कर्म समिति स्थापित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(ग) अभी नहीं, लेकिन संयुक्त समिति कायम करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(घ) दुर्गापुर इस्पात परियोजना में कर्म समिति बनाने के लिए प्रारम्भिक कार्यवाही की जा रही है और वह एक महीने के अन्दर ही स्थापित की जानी चाहिये।

(ङ) जी हां।

†**श्री इन्द्र जीत गुप्त :** क्या तीनों ही कारखानों के लिए यह एक सी परिवेदना प्रक्रिया उस प्रक्रिया के अनुसार होगी जिसे भारतीय श्रम सम्मेलन ने मंजूर कर लिया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** माननीय सदस्य संघों से सम्बन्धित हैं और अब तक वह इस प्रक्रिया से परिचित हो चुके होंगे। यदि वह अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं तो मैं वह दूंगा या सभा पटल पर रख दूंगा और माननीय सदस्य अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। प्रक्रिया से मेरे परिचित होने का प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न यह था कि क्या प्रस्तावित परिवेदना प्रक्रिया उस आदर्श के अनुरूप होगी या नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह तो यह कहने का कि माननीय मंत्री नोटिस चाहते हैं, एक अप्रत्यक्ष तरीका है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** कर्म समितियों के लिए निर्वाचन किये जायेंगे या कर्मचारी नामजद किये जायेंगे ? क्या निर्वाचन वर्तमान विधि के अनुसार किये जायेंगे और सभी संघों से इस विषय में परामर्श लिया जायेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैं यह मान लेता हूं कि विधि के उपबन्धों का पालन किया जायगा और कुछ कारखानों में निर्वाचन कराने के लिए कार्यवाही शुरू की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री काशी नाथ पांडे** : इन समितियों के कार्य क्या होंगे ? क्या इस्पात कारखानों में ऐसी समितियां बनाने का निश्चय करने से पहले श्रम मंत्रालय से परामर्श लिया गया था ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मुख्य कार्य नियमों और अधिनियम में ही दिये हुए हैं । श्रम मंत्रालय से सदा ही परामर्श किया जाता है ।

†**श्री काशी नाथ पांडे** : कौन सा अधिनियम ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : उस पर कई राज्यों में विधान है ।

†**श्री कासलीवाल** : माननीय मंत्री ने बताया है कि रूरकेला और दुर्गापुर के मामले में ही कर्म समितियां बनायी जायेंगी जब कि भिलाई के मामले में एक संयुक्त समिति बनायी जायगी ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इन विषयों पर कई राज्यों में विधान के उपबन्ध हैं । उड़ीसा अधिनियम रूरकेला पर और मध्य प्रदेश अधिनियम भिलाई पर लागू होता है । श्रम सम्बन्ध विभिन्न राज्यों के संविहित उपबन्धों से प्रशासित होते हैं और ये शब्दावलियां स्थानीय विधानों से ही ली गयी हैं ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या सरकार को इस सुझाव के कोई अभ्यावेदन मिले हैं कि सरकारी इस्पात कारखानों में औद्योगिक श्रमिक सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले ले और राज्य सरकारों पर न छोड़े और यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या राय है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : सुझाव और विरोधी सुझाव दिये गये हैं और जब तक वर्तमान स्थिति नहीं बदलती तब तक उसे ही सरकार की राय समझा जाना चाहिये ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : कारखाना अधिनियम के अधीन रूरकेला इस्पात कारखाना कब पंजीकृत किया गया था और कर्म समिति बनाने में देर के क्या कारण हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : कुछ ही महीने पहले अभी हाल ही में उसका पंजीकरण हुआ था । पहले भी एक बार मैंने बताया था कि उड़ीसा सरकार के श्रम विभाग और परियोजना अधिकारियों के बीच यह विवाद चल रहा था कि यह सम्पूर्ण कारखाना कारखाना अधिनियम के अधीन पंजीकृत किया जाना चाहिये या प्रत्येक विभाग को अलग अलग पंजीकृत किया जाये । वह मतभेद मिटाने में कुछ समय लगा और अब उसका पंजीकरण हो गया है ।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : क्या यह सच है कि रूरकेला कारखाने के कर्मचारियों में काफी असन्तोष है और उस कारण यहां काम अक्सर रोक दिया जाता है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं वह नहीं मानता ।

खम्भात का अशोधित तेल

+

†*६३८. **श्री कुन्हन** :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री ४ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४५२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद और बड़ौदा के उद्योगों द्वारा ईंधन के तौर पर खम्भात के अशोधित तेल के उपयोग किये जाने की संस्थापना की इस बीच छानबीन की गयी है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस परीक्षण का क्या परिणाम निकला ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)**: (क) और (ख). तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अहमदाबाद और बड़ौदा के उद्योगों द्वारा खम्भात के अशोधित तेल के उपयोग की योजना पर विचार कर रहा है और उसका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

श्री कुन्हन : बिहार और बंगाल क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में कोयला सप्लाई करने की कठिनाई को देखते हुए क्या यह बेहतर न होगा कि बम्बई गुजरात प्रदेश के उद्योग खम्भात तेल का उपयोग करें ?

श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : मैं पहले ही बता चुका हूं कि अंकलेश्वर तेल सप्लाई करने के मामले पर विचार हो रहा है ।

†**श्री कुन्हन** : विचार समाप्त करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : एक ऐसा प्रस्ताव है कि इस वर्ष के अन्त तक हम इन उद्योगों को प्रतिदिन १०० टन अशोधित तेल दे सकेंगे ।

†**श्री कासलीवाल** : अहमदाबाद और बड़ौदा के कितने उद्योगों ने अशोधित तेल के उपयोग के लिये आवेदन किया है और उनकी मांग कितनी है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: जो प्रस्ताव अभी विचाराधीन है वह गुजरात सरकार तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के बीच है । गुजरात सरकार स्वत: यह मालूम करेगी कि किन किन उद्योगों को तेल दिया जाये । हमने बड़ौदा और अहमदाबाद के कई उद्योगों को अस्थायी तौर पर सम्भात से अशोधित तेल सप्लाई करना सिद्धान्त रूप से मान लिया है, । तेल का दाम अभी निर्धारित करना है और शायद कुछ ही हफ्तों में हम किसी समझौते पर पहुंच जायेंगे । उसके बाद गुजरात सरकार खम्भात तेल क्षेत्रों से तेल सप्लाई करने की व्यवस्था करेगी ।

†**श्री मो० ब० ठाकुर** : इन उद्योगों की अशोधित तेल की कुल आवश्यकता कितनी है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : सम्पूर्ण उद्योगों की कुल आवश्यकता जितना हम सप्लाई कर सकते हैं उससे कहीं अधिक है । यह कोई बहुत अच्छी कल्पना नहीं है कि अशोधित तेल जो बहुत कीमती होता है, जलाने के लिये दिया जाये । जैसा कि मैंने बताया, यह एक अस्थायी व्यवस्था है । खम्भात तेल की जितनी भी सप्लाई हम कर सकते हैं, करने की हर कोशिश करेंगे क्योंकि हमें उस क्षेत्र में कोयले की कमी की अस्थायी समस्या दूर करनी है ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि कैम्बे में जो तेल का उत्पादन है उसकी क्षमता क्या है और रिफाइनरी का जो इन्तिजाम अहमदाबाद वगैरह में है, उसमें कितना तेल रिफाइन हो सकता है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : यह तो एक बड़ा सवाल है जो कि इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है कि इण्डस्ट्रीज को कितना क्रूड आइल दिया जाएगा । वहां की क्षमता के बारे में यदि माननीय सदस्य कोई दूसरा सवाल रखें तो मैं उसका उत्तर दे दूंगा ।

†**श्री दामानी** : क्या वह अशोधित तेल कुओं से सीधे सप्लाई किया जायेगा या साफ किया जायेगा ? यदि वह साफ किया जायेगा तो वह कौन करने वाला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय** : साफ नहीं किया जायेगा । वह सीधे तेल क्षेत्रों से दिया जायेगा ।

कच्छ में तेल की खोज

†*६३९. **श्री खीमजी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्छ में तेल और गैस की खोज के लिये जांच पड़ताल किस दशा में है;

(ख) क्या अब तक किये गये जांच पड़ताल से कच्छ में तेल और गैस मिलने की सम्भावना का संकेत मिलता है;

(ग) क्या यह सच है कि जखाऊ बन्दरगाह और सुजापुर के बीच लगभग ३५० वर्गमील के क्षेत्र में पश्चिमी कच्छ में तेल मिलने की सम्भावना के बारे में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने सरकार को सूचना दी है; और

(घ) यदि हां, तो उस सूचना के विषय में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) जांच पड़ताल अभी प्रारम्भिक दशा में है ।

(ख) अभी इस दशा में कुछ कहना अपूर्ण होगा ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री खेमजी** : क्या यह सच है कि कच्छ में तेल की खोज के लिये इटली राज्य की तेल कम्पनी और भारत सरकार के बीच बातचीत चल रही है और यदि हां, तो यह बातचीत किस दशा तक पहुंची है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी हां । यह ठीक है कि कच्छ क्षेत्र में तेल की खोज के सम्बन्ध में भारत सरकार का तेल और प्राकृतिक गैस आयोग इटली की फर्म के साथ बातचीत कर रहा है । बातचीत का एक दौर पूरा हो चुका है। हम यह मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस क्षेत्र में खोज की किसी योजना पर हम सहमत हो सकते हैं या नहीं ।

भारतीय विमान बल के डकोटा के साथ दुर्घटना

†*६४०. **श्री तंगा मणि** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री पांगरकर :
श्री सरजू पांडेय :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमान बल का एक डकोटा ८ मई, १९६१ को या उसके लगभग जोधपुर से हैदराबाद तक अपनी उड़ान में बेगमपेठ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया;

(ख) यदि हां, तो उस दुर्घटना में जानमाल की कितनी हानि हुई;

(ग) क्या दुर्घटना के कारणों के बारे में इस बीच जांच की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) दुर्घटना ७ मई, १९६१ को हुई ।

(ख) भारतीय विमान बल के चार कर्मचारी मर गये और विमान नष्ट हो गया ।

(ग) जी हां ।

(घ) दुर्घना का कारण ठीक ठीक मालूम नहीं किया जा सका । सम्भवतः उसका कारण यह था कि विमान चालक रात के समय ऊंचाई ठीक तौर पर नहीं समझ सका या उसने ऊंचाई गलत पढ़ी।

†**श्री तंगा मणि** : बताया गया है कि चार विमान चालक मर गये । मैं यह जानना चाहता हू कि कुल कितने आदमी थे और क्या कोई बच गया है ?

†**सरदार मजीठिया** : विमान में केवल चार ही आदमी थे ।

†**श्री तंगामणि** : ऐसी दुर्घटना पहली बार नहीं हुई है मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस विशिष्ट दुर्घटना के मामले में भी यह मालूम करने के लिये कोई अलग जांच की गयी थी कि विमान के उड़ने से पहले हर बात की ठीक ठीक जांच कर ली गयी थी ।

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : इसके लिये निश्चित प्रक्रिया है । भारतीय विमान बल में कोई दुर्घटना होने पर निश्चित प्रक्रिया के अनुसार जांच करनी होती है और कोई विशेष जांच उससे भिन्न नहीं होती । सामान्यतया कोई भी विमान आवश्यक निरीक्षण, विमान चालकों को हिदायतें और उसी तरह की दूसरी बातों के बगैर उड़ान नहीं लेता । लेकिन मालवाहक विमानों के मामले में दुर्घटनायें रोकी नहीं जा सकतीं ।

†**श्री त्यागी** : चूंकि डकोटा अब सारी दुनिया में प्रायः पुराना हो गया है क्या उसे रद्द कर देने या उसकी जगह दूसरा विमान लाने का सरकार का विचार है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता । प्रत्येक विमान जो उड़ता है, उड़ने योग्य होता है अन्यथा उसे उड़ने की अनुमति नहीं दी जायगी ।

†**श्री जोकीम अल्वा** : मृत व्यक्ति के आश्रितों को क्षतिपूर्ति के दर बढ़ाने का कोई मौका माननीय मन्त्री को मिला है या दर अब भी पुराने स्तर पर ही हैं । क्या क्षतिपूर्ति आश्रितों को उदारता से दी जाती है ?

†**सरदार मजीठिया** : यह प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता लेकिन लोगों को जितना मिलना चाहिये उतना दिया जायगा ? इस मामले में यदि दो विमान चालकों के आश्रित आवेदन करें कि उनकी हालत अच्छी नहीं है तो उन्हें जो उचित होगा वह दिया जायगा ।

†**श्री जोकीम अल्वा** : क्या ऐसा कोई नियम है कि दुर्घटना के बाद २४ घंटे के अन्दर ही जन सम्पर्क पदाधिकारी जनता को या समाचार पत्रों को दुर्घटना के बारे में सूचना दे देता है ?

†**सरदार मजीठिया** : उसके बारे में कोई नियम नहीं है । लेकिन दुर्घटनाओं के मामले में सामान्यतया यह होता है कि यदि सरकार उसे इस सदन के सदस्यों के ध्यान में लाना उचित समझती है, तो हम स्वतः ही वैसा अवश्य करते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तान द्वारा आकाश सीमा का अतिक्रमण

†*६४१. { श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री आसर :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ में अबतक भारतीय आकाश सीमा के पाकिस्तान द्वारा किये गये अतिक्रमणों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) १९६० में किये गये अतिक्रमणों की संख्या की तुलना में वे कम हैं या अधिक ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन): (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखियें परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६१]

(ख) १९६१ के (१-८-१९६१ तक) सात महीनों में १४ बार अतिक्रमण हुआ है जबकि १९६० में १६ बार अतिक्रमण हुआ था।

†श्री स० मो० बनर्जी : विवरण से पता लगता है कि कुल १४ अतिक्रमणों में से केवल जनवरी में ५ अतिक्रमण हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सभी मामलों में भारत सरकार ने विरोध प्रकट किया था तथा क्या १९६० तथा १९६१ के इन अतिक्रमणों के बारे में पाकिस्तान से कोई उत्तर मिला है ?

†श्री कृष्ण मेनन : यदि यह अतिक्रमण युद्ध विराम रेखा के पार होते हैं तो इस की सूचना संयुक्त राष्ट्र कमिशन को दे दी जाती है तथा वह इसका निर्णय करते हैं कि अतिक्रमण हुआ है अथवा नहीं। वह एक प्रकार का पंचाट होता है। एक दो मामले में हमने शिकायतों को वापस ले लिया है क्योंकि अतिक्रमण होने पर भी हम उनको सिद्ध नहीं कर सके। पाकिस्तान को विरोध पत्र भेजने पर उन्होंने अतिक्रमणों से इन्कार कर दिया और कहा कि जांच से पता लगता है कि चारों मामलों में पाकिस्तानी विमान उड़ा ही नहीं। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा है कि जब सीमा क्षेत्रों में पाकिस्तानी विमान उड़ाये जायेंगे तो पाकिस्तान सरकार इसकी पूर्व सूचना भारत सरकार को दे देगी और अपने विमान चालकों को भी सावधानी बरतने के लिए कह देगी। दूसरे मामले में उन्होंने बताया कि एक विश्व संस्था का हैलीकाप्टर उड़ा था तथा पाकिस्तानी नहीं था।

एक और मामले में उन्होंने कहा कि एक पाकिस्तानी फाइटर विमान द्वारा फोटो लेने के लिए उड़ाया गया था परन्तु उसने आकाश सीमा का उल्लंघन नहीं किया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनके अनुसार अतिक्रमण नहीं हुआ।

†श्री वाजपेयी: आकाश सीमा के उल्लंघन युद्ध विराम रेखा पर ही हुए हैं अथवा पाकिस्तानी विमान हमारे प्रदेश में अन्दर तक घुस आये थे ?

†श्री कृष्ण मेनन : मैं आंकड़े बता चुका हूं। १९६० के १६ अतिक्रमणों में से चार युद्ध विराम रेखा पर थे तथा १२ अन्य क्षेत्रों में हुए थे। इन चार के बारेमें ही हम ने शिकायत वापस

---

†मूल अंग्रेजी में

ले ली थी क्योंकि हम उन्हें सिद्ध नहीं कर सके । एक मामले को बाद में वापस ले लिया गया । एक शिकायत पहचान ठीक न होने के कारण की ही नहीं गई । केवल दो बाकी रहीं जिनकी सैनिक पर्यवेक्षकों ने अतिक्रमण ही नहीं माना ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : सभा पटल पर रखे गये विवरण में बताया गया है कि विमान हमारे प्रदेश में १५ मील की दूरी तक ही नहीं अपितु ३५ मील की दूरी तक घुस आये थे इतने अन्दर तक आ जाने पर भी पाकिस्तानी विमानों को गिराया नहीं जा सका ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : जब इस प्रकार की घटना होती है तो विमान पर एकदम सैनिक हमला नहीं किया जाता क्योंकि ऐसा युद्ध कालमें किया जाता है । इसके अतिरिक्त विमान के लिए ३५ मील की दूरी बहुत थोड़ी होती है । सरकार की भी यह नीति नहीं है कि अतिक्रमण करने वाले सभी विमानों को मार गिराये क्योंकि ऐसा भी संभव है कि यह विमान लौट जाये और इनका पता न लग सके । इसलिए ३५ मील की दूरी बहुत थोड़ी दूरी है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : एक विमान भारतीय क्षेत्र में भटिंडा के दक्षिण-पूर्व में ३५ मील तक आ गया था और फिरोज़पुर के निकट से वापस लौट गया । एक दूसरे मामले में चार से छः पाकिस्तानी विमान भारतीय आकाश सीमा में घुस आये थे । १०, १५ तथा १२ मील तक घुस आने के कई मामले हुए हैं । क्या पाकिस्तानी विमान इसी प्रकार हमारे प्रदेश में घुसते रहेंगे और हम कुछ भी नहीं करेंगे ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : यह कहना ठीक नहीं है कि कुछ नहीं किया गया क्योंकि हमारे उनके साथ राजनैतिक सम्बन्ध हैं । हमने राजनैतिक स्तर पर इन प्रश्नों को उठाया है । यह भी तो एक कार्यवाही है । एकदम विमानों पर गोली तो नहीं चलाई जा सकती । यदि इन अतिक्रमणों से हमारी सुरक्षा भंग होगी तो भारत सरकार विचार करेगी कि क्या कार्यवाही की जाये ।

†**श्री रंगा** : रूस तथा अमरीका के राजनैतिक सम्बन्ध हैं परन्तु फिर भी अमरीका के विमान को गोली से मार गिराया गया था । मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार भी पाकिस्तानी विमानों को इतने वर्षों से क्यों नहीं गिराती है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : अमरीका तथा रूसके लिये मैं उत्तर नहीं दे सकता हूं परन्तु हम ऐसा नहीं करते हैं ।

†**श्री रंगा** : क्या हमने उन्हें बताया है कि यदि वह ऐसा करते रहे तो उनके विमान को गिराया जा सकता है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : हम ने विमानों को गिराने के बारे में कुछ नहीं कहा है । हमने अतिक्रमण न करने को कहा है । यह राजनैतिक मामला है ।

†**श्री वी० चं० शर्मा** : १३ फरवरी, १९६१ को एक पाकिस्तानी विमान १०.५५ बजे हमारे क्षेत्र में आया और ११.०६ तक रहा । ११ मिनट तक वह हमारे क्षेत्र में रहा और ४०० मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रहा था । मैं जानना चाहता हूं कि इतनी अवधि तक हमारे क्षेत्र में रहने वाले विमानों के मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कृष्ण मेनन** : मैंने प्रश्न सुना नहीं। विवरण में समय का उल्लेख नहीं है। उसमें कहा गया है कि '११.०६' बजे। यह नहीं कहा गया है कि '११.०६ बजे तक'।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल अब समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आयुध कारखानों में इस्पात का उत्पादन

†*६४२. **श्री पांगरकर** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री २८ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात बनाने के लिये आयुध कारखानों की क्षमता को सन्तुलित करने और आधुनिक बनाने की योजनायें अन्तिम रूप से तैयार की जा चुकी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां। मैटल एण्ड स्टील फैक्टरी, ईशापुर में स्टील रालिंग मिल्स को सन्तुलित करने और आधुनिक बनाने के प्रस्ताव को सरकार ने अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया है। आयुध कारखाने, कानपुर में स्टील रोलिंग मिल्स को सन्तुलित करने और आधुनिक बनाने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है और आशा है कि सितम्बर १९६१ तक कार्यक्रम के ब्यौरों को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

(ख) आशा है कि कारखाने को आधुनिक बनाने के बाद मैटल एण्ड स्टील कारखाने की इस्पात गलाने की क्षमता बहुत बढ़ जायेगी।

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा

†*६४३. **श्री कोडियान** : क्या शिक्षा मंत्री २२ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व-प्राथमिक शिक्षा और अध्यापक-प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम तैयार करने के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा नियुक्त अखिल भारतीय समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है और रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) आशा है कि शिशु रक्षा समिति अपना प्रतिवेदन मार्च, १९६२ तक प्रस्तुत कर देगी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

अशोधित तेल को साफ करने की लागत

†*६४४. **श्री सुब्ट्या अब्बलम्** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में तेल साफ करने की लागत के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो बर्मा शैल द्वारा तेल साफ किये जाने की लागत की तुलना में यह कम है या अधिक ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आकाश सीमा का अतिक्रमण

†*६४५. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १३ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १४८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तानी विमानों द्वारा भारतीय आकाश सीमा के चार अतिक्रमणों के सम्बन्ध में भेजे गये विरोधपत्रों का पाकिस्तान सरकार की ओर से यदि कोई उत्तर प्राप्त हुआ है तो वह क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : पाकिस्तान सरकार ने अतिक्रमणों से इन्कार कर दिया है ।

बैंकों को मंजूर किया गया शोध-विलम्ब-काल[1]

†*६४६. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० गं० देव :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री तंगामणि :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन महिनों में काफी संख्या में बैंकों को शोध-विलम्ब-काल मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो किन किन बैंकों को और कितनी अवधि के लिए; और

(ग) शोध-विलम्ब-काल मंजूर करने के सामान्यतया क्या कारण थे ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) १ मई, १९६१ से सत्रह बैंकों को शोध-विलम्ब-काल मंजूर किया है ।

(ख) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सम्बद्ध है । **[देखिये परिषिष्ठ १, अनुबन्ध संख्या ६२]**

---

†मूल अंग्रजी में

[1]Moratorium.

(ग) निक्षेपकों के हितों की रक्षा के लिए बैंकों के पुनर्गठन तथा विलीनीकरण की सुविधायें देने के लिए आदेश दिये गये थे ।

दिल्ली विश्वविद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्षों का प्रशिक्षण

†*६४७. **श्री अरविंद घोषाल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राकफेलर फाउन्डेशन ने भारत में पुस्तकालयाध्यक्षों के उच्चतर प्रशिक्षण के विकास के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय को कोई धन दिया है : और

(ख) यदि हां, तो वह रकम कितनी है और उसका उपयोग किस तरह किया जायगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

राकफेलर फाउन्डेशन ने शिकागो, हलिनायस की अमरीकी पुस्तकालय संस्था के सहयोग से पुस्तकालय प्रशिक्षण का कार्यक्रम बनाने की लागत के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय को १९०,००० डालर का अनुदान देने की सूचना दी है । १९६१ से आरंभ हो कर अनुदान पांच वर्षों तक दिया जायेगा और दिल्ली विश्वविद्यालय निम्नलिखित कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए इसका उपयोग करेगा :

(क) विश्वविद्यालय के पुस्तकालय विज्ञान के अध्यापकों का व्यवासायिक विकास, विश्वविद्यालय अध्यापन साधनों का पता लगाने के लिए अमरीका के प्रोफेसरों द्वारा भाग लेना, तथा अध्यापन कार्यक्रम बनाना ;

(ख) गवेषणा कार्य में रुचि रखने वाले योग्य विद्यार्थियों तथा लाइब्रेरियनों को छात्रवृत्ति तथा गवेषणा छात्रवृत्ति ; और

(ग) व्यावसायिक पुस्तकालय का विकास तथा सामग्री, वस्तुओं और यंत्रों का क्रय ।

प्राथमिक स्कूलों के लिये पुस्तकें

*६४८. **श्री नवल प्रभाकर** :
श्री हेम बरुआ :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में प्राथमिक स्कूलों के छात्रों को अच्छी छपाई वाली पुस्तकें देने की व्यवस्था की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ये पुस्तकें सब प्रादेशिक भाषाओं में छापी जायेंगी ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बच्चों के लिए पुस्तकें तैयार और प्रकाशित कराने की एक योजना तैयार की गई है, जिसकी परीक्षा की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वनस्पतिशास्त्र विशेषज्ञों का रूसी शिष्टमंडल

†*६४९. { श्री आचार :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस से वनस्पतिशास्त्र विशेषज्ञों का एक रूसी शिष्टमंडल अभी हाल भारत में आया था ;

(ख) यदि हां, तो उसकी यात्रा का प्रयोजन क्या था और उसने क्या कार्य किया ;

(ग) क्या ऐसा ही एक शिष्टमंडल रूस भेजने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो उस शिष्टमंडल की रचना किस प्रकार होगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी हां।

(ख) रूसी वनस्पति शास्त्रियों ने अपने देश में अध्ययन के लिए पेड़ पौधों के नमूने लिए हैं। उन्होंने कुछ हरे पौधों को खरीदा है जिससे अपने वनस्पति बागानों में उन पर प्रयोग कर सकें।

(ग) और (घ). जी हां। भारतीय वनस्पति शास्त्रियों के दल के गठन पर विचार हो रहा है।

नौसैना का लापता विमान

†*६५०. { श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री आसर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
डा० क० ब० मेनन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नौसेना का 'सी हॉक' विमान जो पाइलट आफ़िसर, अरविन्द गणेशजोग, द्वारा चलाया जा रहा था और जो सोमावर, १२ जून, १९६१ की रात को हैवरफोडवेस्ट के पास ब्राडी में ब्रिटिश नौसेना हवाई अड्डे से उड़ा हुआ बताया गया, अपने अड्डे पर वापिस नहीं लौटा ;

(ख) यदि हां, तो उस विमान का पता लगाने के लिए की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसका नतीजा क्या निकला ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). अधिकारियों ने तुरन्त कार्यवाही की थी तथा पुलिस और लाइफ़ बोट सर्विस समेत सभी अभिकरणों को सावधान कर दिया गया था। रायल नैवी, रायल एयरफोर्स तथा

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय नौसेना के विमानों द्वारा भूमि और समुद्र सभी जगहों पर तलाश की गई परन्तु विमान चालक का कोई पता नहीं लगा। १३ जून, १९६१ को १६.०० बजे खोज समाप्त कर दी गई।

सांस्कृतिक संगठनों को अनुदान

†*६५१. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सांस्कृतिक कार्यों के विकास के लिए संगठनों को अनुदान देने की कसौटी क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है कि जो अनुदान दिये जाते हैं क्या उन्हें उचित रूप से खर्च किया जाता है ; और

(ग) क्या सरकार ने समय-समय पर यह अन्दाज लगाया है कि ऐसे प्रत्येक संगठन ने क्या प्रगति की है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) समस्त भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान दिए जाते हैं।

(ख) और (ग). जी हां।

नोट छापने वाला मुद्रणालय

*६५२. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक और नोट छापने वाला मुद्रणालय (करंसी नोट प्रेस) स्थापित करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके लिये कौन सा स्थान चुना गया है ;

(ग) उस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ; और

(घ) निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होने की आशा है ?

वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा): (क) से (घ). करेंसी नोच छापने का नया छापाखाना नासिक रोड के मौजूदा छापेखाने के पास ही लगभग १ करोड़ ४२ लाख रुपये की लागत से तैयार हो गया है और काम शुरू होने वाला है। करेंसी नोट छापने का दूसरा छापाखाना खोलने का अभी कोई विचार नहीं है।

आई० एन० एस० 'हमला'

†*६५३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नार्वे के चार व्यक्तियों के एक परिवार को रविवार, १८ जून, १९६१ की रात को मोरमी में नौसेना के जहाज आई० एन० एस० 'हमला' से थोड़ी ही दूरी पर समुद्र में १२ घंटे परेशानी बर्दाश्त करनी पड़ी लेकिन बंबई के नौसैनिक बन्दरगाह के अधिकारियों तथा असैनिक अधिकारियों को उनकी हालत की सूचना मिलने पर भी उन्होंने बचाने की कोशिश नहीं की क्योंकि उनके पास नौकाएं नहीं थीं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस मामले का पूरा-पूरा विवरण क्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

प्रतिरक्षा मंत्रालय से संबंधित आई० एन० एस० 'हमला' के बारे में १८ जून, १९६१ की घटना के तथ्य नीचे दिए जाते हैं :—

एक महिला, जिसने अपना व्यक्तित्व नहीं बताया था, का १८ जून, १९६१ को १२-४० बजे आई० एन० एस० 'हमला' पर एक टेलीफोन मिला था कि उन्होंने क्षितिज में एक 'चमक'[1] देखी थी और क्या मामले की जांच के लिये कोई नाव भेजी जा सकती है । महिला 'चमक' का प्रकार, दिशा तथा दूरी के ब्योरे नहीं बता पाई । इसके बाद आई० एन० एस० 'हमला' के ड्यूटी अफसर ने पुलिस से संबंध बनाने का प्रयत्न किया परन्तु उनको सफलता नहीं मिली । इसके बाद ड्यूटी अफसर अपने साथ चीफ़ पैटी अफसर को अपने साथ लेकर स्वयं मामले की जांच के लिए किनारे की ओर चल दिया । उन्हें कोई भी सिग्नल नहीं दिखाई दिया । क्योंकि आई० एन० एस० हमला पर पावर बोट नहीं थी इसलिए समुद्र में बचाव कार्यवाही नहीं की जा सकी ।

लद्दाख के खनिज स्रोत

†*६५४. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने लद्दाख (जम्मू और काश्मीर) के खनिज स्रोतों की खोज और उनसे खनिज की निकासी के लिये कोई योजना तैयार की है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : जी, हां । भारत भूतत्वीय परिमाप विभाग का विचार १९६१–६२ में प्रावेक्षण तथा उत्खण्डन सर्वेक्षण[2] करने के लिये लद्दाख में एक दल भेजने का है ।

भारत को अमरीका से सैनिक सहायता

†*६५५. **श्री हेम बरुआ** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान १८ जून, १९६१ को कराची से भेजे गये इस आशय के वाशिंगटन समाचार की ओर, कि 'बिना किन्हीं राजनैतिक शर्तों के', अमरीका से भारत के सैनिक सहायता प्राप्त करने की सम्भावना अब हो गयी, दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह वक्तव्य सच है; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर हां हो, तो सुझाव के अनुसार अमरीकी सहायता के प्रश्न पर किस प्रकार की बातचीत हुई ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) सरकार ने समाचार पत्रों में समाचार देखा है ।

(ख) हम समझते हैं कि समाचार में कोई सच्चाई नहीं है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Glose

[2]Reconnaissance and traverse Survey

खर्च न किया गया जापानी ऋण

†*६५६. {**श्री जीनचन्द्रन् :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये जापान सरकार ने जो २१० लाख डालर का ऋण भारत को दिया था उसका अधिकतर हिस्सा खर्च नहीं किया जा सका ;

(ख) यदि हां, तो कितना हिस्सा खर्च नहीं किया गया और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस ऋण से सम्बद्ध विशेष शर्तें क्या हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) ऋण भारत को जापानी निर्यात सम्बन्धी सम्भरणकर्त्ता ऋण की अधिकतम सीमा जैसा है । आठ वर्षों में आस्थगित भुगतान की व्यवस्था है तथा ठेके की तिथि से दो वर्ष की अनुग्रह अवधि देने की भी व्यवस्था है । ऋण के अधीन ३०,००० अमरीकी डालर के मूल्य के ठेकों को धन दिया जायेगा ।

सरकारी कर्मचारी और निर्वाचन के सिलसिले में की जाने वाली सभायें

†*६५७. {**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
श्री वाजपेयी :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन के सिलसिले में की जाने वाली सभाओं में सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति पर रोक लगाने के सम्बन्ध में गृह-कार्य मन्त्रालय ने कोई नये आदेश जारी किये हैं;

(ख) क्या यह रोक केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित है या इस आदेश के लिये राज्य सरकारों की सहमति भी प्राप्त की गयी है जिससे वह राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू की जा सके; और

(ग) क्या सार्वजनिक तथा राजनैतिक सभाओं में सरकारी कर्मचारियों का भाग लेना अथवा उनकी उपस्थिति भी निषिद्ध है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) और (ख). गृह मन्त्रालय ने केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिये नये आदेश जारी नहीं किये हैं । परन्तु निर्माण आवास और सम्भरण मन्त्रालय द्वारा गत जून में पूछे जाने पर गृह-कार्य मन्त्रालय में उनको परामर्श दिया था कि सरकारी कर्मचारियों को, सुरक्षा के कारणों के लिये तथा शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये आवश्यक सीमा के अतिरिक्त अन्य किसी रूप में राजनैतिक दलों द्वारा संगठित निर्वाचन की सभाओं में भाग नहीं लेना चाहिये । निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्रालय ने अपने कर्मचारियों को यही बात बता दी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) सामान्यतः सार्वजनिक सभाओं के जाने के लिये सरकारी कर्मचारियों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। परन्तु केन्द्रीय असैनिक सेवा (आचरण) नियमों के नियम ४ के अधीन राजनैतिक बैठकों के बारे में बताया गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी राजनैतिक दल अथवा राजनीति में भाग लेने वाले, सहायता देने वाले किसी संगठन के आन्दोलन अथवा कार्य में भाग नहीं लेगा।

अफीम कारखाना, गाजीपुर

†*६५८. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **वित्त** मन्त्री उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में सरकारी अफीम कारखाना और बागान के कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में २१ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १९५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के प्रकाशन के बाद निम्नलिखित के बारे में सरकार ने क्या अन्तिम निर्णय किया है :—

(१) संस्था के लाभ में से बोनस का दिया जाना ;
(२) कारखानों में काम से कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव को देखते हुए काम के घंटे कम कर देना ;
(३) सवैतनिक छुट्टियों की संख्या १२ से २३ तक बढ़ा देना;
(४) सेवानिवृत्ति लाभ; और
(५) अंशदायी भवष्यि निधि ।

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६३]**

नागा विद्रोही

†*६५९. **श्री लैं० अवो सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई १९६१ में मनीपुर के माओ मरम क्षेत्र से पांच नागा विद्रोही सुरक्षा अधिनियम या निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत पकड़े गये थे;

(ख) क्या वे किसी बांड पर हस्ताक्षर करने के बाद छोड़ दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें किन परिस्थितियों में पकड़ा तथा छोड़ा गया ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ग). ६ जुलाई, १९६१ को मनीपुर में निवारक निरोध अधिनियम के अधीन पांच व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया था क्योंकि वह नागा विद्रोहियों का समर्थन कर रहे थे और आवश्यक था कि उनको शान्ति बनाये रखने के लिये नजरबन्द किया जाये। बौंड तथा जमानत पर उनको एक महीने के लिये २९ जुलाई, १९६१ को छोड़ दिया गया था। १४ अगस्त, १९६१ को चीफ कमिश्नर ने निरोध आदेश वापस ले लिये क्योंकि उन्होंने भविष्य में अच्छा व्यवहार करने का व्यक्तिगत आश्वासन दे दिया था।

औषधीय जड़ी बूटी अनुसन्धान

†*६६०. **श्री प्र० गं० देव** :
श्री सै० अ० मेहदी :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधीय जड़ी बूटियों का अनुसन्धान करने की कोई नई योजना है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)**: (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा

†*६६१. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम राज :
श्री विभूति मिश्र :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री चुनी लाल :

क्या **शिक्षा** मन्त्री १७ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा की योजना को अनुमोदित तथा कार्यान्वित करने की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : योजना अभी विचाराधीन है।

लौह अयस्क का चूरा

†*६६२. **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री १७ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह अयस्क के चूरे के उपयोग की समस्या का अध्ययन करने के लिये जो समिति नियुक्त की गई थी क्या उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या क्या सिफारिशें की गई हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० डे० मालवीय)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

जैसलमेर में तेल

†*६६३. श्री पांगरकर :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री दामानी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री १७ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच जैसलमेर क्षेत्र में तेल की खोज करने के लिये विदेशी तेल कम्पनियों से प्राप्त हुए प्रस्ताव पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां।

(ख) फ्रान्स और भारत के बीच बातचीत होने के फलस्वरूप तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और फ्रेंच पैट्रोलियम संस्था फ्रांसीसी सरकारी संस्था, के बीच समझौता हुआ है कि तीन वर्ष की अवधि के लिये जैसलमेर क्षेत्र में वह तेल की खोज करेगी। उस खोज कार्य पर लगभग ४ करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान है और फ्रांसीसी सरकार इसकी व्यवस्था ऋण देकर करेगी। दोनों सरकारें ऋण की शर्तों पर बातचीत कर रही हैं।

स्टैण्डर्ड वैकुअम से बातचीत बीच में रुक गई थी परन्तु पुनः आरम्भ होने वाली है।

तेल की खोज करने के लिये प्रशिक्षित कर्मचारी

†*६६४. श्री नेक राम नेगी :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल की खोज के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों सम्बन्धी वर्तमान स्थिति सन्तोषजनक है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में स्थिति सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) भूतत्वीय तथा भूभौतिकीय कर्मचारियों की स्थिति सन्तोषजनक है। ड्रिलिंग के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी है।

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग भारत में ड्रिलिंग के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहा है। इसके बहुत से कर्मचारी ड्रिलिंग का प्रशिक्षण लेने के लिए विदेश गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

न्यायाधीशों की अखिल भारतीय तालिका

†*६६५. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री नेक राम नेगी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २६ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १७३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे गये व्यक्तियों की अखिल भारतीय तालिका बनाने में अब तक और क्या प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** २६ अप्रैल, १९६१ को तारांकित प्रश्न संख्या १७३१ का उत्तर देने के बाद से पंजाब से और तालिका मिली है ।

सह-शिक्षा

†*६६६. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सह-शिक्षा के बारे में राज्य सरकारों से कोई परामर्श किया है ;

(ख) सरकार की क्या योजनायें हैं और वह किस स्तर पर और किस प्रक्रम तक सह-शिक्षा के पक्ष में है ; और

(ग) क्या सकार के निर्णय के वित्तीय परिणामों का अनुमान लगा लिया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) कोई परामर्श नहीं किया गया ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६४]**

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कोयला खानों के लिये जल-संभरण योजनायें

†*६६७. **श्री कुन्हन :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने इस बीच जल संभरण सम्बन्धी अपनी योजनायें पूर्ण ब्यौरा सहित कोयला खान कल्याण संघ को भेज दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त योजना के लिए इस संघ से कितना अनुदान मिला था ; और

(ग) बोकारो/कारगली में जल का संभरण बढ़ाने का काम कब आरम्भ होगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). लगभग ७ लाख रुपये के व्यय से कथारा कोयला खान की जल संभरण योजना आरम्भ कर दी गई है । योजना का एक भाग पूरा हो चुका है और वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त जल संभरण हो रहा है । योजना पूरी हो जाने पर लगभग ७००० लोगों को पानी मिल जायेगा । कारगली और बोकारो की योजनायें बन रही हैं और आशा है कि क्रमश: अक्तूबर और दिसम्बर १९६१ तक पूरी हो जायेंगी और कोयला खान कल्याण बोर्ड को सौंप दी जायेंगी । इस बीच दोनों कोयला खानों

---

†मूल अंग्रेजी में

के लिए ३ लाख रुपये तथा ६ लाख रुपये की अस्थायी योजनायें बनाई जा रही हैं । यह अस्थायी योजनायें बड़ी योजना में शामिल कर दी जायेंगी ।

इन योजनाओं तथा करनपुरा के लिए कोयला खान कल्याण निधि से ८ लाख रुपये की सहायता मिलने की आशा है ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में हड़ताल

*६६८. **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री मुरारका :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने में १९६१ के मई मास में हड़ताल हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ;

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) इस हड़ताल के कारण कितनी हानि हुई ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). जी हां । २७ तारीख रात्रि के ९ बजे से लेकर २८ तारीख रात्रि के ९ बजे तक । दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कुछ कर्मचारियों और पुलिस में झगड़ा हो गया था । ये कर्मचारी अपने अपने काम के पश्चात् बसों में बैठ कर बस्ती को लौट रहे थे । पुलिस ने रास्ते में को अस्थायी रूप से बन्द कर रखा था क्योंकि इस रास्ते पर कुछ राजनैतिक दल आसाम में गोली चलाई जाने के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे । इस झगड़े में कुछ कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया इसके बाद बसों में प्रवेशारोध कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप कारखाने में केवल कुछ कर्मचारी ही काम पर आ सके । फिर भी कारखाने में पहले ही से उपस्थित कर्मकारों तथा पश्चिमी बंगाल की सरकार द्वारा दुर्गापुर में तैनात राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल के २०० सदस्यों की सहायता से अत्यावश्यक सेवायें चालू रखी गईं ।

(घ) लगभग १·४ लाख रुपये ।

सशस्त्र सेना मुख्यालयों का प्रतिरक्षा मंत्रालय के साथ मिलाया जाना

†*६६९. **श्री स० मो० बनर्जी :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय के तथा नई दिल्ली में सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालयों के कर्मचारियों को मिलाने का कोई प्रस्ताव है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इस विलय से सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालयों के कर्मचारियों को लाभ होगा ; और

(ग) यदि हां, तो कैसे और किस तरह होगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां । प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

अन्नपूर्णा अभियान

†*६७०. **श्रीमती मैमूना सुलतान** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना कर्मचारियों के एक दल ने मई, १९६१ में अन्नपूर्णा-३ पर चढ़ाई की थी ;

(ख) यदि हा, तो चढ़ाई में कौन कौन व्यक्ति सफल रहे ; और

(ग) उनके साहसिक कार्य के लिए उन्हें क्या सम्मान/इनाम दिये गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) अन्नपूर्णा-३ अभियान में तीन सदस्य नौसेना, एक स्थल सेना एक वायु सेना तथा दो असैनिक थे ।

(ख) शिखर पर निम्नलिखित व्यक्ति चढ़े :—

१. इंस्ट्रक्टर लैफ्टीनेंट एम० एस० कोहली , आइ० एन०

२. श्री सोनाम ग्यात्सो

३. श्री सोनाम गिरभी (शेरपा सरदार)

(ग) भारतीय पर्वतीय अभियान की चढ़ाई करने वाली समिति सदस्यों को खुदे हुए यादगार पत्र देने का प्रबन्ध कर रही है ।

कोयला उपकर

†*६७१. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री मती इला पालचौधरी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला पर उपकर लगाने का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी दर क्या होगी और इससे कितनी आय होने की आशा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा अधिनियम १९५२) के अधीन कोयले पर लगाया गया उत्पादन शुल्क ८—६—१९६१ से प्रति टन ८० नये पैसे बढ़ा दिया गया है । उसी तिथि से कोयला तथा सोफ्ट कोक पर

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्पादन कर १.६८ रुपये प्रति टन तथा हार्ड कोक पर २.५२ रुपये प्रति टन है। आशा है कि इससे ४ करोड़ रुपये वार्षिक की अतिरिक्त आय हो जायेगी और यह धन राशि रेल व समुद्र के मार्ग से पश्चिम बंगाल तथा बिहार की कोयला खानों से दक्षिण और पश्चिम के तटीय राज्यों को सहायता प्राप्त लदान की योजना पर व्यय होगी।

औद्योगिक प्रबन्ध 'पूल'

†*६७२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच औद्योगिक प्रबन्ध 'पूल' का विस्तार करने का निश्चय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो निश्चय क्या है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). औद्योगिक प्रबन्ध 'पूल' के लिए भरती हाल में ही की गई है। योजना के कार्य को थोड़ी अवधि तक देखने के बाद ही 'पूल' के और विस्तार के प्रश्न पर निर्णय लिया जायेगा।

भारत भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग

†*६७३. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कलकत्ता से भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय हटाने का निश्चय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) निश्चय कब कार्यान्वित होगा ;

(घ) संस्था के स्थानान्तरण और पुनर्गठन पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ; और

(ङ) क्या दूसरे परिणाम स्वरूप भूतत्वीय कार्य के स्तर में सुधार होने की आशा है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी नहीं। भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण का मुख्य कार्यालय कलकत्ता से हटाने का विचार नहीं है। विभाग के विकेन्द्रीकरण करने का विचार है जिससे विभाग और दक्षता तथा पटुता से कार्य कर सके।

(ख) से (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

बंगलौर का हवाई अड्डा

†*६७४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर के हवाई अड्डे की सुविधाओं में सुधार करने के लिए, विशेषकर इसे "बोइंग" विमानों की उड़ान के लिए उपयुक्त बनाने के लिए, सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो योजना क्या है और इसके कब तक पूरे होने की आशा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) बंगलौर के 'हाल' हवाई अड्डे की विमान पट्टी में हाल में सुधार कर देने पर अब यहां बोइंग विमानों की उड़ान के योग्य हो गया है ।

(ख) इसलिए बोइंग यातायात के लिए इसके सुधार का प्रश्न नहीं उठता है ।

उत्तर प्रदेश में तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम

†*६७५. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री १७ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम लागू करने में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य विश्वविद्यालयों में तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम लागू करने के पुनरीक्षित प्रस्ताव पर विचार कर लिया है और यह निर्णय किया है कि सभापति एक समिति नियुक्त करे और राज्य सरकार के शिक्षा सचिव को प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बुलायें ।

इस बीच यह पता लगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य शिक्षा मंत्री के सभापतित्व में उत्तर प्रदेश में तीन वर्ष का पाठ्यक्रम लागू करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की है । राज्य सरकार इस समिति का प्रतिवेदन मिल जाने पर इस पर विचार करेगी ।

कोयला उद्योग का विकास

†*६७६. { **श्री नेक राम नेगी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २१ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३७१० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला की गहरी खानों के विकास के लिए विदेशों के सहायता के प्रस्तावों पर इस बीच विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). जी हां । ब्रिटिश तथा पोलिश सरकारों के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया है । ब्रिटेन के राष्ट्रीय कोयला बोर्ड के विशेषज्ञों का दल हाल में ही यहां आयेगा जो जारंगडीह गहरी कोयला खान के लिए

---

†मूल अंग्रेजी में

परियोजना प्रतिवेदन बनाने का काम करेगा। पोलिश विशेषज्ञ सुडामडीह गहरी कोयला खान संबंधी परियोजना प्रतिवेदन दे चुके हैं तथा पोलिश संगठन के कार्य से समझौता किया जा रहा है कि वह इस खान और शैफ्ट सिंकिंग यंत्रों का संभरण के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनायें ।

खम्भात से बम्बई तक पाइप लाइन

†*६७७. **श्री कुन्हन :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री नेक राम नेगी :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १० मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७३२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खम्भात का तेल बम्बई के तेल शोधक कारखानों तक भेजने के लिए खम्भात से बम्बई तक तेल ले जाने वाली एक पाइप लाइन बनाने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो परिणाम क्या रहा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) मामला विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

गोंडल के भूतपूर्व नरेश

†*६७८. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री नेक राम नेगी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ४ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १९११ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस ने सरकारी रहस्य अधिनियम के अन्तर्गत गोंडल के भूतपूर्व नरेश की गिरफ्तारी संबंधी जांच पड़ताल पूरी करली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार मामले पर विचार कर रही है ।

---

† मूल अंग्रेजी में

तेल का शोधन

†*६७९. **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री कुन्हन :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री नेक राम नेगी :
श्री कोडियान :
श्री सुब्बया अम्बलम् :
श्री चुनी लाल :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ४ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १९०९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कच्चे तेल को साफ करने के लिए दो विदेशी तेल शोधक कम्पनियों के साथ जो वार्ता हो रही थी क्या वह समाप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ताजमहल

†*६८०. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताजमहल की नीवों की जांच की गई है और यह पता लगा है कि वह कमजोर हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या मकबरे को गिरने से बचाने के लिए नींव को मजबूत बनाने की कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) नींव मजबूत करने का कार्य कितना हो गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). समय समय पर नींव की जांच की जाती है परन्तु उनके कमजोर नहीं पाया गया। परन्त सावधानी के लिए पत्थरों के टुकड़े डाल कर नींव को मज़बूत बनाया जा रहा है ।

(ग) १९६०–६१ में काम आरंभ करके पूरा कर दिया गया था ।

बीकानेर में पुरातत्वीय खुदाई

†१४४३. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कुमारन :

क्या **वैज्ञानिक अनुसधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १५ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८४५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीकानेर डिवीजन में आरंभ की गयी पुरातत्वीय खुदाई के क्या परिणाम रहे ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) देश के अन्य भागों में अग्रेतर खुदाई के कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) कालीबंगन में हुई खुदाई से लगभग २५०० ई० पू० की हरप्पा सभ्यता की एक बस्ती का और सरदारगढ़ में हुई खुदाई से लगभग १००० ई० पू० की रंगीन भूरे बरतन इस्तेमाल करने वाली एक सभ्यता की एक बस्ती का पता लगा है ।

(ख) १९६१–६२ के लिए खुदाई का कार्यक्रम अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं हो पाया है ।

कोयला धोने के कारखाने

†१४४४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १५ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८६९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे को दिये जाने वाले कोयले की किस्म सुधारने के लिए कोयला धोने के कारखाने खोलने का प्रस्ताव इस समय किस अवस्था पर है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : कर्णपुर में स्थापित किये जाने वाले कारखाने से रेलवे को धुला हुआ कोयला मिलने की आशा है । यह कारखाना इस्पात कारखानों को भी धुला हुआ कोयले का चूरा देगा । इस कारखाने के लिए एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है और इस योजना के विभिन्न पहलू इस समय विचारारधीन हैं ।

इसके अलावा सिर्फ़ रेलवे के लिए कोयला साफ करने के लिए एक और कारखाना खोलने का भी विचार है । इस संबंध में कोयलों की सफाई संबंधी कुछ परीक्षण किये जा चुके हैं । धन की उपलब्धता चूरे के उपयोग, कारखाने की सामान्य आय-व्यय व्यवस्था जैसी बातों का परीक्षण करके बाद ही इस कारखाने की स्थापना तथा इसके स्थान के बारे में निर्णय किया जायेगा । इस समय इन पहलुओं पर विचार किया जा हा है ?

पाकिस्तान में भारतीय कम्पनियां

†१४४५. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **वित्त** मंत्री १५ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७२५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान में काम करने वाले व्यापारियों तथा कम्पनियों के लाभों को भारत लाने के संबंध में पाकिस्तान के साथ होने वाली बातचीत का अन्तिम निर्णय करने के संबंध में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : पाकिस्तान स्थित हमारे उच्चायुक्त पाकिस्तान सरकार के साथ इस मामले में बातचीत कर रहे हैं । परन्तु, अभी तक कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सहायक आयुक्तों के क्षेत्रीय कार्यालय

†१४४६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १५ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७२६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सहायक आयुक्तों

†मूल अंग्रेजी में

के क्षेत्रीय कार्यालयों के वर्तमान गठन का पुनर्गठन करने संबंधी प्रस्ताव के संबंध में अग्रेतर क्या प्रगति हुई है?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मामला अभी विचाराधीन है।

बैंकों का वैज्ञानिकरन[1]

†१४४७. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **वित्त** मंत्री २० मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९३५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि शेष बैंकों के वज्ञानिकन को पूर्ण करने की दिशा में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : २० मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९३५ के उत्तर में उल्लिखित बैंकों के अतिरिक्त २३ और बैंकों के लिए भी ऋण शोध की कानूनी मोहलत दे दी गयी है। इन बैंकों की आद्यतन स्थिति की जानकारी संलग्न विवरण में दी गयी है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६५]**

बरौनी का तेल शोधक कारखाना

†१४४८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री २० मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९४२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरौनी के तेल शोधक कारखाने के स्थान पर किये जाने वाले मिट्टी के काम संबंधी खर्च का अनुमान लगा लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां।

(ख) सम्बन्धित ब्योरा इस प्रकार है :

(१) कारखाने के भीतर बैरोपिट क्षेत्र से २ किलोमीटर की दूरी तक जमीन भरने, समतल बनाने, वर्गीकरण करने तथा समेकित करने आदि का काम .	१.१० करोड़ रु०
(२) भवन तथा ढांचे की नींव से खुदाई का काम .	०.०२ करोड़ रु०
(३) बैरोपिट क्षेत्र का भू-अर्जन . .	०.०२ करोड़ रु०
(४) भरने तथा वर्गीकरण के काम न आने वाले रेत को हटाने आदि के फुटकल खर्चे	०.१३ करोड़ रु०
योग	१.४५ करोड़ रु०

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Rationalisation of Banks.

भारतीय आयुध कारखाने की पदाली

†१४४९. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २० मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय आयुध कारना सेवा की पदाली के पुनर्गठन और आयुध कारखानों के महानिदेशालय के पदाधिकारियों के वेतन-क्रमों को सुधारने सम्बन्धी प्रस्थापनाओं पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उनका क्या परिणाम रहा ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) और (ख). भारतीय आयुध कारखाना सेवा के पुनर्गठन सम्बन्धी प्रस्थापनाओं पर विचार करने के परिणामस्वरूप सरकार ने इस सेवा की स्थायी संख्या ३०० निर्धारित करने का आदेश जारी कर दिया है, जिसमें विभिन्न श्रेणियों में २० स्थान प्रशिक्षुओं के होंगे, ताकि इस सेवा के अधिकारियों को आगे उन्नति करने का अच्छा अवसर मिल सके। दो वर्ष बाद पदाली के कर्मचारियों की संख्या का पुनरीक्षण किया जायेगा। चूंकि वर्तमान संख्या ३०० से कम है, अतः इन आदेशों का प्रभाव यह है कि सभी वर्तमान स्थानों को स्थायी स्थानों में बदल दिया जाये।

इसके अतिरिक्त दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने असिस्टेण्ट वर्क्स मनेजर/टिकनिकल स्टाफ आफिसर की श्रेणी के पदाधिकारियों के वेतनक्रम बढ़ा कर सीनियर वर्क्स मनेजर/सीनियर डिप्टी असिस्टेण्ट डायरेक्टर जनरल के वेतनक्रम के बराबर कर दिया है। असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल/सुपरिन्टेण्डेण्ट तथा इससे ऊंची श्रेणी के पदाधिकारियों के वेतनक्रमों में संशोधन करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

मध्य प्रदेश के लिये लोहा तथा इस्पात

†१४५०. **श्री पांगरकर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ में मध्य प्रदेश में लोहा और इस्पात की कितनी आवश्यकता थी; और

(ख) उसमें से कितना लोहा व इस्पात वहां दिया गया ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख).

१. इस्पात

कुल जरूरत (मांग) २११.७८४ मीट्रिक टन थी। इस में सभी श्रेणियां सम्मिलित हैं। कुल १४४.४०६ मीट्रिक टन का आवंटन किया गया। कुल ५१.५७९ मीट्रिक टन वहां भेजा गया (*)

(*) इसमें केन्द्रीय कोटा के हिसाब में भेजा गया इस्पात सम्मिलित है पर अन्य राज्यों के नियंत्रित स्टाकधारियों द्वारा मध्य प्रदेश को भेजा गया इस्पात सम्मिलित नहीं है। पुराने बकाया तथा चालू मांगों पर भेजा गया इस्पात भी इसमें सम्मिलित है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

२. कच्चा लोहा

१-७-१९५९ से कोटा आवंटित करने की प्रणाली समाप्त कर दी गयी थी । राज्य सरकारों के पास से कोई समेकित मांग न आती है और उनके लिए आवंटन किया जाता है । उपभोक्ताओं से उनकी मांग के बारे में पूछा जाता है और ऐसी मांगों की छानबीन के बाद लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा उत्पादकों के पास भेज दिया जाता है । उपभोक्ता अपनी जरूरत का लोहा स्टाकधारियों से भी ले सकते हैं । मांग के आवेदन पत्र लेने के लिए कोई निश्चित समय-चक्र नहीं है, जब ऐसी मांगें आती हैं, तो उन्हें भेज दिया जाता है । वर्ष १९६०–६१ में १०,०१० मीट्रिक टन कच्चा लोहा भेजा गया ।

मध्य प्रदेश में इस्पात बेलन कारखाना (रोलिंग मिल)

†**१४५१. श्री पांगरकर :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६१–६२ के वर्ष में मध्य प्रदेश में इस्पात बेलन कारखाने (रोलिंग मिलें) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या स्थापित की जाने वाली रोलिंग मिल के लिए आवंटित करने हेतु इस्पात का कोई कोटा निर्धारित कर दिया गया है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). नई रोलिंग मिलें स्थापित करने का क्षेत्र बहुत सीमित है । परन्तु क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में १५,००० टन प्रति वर्ष से अनधिक क्षमता वाली एक नई रोलिंग मिल खोलने की अनुमति देने का निर्णय कर लिया है । एकक के चुनाव का काम विचाराधीन है । मिल स्थापित हो जाने के बाद इस्पात के आवंटन का प्रश्न पैदा होगा ।

लक्कदीव तथा मिनिकाय द्वीप समूह का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†**१४५२. श्री पांगरकर :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लक्कदीव तथा मिनिकाय द्वीपसमूह का विस्तृत भूतत्वीय सर्वेक्षण कराना चाहती है; और

(ख) यदि हां, तो इस काम में कितना धन खर्च होगा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आयकर का बकाया

†**१४५३. श्री पांगरकर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र प्रदेश में ३१ मार्च, १९६१ को आयकर की कितनी राशि बकाया थी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** ३१ मार्च, १९६१ को आन्ध्र प्रदेश में आयकर की प्रभावी बकाया राशि ३४३.७४ लाख रु० थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सामान का पकड़ा जाना

†१४५४. **श्री पांगरकर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ अप्रैल, १९६१ से जून, १९६१ के बीच सीमा शुल्क अधिकारियों ने विभिन्न हवाई अड्डों पर जो सामान पकड़ा, उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : १ अप्रैल, १९६० से ३० जून, १९६१ के बीच सीमा शुल्क, भू-सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न हवाई अड्डों पर निम्नलिखित सामान पकड़ा :—

क्रमांक	वस्तुयें	अनुमानित मात्रा	अनुमानित मूल्य	
१.	सोना	६८.४९६ किलोग्राम	७,६४,०००	रु०
२.	चलार्थ	—	७४,०००	रु०
३.	जवाहरात	—	३९,०००	रु०
४.	आभूषण आदि	—	४,३२,०००	रु०
५.	घड़ियां	३८४	३३,०००	रु०
६.	अन्य वस्तुयें (विविध)		३,३२,०००	रु०

गुजरात तथा बड़ौदा विश्वविद्यालयों में सांस्कृतिक समारोह

†१४५५. **श्री पांगरकर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांस्कृतिक समारोहों का आयोजन करने के लिए गुजरात और बड़ौदा विश्वविद्यालयों को अनुदान दिये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो इन दोनों विश्वविद्यालयों को इस काम के लिए १९६०–६१ में अलग-अलग कितना धन अनुदान में दिया गया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क)

	बड़ौदा विश्वविद्यालय	जी, हां ।
	गुजरात विश्वविद्यालय	जी नहीं ।
(ख)	बड़ौदा विश्वविद्यालय	५,००० रु०
	गुजरात विश्वविद्यालय	प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

गुजरात में लड़कियों की शिक्षा

†१४५६. **श्री पांगरकर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ में गुजरात राज्य में लड़कियों की शिक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार ने गुजरात सरकार हेतु कितना धन आवंटित किया; और

(ख) क्या गुजरात में लड़कियों की शिक्षा के विस्तार के लिए कोई नई योजनायें बनाई गयी हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) ३,९८,२२१ रु० ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी हां, राज्य सरकार ने अपनी तीसरी योजना में लड़कियों तथा स्त्रियों की शिक्षा के लिए १६.७९ लाख रु० का एक विशेष कार्यक्रम रखा है, जिस में निम्नलिखित योजनायें सम्मिलित हैं :—

प्राइमरी शिक्षा—

(१) महिला अध्यापकों को छात्रवृत्तियां
(२) राजकीय महिला ट्रेनिंग कालेज के लिए भवन तथा होस्टल का प्रबन्ध } ९.०४ लाख रु०

उच्च शिक्षा—

(३) लड़कियों की शिक्षा को बढ़ाने की योजनायें ७.७५ लाख रु०

महाराष्ट्र में वैज्ञानिक अनुसन्धान

†१४५७. **श्री पांगरकर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना के पिछले दो वर्षों में महाराष्ट्र सरकार को कितना अनुदान दिया गया है;

(ख) क्या उक्त अवधि में महाराष्ट्र में उच्च वैज्ञानिक शिक्षा के सामान्य विकास के लिये कोई अनुदान दिये गये थे; और

(ग) यदि हां, तो कितनी राशि दी गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) कुछ नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) मराठवाड़ा, नागपुर, बम्बई और पूना के विश्वविद्यालयों को १३,९१,१९१·८२ रुपये ।

केरल में खनिज निक्षेप

†१४५८. **श्री म० के० कुमारन :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के नेडूमंगाडू तथा चिरालंजिकिल तालुका में खनिज निक्षेपों के बारे में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा जांच पड़ताल पूरी कर ली गई है;

(ख) क्या सरकार के पास जांच पड़ताल सम्बन्धी रिपोर्ट आई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**खान और तेलमंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) नहीं, अभी काम चल रहा है।

(ख) जी हां। नेडूमंगाडू तालुका में जांच पड़ताल सम्बन्धी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी गई है।

(ग) केरल राज्य सरकार की प्रार्थना पर भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने वेल्लानाद, करिरधुर, वलियारा और नेडूमंगाडू तालुका के साथ वाले क्षेत्रों में त्रिवेन्द्रम जिला में १९५९–६०

†मूल अंग्रेजी में

में ग्रेफ इट के लिये भूतत्वीय जांच पड़ताल की। नेडूमंगाड तालुक में मोटे तौर पर ६ वर्गमील (१५.५ किलोमीटर) क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया। सात बिजली सम्बन्धी अपवाद जो ग्रेफाइट के संकेतक माने जाते हैं, पाये गये और उनका परीक्षण किया गया। कम गहराई पर ग्रेफाइट मिला। आगे की गहराई और विस्तृत खुदाई का काम करना है।

चिरार्चिकिल तालुक के किलाकिंगल क्षेत्र में, भूभौतिकीय जांच पड़ताल १९६०–६१ में राज्य सरकार की प्रार्थना पर प्राथमिकता आधार पर की गई थी और लगभग ३ वर्गमील क्षेत्र की विस्तार-पूर्वक खोज की गई थी। बड़े आकार के ग्रेफाइट मिरोपों की विद्यमानता का संकेत करने वाले कोई महत्वपूर्ण अपवाद इन सर्वेक्षणों द्वारा प्राप्त नहीं हुए।

पंजाब और हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिये जल की सुविधायें

†१४५९. **श्री दलजीत सिंह :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ और १९६१–६२ वर्षों में पंजाब और हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों को जल की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये केन्द्र द्वारा चलाई गई योजनाओं के अन्तर्गत अब तक कितने कुओं की मंजूरी दी गई है; और

(ख) उन पर कितना व्यय मंजूर किया गया है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आलवा)** (क) कोई नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

पंजाब विश्वविद्यालय के लिये होस्टल

†१४६०. **श्री दलजीत सिंह :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में अब तक होस्टलों के निर्माण के लिये पंजाब विश्वविद्यालय को कुल कितना ऋण या अनुदान दिया गया है; और

(ख) ये ऋण या अनुदान किन किन योजनाओं के लिये दिये गये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) अनुमान ३,२५,००० रुपये ऋण कुछ नहीं।

(ख) लड़कों के होस्टलों के निर्माण के लिये ७,५००० रुपये और महिलाओं के होस्टलों के निर्माण के लिये २,५०,००० रुपये।

उड़ीसा के लिये कोयला

†१४६१. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, मई जून और जुलाई १९६१ में उड़ीसा को कुल कितना कोयला आवंटित किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी मे

(ख) इस अवधि में उड़ीसा में वास्तव में कितना कोयला भेजा गया है; और

(ग) इसका क्या कारण है कि उड़ीसा को पूरी आवंटित मात्रा में कोयला नहीं भेजा गया ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** (क) और (ख). केन्द्र और राज्यों द्वारा नियंत्रित उद्योगों के लिये अमरीका अभ्यंश तथा अप्रैल, मई, जून और जुलाई १९६१ में वास्तविक में भेजे गये कोयले के आंकड़े दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६६]

(ग) कारण यह है कि परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयां थीं विशेषकर बंगाल बिहार प्रदेश में, जहां से उड़ीसा को ८५ प्रतिशत माल भेजना होता है।

मैसूर में मद्य निषेध

†१४६२. **श्री प्र० गं० देव :**
महाराज कुमार विजय आनन्द :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य सरकार ने मैसूर में मद्य निषेध लागू करने के लिये केन्द्रीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाई की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

तांबे की खाने

†१४६३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के कितने और किन किन राज्यों में इस समय तांबे की खानें चल रही हैं; और

(ख) इनसे कितने रुपये की लागत का तांबेका उत्पादन होता है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** (क) इस समय तांबे की खानें केवल बिहार राज्य में चल रही हैं जहां भारतीय तांबा निगम समिति ३ खानें चला रही है।

(ख) १९५९ और १९६० वर्षों में इन खानों से प्राप्त तांबे की मात्रा और लागत नीचे दी जाती है :—

वर्ष	मात्रा	लागत
(१) १९५९ .	. ७६७४ टन	२,५६,४२,००० रुपये
(२) १९६० (अस्थायी)	. ८९१० टन	३,१७,८१,००० रुपये

पंजाब में राजनीतिक पीड़ितों के बच्चे

†१४६४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि योजना के आरम्भ होने से लेकर केन्द्रीय सरकार द्वारा पंजाब में राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्री माली) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ६७]**

तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क

†१४६५. **श्री खुशवक्त राय : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लखीमपुर नगर (जिला खीरी, उत्तर प्रदेश) में कितने तम्बाकू बना कर बचने वाले विक्रेता हैं तथा उनके नाम क्या हैं और वे प्रतिदिन या प्रतिमास कितनी बिक्री तम्बाकू की करते हैं;

(ख) इन में कितना उत्पादन शुल्क प्रति दिन या प्रति मास वसूल किया जाता है; और

(ग) क्या यह सच है कि जितना तम्बाकू प्रति दिन या प्रति मास ये बेचते हैं उसपर जितना उत्पादन शुल्क सरकार को मिलना चाहिये वह नहीं मिलता ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) इस समय लखीमपुर शहर में तम्बाकू के २४ थोक और खुदरा व्यापारी है, जो हर महीने ७०९६ किलोग्राम तम्बाकू बेचते हैं। इन व्यापारियों के नामों की सूची इसी के साथ है। **[देखिये परिशिष्ठ २, अनुबन्ध संख्या ६८]**

(ख) ये व्यापारी उसी तम्बाकू का कारबार करते हैं जिसके केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (सेण्ट्रल एक्साइज डयूटी) की अदायगी पहले ही हो चुकी होती है और इसलिये उनसे केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क वसूल करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

रूरकेला नगर

†१४६६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री १० मार्च १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४०१ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला नगर (टाउन शिप) बनाने में और क्या प्रगति की गई है और

(ख) अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्णसिंह):** (क) रूरकेला टाउनशिप में ७४८६ मकान बनाने की मूल योजनाओं से जुलाई १९६१ के अन्त तक ७०११ मकान पूर्ण हो गये थे। शेष मकानों का निर्माण बहुत बढ़ चुका है। इनके अतिरिक्त, १९८१ सस्ते किस्म के मकानों में से, मुख्यत: रूरकेला इस्पात कारखाने के लिये १०८ मकान तैयार हो चुके हैं। शेष निर्माण के विभिन्न स्तरों पर हैं।

(ख) इन मकानों के निर्माण पर ३१ जुलाई, १९६१ तक लगभग १०८६ लाख रुपय व्यय हुआ था।

पश्चिम बंगाल में पुरातत्वीय खुदाइयां

†१४६७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०-६१ में पश्चिम बंगाल में कोई पुरातत्वीय खुदाई की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक, अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय के आसुतोष संग्रहालय के द्वारा २४ परगना जिला में चन्द्रकेतुगढ़ में।

(ख) विश्वविद्यालय से प्राप्त एक संक्षिप्त प्रतिवेदन के अनुसार खुदाई में मन्दिर क्षेत्र का बड़ा भाग नंगा हो गया और इससे उत्तरी काला पालिश किया हुआ पक्की मिटटी का बर्तन एक नैट सिकर, हडडी का आरा, जोमेद का सिर, पक्की मिटटी की मुहर आदि का पता लगा। मन्दिर के उत्तर में और दलहीज क्षेत्र के विस्तार से उसके कब्जे में छः कालों का ज्ञान हुआ।

पहले काल की वस्तुयें ये हैं :

बेलनाकार बर्तन, हाथी दांत का टुकड़ा, तांबे का आरा और दिलचस्पी वाला पक्की मिटटी का गोल पटटा जिसमें सुंगपूर्व या आरम्भिक सुंग काल के मैथुन के तीन जोड़े थे। ढले तांबे के सिक्के, और सुंगकाल के स्त्री के रुप का एक बनी मिटटी का सिर दूसरे काल के द्योतक हैं।

तीसरे काल के कुशान काल के मिटटी के कई किस्म के बर्तन।

चौथे काल के अत्युत्तम बने ईंटो की दीवारें आदि, जिनमें आधे गोल और साफ ढांचे थे।

पांचवें और छटे काल अन्तिम गुप्त और गुप्त के बाद के काल से संबंध रखते हैं।

लाल किला, दिल्ली की मरम्मत

†**१४६८. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृतिक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में लाल किला दिल्ली की कोई मरम्मत की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या काम पूरा हो चुका है ;

(ग) क्या मरम्मत विभागीय तौर पर की गई है या ठेकेदारों के द्वारा ;

(क) क्या बीच में काम रोक लिया गया था ; और

(ङ) यदि हां तो उस का क्या कारण है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (श्री डा० मा० मो० दास)** : (क) जी हां।

(ख) लाल किला में कुछ स्मारकों की मरम्मत पूरी हो चुकी है और दूसरों की चालू है।

(ख) विभागीय तौर पर ;

(घ) और (ङ). कुछ स्मारकों पर काम रुका रहा जब या तो माल उपलब्ध नहीं था या नक्काशी में शोधन करना था। ऐसे कामों में यह साधारण बात है।

हिमांचल प्रदेश में लड़कियों की शिक्षा

†**१४६९. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० और १९६०–६१ के लिये राज्य में लड़कियों की शिक्षा के लिये हिमाचल प्रदेश प्रशासन के लिये कितनी राशि मांगी गई थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जिन योजनाओं के लिये हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने केन्द्रीय सहायता मांगी थी तथा जिनकी मंजूरी की गई उन का स्वरूप क्या है और प्रत्येक योजना के लिये कितनी राशि दी गई ;

(ग) १९५९-६० में कितनी राशि खर्च की गई;

(घ) क्या दुर्गाबाई देशमुख समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित हो जाने के पश्चात् लड़कियों की शिक्षा के विस्तार के लिये कोई नई योजना बनाई गई है ; और

(ङ) हिमाचल प्रदेश के लिये ये योजनाएं कितनी मंजूर की गई हैं?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला०श्रीमाली)** (क) से (ङ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखियें परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ६९**]

आयुध कारखाना, खमरिया

†**१४७०. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १० मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४२२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आयुध कारखाने खमरिया के सामान में पाई गई हर्मन और कमी के बारे में जांच पड़ताल पूरी करने की दिशा में आज तक क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : क्योंकि यह विषय भी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (प्रतिरक्षा सेवाएं) १९६० में आया था, १० मार्च १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४२२ के उत्तर में जैसा कि कहा गया है तदर्थ समिति की सिफारिशें लेखा परीक्षा अधिकारियों के परामर्श के साथ विचाराधीन है ।

अन्तरिक्ष खोज कार्यक्रम

†**१४७१. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अन्तरिक्ष खोज एवं कृत्रिम भूमि उपग्रह कार्यक्रम में भाग लेने के बारे में अमरीका के साथ हो रही बात चीत पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). समय समय पर भारतीय वैज्ञानिक संस्थाओं को अमरीकी उपग्रह द्वारा किये जाने वाले कुछ विशेष प्रयोगों में भाग लेने के लिये निमंत्रित किया गया है । इनमें (१) शइरोक्ष उपग्रहों द्वारा किये जाने वाले मौसम संबंधी प्रयोग, (२) ऐम्सप्लोरर ७ से ब्रह्माण्ड राशि संबंधी सूचना की टैलीमिटरी, (३) नाविक अनुसंधान प्रयोगशाला सालेर रेडिएशन ३ उपग्रह से सूर्य फैलाव में अल्टरावायल्ट और ऐक्स रे पड़ताल की टैलीमिटरी शामिल हैं । अमरीका ने मार्च १९५९ में एक स्थायी नियंत्रण भी कौस्पर (अन्तरिक्ष अनुसंधान संबंधी विशेष समिति) के द्वारा दिया जिसमें चीनी देश भी वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा तैयार किये गये प्रयोगों के लिये अमरीकी उपग्रह में स्थान की पेश कश की गई थी ।

बहुतेरी भारतीय संस्थाओं ने इन में से कुछ अन्तरिक्ष प्रयोगों में भाग लिया है या भाग लेने की उन की योजना है । भारतीय ऋतु विज्ञान संबंधी विभाग ने अमरीकी अन्तरिक्ष उपग्रह कार्यक्रम में भाग लेने के लिये प्रबंध किया है और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला एवं राष्ट्रीय भौतिक प्रयोग

†मूल अंग्रेजी में

शाला कुछ अमरीकी उपग्रहों से भूभौतिकी संबंधी सूचना की टैलीमिटरी करने का प्रबंध कर रही है। भारतीय अन्तरिक्ष विभाग द्वारा (१) में भूमिगत केन्द्रों से व्यापक ऋतु संबंधी पर्यवेक्षण और (२) ऊपरी वायु के तापमान का पर्यवेक्षण करने के लिये और देश के ऊपर तथा समीप इन्फ्रा-रेड ओबजरवेशन उपग्रह (टारोस) तथा टेलीविजन के चलने के समय ऊँचे स्तर की वायु का पर्यवेक्षण करने के लिये प्रबंध किया है।

इस्पात का उत्पादन

†१४७२. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या इस्पात की किस्म को उन्नत करने तथा उसकी उत्पादन लागत को कम करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) यदि हां तो क्या ; और

(ग) उसका क्या परिणाम हुआ है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). लागत घटाने और किस्म को उन्नत करने के लिये इस्पात कम्पनियों का लगातार प्रयत्न रहा है। इस्पात बनाने का ऐल०डी तरीका, खुला चूल्हा भट्टी में ओक्सीजन चलाना, लोहा अयस्क का सिनटरिंग आदि प्रोद्योगिकीय उन्नतियां लागत कम करने के लिये नये इस्पात कारखानों में संभव मात्रा तक किये गये हैं। इस्पात कारखानों का व्यय भी इस प्रकार का है। जिसमें पुराने इस्पात कारखानों की तुलना में इकाई उत्पादन पर कम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है।

इन दीर्घ-कालीन उपायों के अलावा, प्रबंधक इस्पात कारखानों के अन्दर कर्मचारियों के प्रशिक्षण के द्वारा कुशलता को बढ़ाने के लिये और कच्चे माल को तैयार करने तथा ले जाने में उन्नति करने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं। ज्यों ज्यों इस्पात कारखानों की विभिन्न इकाइयों अपने अनुसूचित उत्पादन को करेंगे तथा इंजनियरों और कर्मचारियों को संयंत्र चलाने का अनुभव प्राप्त होगा, उत्पादन लागत कम हो जाएगी।

दिल्ली से विदेशियों की मूर्तियों को हटाना

१४७३. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में लगी विदेशियों की मूर्त्तियां हटाने के सम्बन्ध में अब तक और क्या प्रगति हुई है ;

(ख) अन्तिम रूप से कब तक इन मूर्त्तियों को हटा दिया जायेगा ; और

(ग) इनके स्थान पर क्या किन्हीं अन्य व्यक्तियों की मूर्त्तियां लगाने का प्रश्न विचाराधीन है और दि हां, तो उस सम्बन्ध में कब तक निर्णय हो जायेगा ;

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार): (क) से (ग). प्रधान मंत्री द्वारा १३ मई, १९५७ को लोक-सभा में बताई गई नीति के आधार पर अब तक दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में विदेशियों की दो मूर्तियां जो अपकारक प्रकार की थीं, हटा दी गई हैं। मूर्तियों की स्थापना के प्रस्तावों पर, यदि उनके लिए आवश्यक धन राशि का वचन दिया जाए, तो अब विचार किया जाता है । भारतीय नेताओं की चार मूर्तियां स्थापित की जा चुकी हैं, तथा कुछ अन्यों की स्थापना के प्रस्ताव विचारारधीन हैं ।

मंत्रियों को दिया गया यात्रा भत्ता

१७७४. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९–६० में मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप-मंत्रियों और सभा-सचिवों को अलग-अलग कितना यात्रा भत्ता दिया गया ; और

(ख) यह यात्रा भत्ता १९५८–५९ में दिये गये यात्रा भत्ते से कुछ कम था अथवा अधिक और यदि अधिक था तो किन-किन मंत्रियों को कितना अधिक भत्ता दिया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

जनगणना

१४७५. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१ की जनगणना के पूरे आंकड़े सरकार को प्राप्त हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या पंजाब के वह आंकड़े भी सरकार को प्राप्त हो गये हैं कि वहां पंजाबी और हिन्दी भाषा भाषियों की संख्या अलग-अलग कितनी है ; और

(ग) क्या जनगणना के परिणाम-स्वरूप हिन्दी और पंजाबी के अतिरिक्त किन्हीं अन्य भाषा भाषियों का पंजाब में पता चला है और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क). नहीं, स्त्री-पुरुषों की अलग अलग संख्या बताने वाले कुल जन संख्या के अस्थायी आकड़े ही प्राप्त हुए हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

कोयले की उत्पादन लागत

†**१४७६. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में ग़ैर सरकारी क्षेत्र में उत्पादन लागत की तुलना में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा उत्पादित कोयले की लागत कैसी रही है; और

(ख) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने १९६० में पूंजी उपकरण के आयात और अपने अफ़सरों को प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजने पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) उत्पादन लागत के तत्वों में प्रत्येक खान के मामले में बहुत अन्तर होता है। इसलिये इस सम्बन्ध में गैर सरकारी एवं सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों के बीच वैध तुलना करना बहुत कठिन है, विशेषकर क्योंकि सरकारी क्षेत्र ने पिछले पांच वर्षों में, सर्वथा नये क्षेत्रों में नई कोयला खानें खोली हैं, जिन पर पूंजी लागत और अवक्षयण व्यय गैर सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों की अपेक्षा बहुत अधिक है, जो सस्ते समय में खोली गई थीं। फिर भी सरकारी क्षेत्र में सरल लाभ, समूचे उद्योग के लिये कोयला मूल्य संशोधन समिति द्वारा निर्धारित रु० १.७५ नये पैसे प्रति टन की औसत से कुछ अधिक है।

(ख) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा १९६० में पूंजी उपकरण के आयात पर ५,६६,२३,२५० रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च की है तथा प्रशिक्षण पर २३,३४५ रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय की है।

कैदियों के लिये मजूरी कमाने की योजना

†१४७७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक किन संघ राज्य क्षेत्रों में कैदियों के लिये मजूरी कमाने की योजना लागू नहीं की गई है; और

(ख) विलम्ब के क्या कारण हैं और सभी संघ राज्य क्षेत्रों में इसके कब तक लागू किये जाने की संभावना है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बातार)** : (क) मनीपुर, त्रिपुरा, अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्कादीव, मिनिकाय और अमिनदिवि द्वीप समूह।

(ख) मनीपुर : प्रशासन ने नियम बना लिये हैं और वे योजना के वित्तीय पहलुओं का परीक्षण कर रहे हैं। इस के शीघ्र ही लागू किये जाने की संभावना है।

त्रिपुरा : १९६० में योजना अनुमोदित हुई थी परन्तु उसे कार्यान्वित करने में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो गई थीं; ये विचाराधीन हैं। आशा है कि योजना शीघ्र ही कार्यान्वित की जायेगी।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह : छोटी जेल में ऐसी योजना का क्षेत्र अत्यन्त सीमित इस समय योजना को लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

लक्कादीव, मिनिकाय और अमिनदिवि द्वीप समूह : वहां ऐसी योजना की कोई गुंजाइश नहीं है।

बहादुरशाह की कृतियां

†१४७८. **श्री पंडित द्वा० ना० तिवारी**: क्या **वैज्ञानिक अनुसंधन और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तिम मुग़ल सम्राट् बहादुरशाह की साहित्यिक कृतियों को छपवाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह काम सरकारी अभिकरण द्वारा किया जायेगा या गैर सरकारी अभिकरण के द्वारा; और

(ग) क्या इसके लिये कोई सहायता मांगी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

(ग) जी, नहीं ।

निर्धन लोगों को विधि सबन्धी सहायता

†१४७९. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री चुनी लाल :
श्री क० भ० मालवीय :

क्या विधि मंत्री १७ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में निर्धन लोगों को निश्शुल्क कानून सम्बन्धी सहायता की व्यवस्था करने की योजना में और क्या प्रगति की गई है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरतवीस)** : निर्धन लोगों को विधि सम्बन्धी सहायता देना मुख्यतः राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है । तथापि निर्धन लोगों को विधि सम्बन्धी सहायता की नमूने की योजना विधि मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के मार्ग दर्शनार्थ तैयार की गई थी । विधि मंत्रियों के श्रीनगर सम्मेलन में, राज्यों के विधि मंत्रियों ने संकल्प किया कि केन्द्रीय सरकार को योजना को कार्यान्वित करने में राज्य सरकारों के अपेक्षित व्यय का ५० प्रतिशत देना चाहिये । केन्द्रीय सरकार को जो अंशदान देना पड़ेगा उसका मोटा अनुमान लगाना भी सम्भव नहीं प्रतीत होता । राज्य सरकारों ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया है ।

भारतीय प्रशासन सेवा आदि परीक्षाओं के लिये मौखिक परीक्षायें

†१४८०. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २८ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय विदेश कार्य सेवा, और भारतीय पुलिस सेवा परीक्षाओं में मौखिक परीक्षा के लियें आवंटित अंकों को कम करने के प्रश्न पर फैसला किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) अभी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

दिल्ली में विस्फोट

†१४८१. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २७ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनवरी, १९६१ में दिल्ली और नई दिल्ली में हुए विस्फोटों के मामलों की जांच कर ली है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकला है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). दिल्ली में जनवरी १९६१ में पटाखों के ८ विस्फोट हुए थे। इन घटनाओं की जांच के दौरान, बहुतेरे स्थानों से तलाशी ली गई और बड़ी भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक पदार्थ पकड़े गये। ४ व्यक्तियों के विरुद्ध अवैध विस्फोटक पदार्थ रखने के लिये अभियोग चलाये गये थे और उनको कारावास दंड मिल गया। पुलिस अभी और जांच कर रही है।

पंजाब विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक समारोह

†**१४८२. श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०-६१ में सांस्कृतिक समारोहों का आयोजन करने के लिये पंजाब विश्वविद्यालय को कोई अनुदान दिये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि दी गई थी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मैक्सिको में कृषि विकास सम्बन्धी प्रतिवेदन

†**१४८३. श्री राम कृष्ण गुप्त**: क्या **वित्त** मंत्री २७ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैक्सीको में कृषि विकास का अध्ययन करने के लिये भारत के रिज़र्व बैंक द्वारा भेजे गये पदाधिकारी का प्रतिवेदन इस बीच तैयार हो चुका है और उस पर विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां।

(ख) यह अध्ययन कुछ तथ्य जानने के लिये किया गया था और प्रतिवेदन में कोई ऐसी सिफारिशें करना अपेक्षित नहीं था जिन पर कोई निर्णय किये जाते। रिपोर्ट में कही गई बातें भारत के रिज़र्व बैंक के अधिकारियों ने अपने ध्यान में रख ली हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय युवक केन्द्र, नई दिल्ली

†१४८४. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री कोडियान :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **शिक्षा मंत्री** २८ फवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली के राष्ट्रीय युवक केन्द्र के विकास के लिये भूमि का आवंटन करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय भूमि के आवंटन के लिये की गई प्रार्थना पर अभी विचार कर रहा है ।

अल्प बचत कार्य

†१४८५. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री नेक राम नेगी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्प बचत कार्य के लिये अफसरों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की वर्तमान स्थिति सन्तोषजनक है ; और

(ख) यदि नहीं, इसकी स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** :

(क) जी हां ।

(ख) प्रशिक्षण के लिये किये गये प्रबन्ध को निरन्तर ध्यान में रखा जाता है और जब कभी आवश्यक होता है उसमें सुधार कर दिया जाता है ।

हलवाड़ा विमान दुर्घटना

†१४८६. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री नेक राम नेगी :
श्री सरजू पांडेय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २६ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १७३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगें कि २८ मार्च , १९६१ को हलवाड़ा हवाई अड्डे के निकट हुई विमान दर्घटना के कारणों की जो जांच की गई उसका क्या परिणाम रहा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : इंजन खराब हो जाने के कारण विमान गिर पड़ा । इंजन के खराब हो जाने का कारण पता नहीं चल सका क्योंकि इंजन बिल्कुल जल गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम

†१४८७. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री नेक राम नेगी :
श्री हेम राज :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री प्र० गं० देव :
सरदार इकबाल सिंह :
महाराज कुमार विजय आनन्द :

क्या **विधि** मंत्री ४ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १९१४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब सरकार से कोई प्रतिवेदन मिला है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पुत्री को पिता की कृषि संबंधी सम्पत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकार समाप्त कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सैनिक अफसर द्वारा आत्म हत्या करने की चेष्टा

†१४८८. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री नेक राम नेगी :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ४ मई, १९६१ के अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सैनिक अफसर द्वारा आत्महत्या की चेष्टा संबंधी मामले की जांच, जिसके लिये जांच नयायालय को आदेश दिया गया था, पूरी हो गई; और

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां । उन परिस्थितियों के बारे में, जिनमें सैनिक अफसर को २६ अप्रैल, १९६१ को चोटें आईं, जांच नयायालय कार्यवाही को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गोदावरी बेसिन में भूकम्पीय सर्वेक्षण

†१४८९. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गोदावरी बेसिन, आंध्र प्रदेश में भूकम्पीय सर्वेक्षण से पूर्व भूगर्भीय मानचित्र तैयार करने और अन्य प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूरे हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो भूकम्पीय सर्वेक्षण कब आरम्भ होगा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) अभी यह काम जारी है ।

(ख) भूगर्भीय तथा गुरुत्व आकर्षण और चुम्बनीय सर्वेक्षण के अन्तिम परिणामों का अध्ययन पूरा होने और उन से अनुकूल परिणाम मिलने पर ही भूकम्पीय सर्वेक्षण आरम्भ किया जायेगा ।

जिप्सम

†१४९०. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में कुल कितना जिप्सम निकाला गया;

(ख) क्या देश में निक्षेपों की कुल मात्रा निर्धारित की गई है ; और

(ग) क्या उपभोग के स्थान पर पहुंचाने से पूर्व उसका अभिशोधन करने की कोई प्रस्थापना है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) १९६० में कुल ९,९७,४४३ टन जिप्सम निकाला गया था ।

(ख) जी नहीं । कुछ ज्ञात स्थानों के बारे में सामान्य निर्धारण किया गया है ।

(ग) कुछ एक उपक्रम जिप्सम अयस्क को प्रयोग में लाने से पूर्व इसे साफ कर रहे हैं ।

पूर्वी अफ्रीका की चाय कम्पनियों में जीवन बीमा निगम द्वारा पूंजी लगाना

†१४९१. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री २१ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १६५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी अफ्रीका की चाय कम्पनियों में जीवन बीमा निगम ने कितनी पूंजी लगाई है ;

(ख) ऐसी कम्पनियों की संख्या क्या है ;

(ग) उनकी अंश पूंजी और रक्षित पूंजी कितनी है ; और

(घ) यह पूंजी किन आधारों पर लगाई गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : (क) कुछ नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयले का निर्यात

†१४९२. { **श्री कुन्हन :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री पांगरकर :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में कितना कोयला किन देशों को निर्यात किया गया ;

(ख) १ जनवरी से ३० जून, १९६१ तक कितना कोयला निर्यात किया गया ; और

(ग) भाग (ख) में उक्त अवधि में यदि निर्यात में कमी हुई तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ठ २, अनुबन्ध संख्या ७०]**

(ग) विदेशों में बढ़िया कोयले विशेषत: धातुकर्म के लिये उपयुक्त कोयले की मांग अधिक है । हमारे देश में भी ऐसी मांग अधिकाधिक होने के कारण इस प्रकार के कोयले का निर्यात बिल्कुल बन्द है । बढ़िया किस्म के कोयले की हमारे देश में मांग को ध्यान में रखते हुए अन्य किस्म के कोयले का निर्यात पुराने बाजारों को किया जाता है ।

विशेष आदिमजातीय खण्ड

†१४९३. { **श्री हेम राज :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिमजातीय क्षेत्रों के विकास के लिये ४५० विशेष खण्डों की स्थापना के हेतु क्या कोई निर्णय लिया गया है ; और

(ख) उन्हें राज्यवार कैसे बांटा गया है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) तीसरी योजना में सारे देश में लगभग ३०० आदिम जाति विकास खण्ड खोलने का निश्चय किया गया है ।

(ख) इनके राज्यवार आवंटन की सूची सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ठ २, अनुबन्ध संख्या ७१]**

हिमाचल प्रदेश का औद्योगिक सर्वेक्षण

†१४९४. **श्री हेमराज :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण पर राष्ट्रीय व्यावहारिक अर्थशास्त्र अनुसन्धान परिषद् की रिपोर्ट अन्तिम रूप से तैयार हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी प्रति पटल पर रखी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) हां ।

(ख) जी हां, छपी हुई प्रतियां प्राप्त होते ही ।

कार्यवाहक पदाधिकारी

†**१४९५. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा (श्रेणी १) एसोसिएशन ने एक संकल्प द्वारा सरकार से अनुरोध किया है कि पदाधिकारियों को अधिक समय तक कार्यवाहक स्थिति में न रखा जाये; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) हां ।

(ख) जब अगली बार केन्द्रीय सचिवालय सेवा की विभिन्न श्रेणियों की अधिकृत स्थायी संख्या पर विचार किया जायेगा तब एसोसिएशन के दृष्टिकोण पर ध्यान दिया जायगा ।

राष्ट्रीय बचत केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड

†१४९६. { **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, १९६१ के पहले/दूसरे सप्ताह में राष्ट्रीय बचत केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड तथा राज्य बोर्डों के सभापति की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन बातों पर चर्चा हुई ;

(ग) उसमें क्या निश्चय और सिफारिशें की गईं ; और

(घ) उन सिफारिशों को लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां ।

(ख) बोर्ड ने बचत आन्दोलन की प्रगति पर ध्यान दिया तथा बचत बढाने के विभिन्न सुझावों तथा जनता को अधिक सुविधायें देने पर विचार किया ।

(ग) निम्नलिखित कुछ सिफारिशें की गयीं :—

(१) ग्राम क्षेत्रों में जहां अभी बचत आन्दोलन पूरी तरह नहीं चल पाया है वहां इसकी उन्नति ।

(२) ग़ैर-सरकारी सहयोग अधिक प्राप्त करने के लिये विभिन्न स्तरों पर बचत समितियां बनाना ।

(३) विभिन्न क्षेत्रों में आन्दोलन को लोकप्रिय बनाने के लिये संसद् सदस्यों, विधान सभा के सदस्यों, समाज-कार्यकर्त्ताओं सहित अन्य प्रमुख व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सहायता ली जानी चाहिये ।

(४) वेतन क्रमानुसार बचत योजना की लोकप्रियता बढ़ाना, विशेषत: सरकारी क्षेत्र में ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(५) ऐजेन्टों की कठिनाइयां दूर करने के लिए मानक एजेन्सी पद्धति के कार्य पर विचार ।

(६) केन्द्र तथा राज्यों में अल्प बचत का अधिक प्रभावकारी तथा नियमित प्रचार।

(७) अल्प बचत के प्रचार के लिये फिल्म बनाने तथा अन्य साधनों में सुधार ।

(८) ग्राम-क्षेत्रों बचत बैंक की सुविधाओं का विस्तार ।

(घ) सिफारिशें विचाराधीन हैं और उन्हें लागू करने की यथासंभव कार्यवाही की जा रही है ।

औषध तथा एंटीबायोटिक्स पर गोष्ठी

†१४९७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा वैज्ञानिक कार्यकर्ता एसोसिएशन, कानपुर की औषध तथा एंटीबायोटिक्स पर एक संयुक्त त्रिदिवसीय गोष्ठी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो वहां किन बातों पर चर्चा हुई और क्या निष्कर्ष निकाले गये ; और

(ग) उनके विचारों को व्यावहारिक रूप किस प्रकार दिया जा रहा है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां, ७ से ९ मई, १९६१ तक ।

(ख) निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई :—

औषध तथा एंटीबायोटिक्स के क्लिनीकल, फार्मेकोलाजिकल, बेक्टीरियोलाजिकल विषय, उनका उत्पादन, प्रमापीकरण, स्थिरता तथा उनके खाद्य सम्बन्धी, औद्योगिक तथा नैतिक विषय ।

अनेक सिफारिशें भी की गईं । मुख्य सिफारिशों का सारांश सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७२**]

(ग) गोष्ठी की कार्यवाही सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के संगठनों के पास भेजी जा रही है ताकि सिफारिशों पर आवश्यक कार्यवाही की जा सके ।

सशस्त्र सेना मुख्यालय में कर्मचारियों की अर्द्धस्थायी स्थिति

†१४९८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ४ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४५९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेना मुख्यालय, नई दिल्ली में पदोन्नति, स्थायीकरण तथा वरिष्ठता के लिये अर्द्ध स्थायी स्थिति में की गयी पूर्व सेवा भी गिनी जायेगी ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी नहीं ।

(ख) १-८-५१ से ३१-१२-५८ तक खाली हुए लोअर डिवीजन श्रेणी के स्थायी स्थानों के वरिष्ठता तथा स्थायीकरण नियम, जो गृह-कार्य मंत्रालय, सेना के मुख्य कार्यालय, सेना मुख्य

†मूल अंग्रेजी में

कार्यालय की मान्यता प्राप्त संस्थाओं तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से बनाये गये हैं उनमें यह उपबन्ध है कि जो लोग १-८-५१ के बाद सशस्त्र सेना मुख्यालय में भर्ती हुए हैं उनकी लोअर डिवीज़न श्रेणी में जिस दिन वे भर्ती हुए उस दिन से वरिष्ठता मानी जायगी।

सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालयों में पर्यवेक्षक अधिकारियों के वेतन-क्रम

†१४९९. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेनाओं के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय के पर्यवेक्षक अधिकारियों के वेतन-क्रम क्या हैं ;

(ख) इस पद के लिए निर्धारित शिक्षा सम्बधी न्यूनतम अर्हतायें क्या हैं ;

(ग) वर्तमान अधिकारियों में से कितने मैट्रिक पास हैं और कितने मैट्रिक पास नहीं ;

(घ) क्या इस पद पर भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) ७४०-३०-८३०-३५-९०० रुपये।

(ख) इस पद के लिये कोई शिक्षा सम्बन्धी न्यूनतम अर्हतायें निर्धारित नहीं हैं ;

(ग) एक मैट्रिक पास नहीं और २३ मैट्रिक पास हैं।

(घ) नहीं, श्रीमान्।

(ङ) इस पद को चुनाव के आधार पर विभागीय पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। ये चुनाव संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा, किये जाते हैं।

सशस्त्र सेना के मुख्यालय में भर्ती

†१५००. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेना के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में असैनिक पदों पर भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अखिल भारतीय आधार पर की जाती है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सशस्त्र सेना के मुख्यालय में भर्ती के विषय में समान अवसर प्रदान करने के लिये वैकल्पिक उपाय किये गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) से (ग). प्रथम और द्वितीय श्रेणी के प्रविधिक पदों (सिवाय उन रिक्तियों के जो विभागीय पदोन्नतियों द्वारा भरी जाती हैं), द्वितीय श्रेणी के स्टेनोग्राफरों के पदों और ५० प्रतिशत लोअर डिवीजन क्लर्कों के पदों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। लोअर डिवीजन क्लर्कों के शेष पद मुख्यतः प्रतिरक्षा मन्त्रालय के अधीन कार्यालयों के फालतू कर्मचारियों की तबदीली और अन्य सरकारी विभागों के अतिरिक्त घोषित किये गये ऐसे कर्मचारियों द्वारा भरे जाते हैं जिन्हें काम दिलाऊ दफ्तर नाम निर्दिष्ट करता है। यदि काम दिलाऊ दफ्तर कोई उम्मीदवार न भेजे तो इन पदों के लिये विज्ञापन दिया जाता है। सशस्त्र सेना मुख्यालय की

†मूल अंग्रेजी में

शेष रिक्तियां विभागीय पदोन्नति समितियों की सिफारिशों के आधार पर भरी जाती हैं। प्रथम और द्वितीय श्रेणी (गजटेड) पदों पर नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में इन समितियों द्वारा की जाती हैं।

१९६० की हड़ताल

†१५०१. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री पांगरकर :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० की हड़ताल के कारण सेवा से हटाये गये या पदच्युत किये गये कर्मचारियों द्वारा दी गई अपीलों का निबटारा कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को पुनः काम पर लगाया गया है;

(ग) कितने कर्मचारियों की अपीलें रद्द की गईं; और

(घ) उन्हें रद्द करने के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) से (घ). सेवा से हटाये गये या पदच्युत किये गये कर्मचारियों द्वारा दी गई अपीलों पर विभिन्न विहित अपीलीय प्राधिकारियों को विचार करना है। सम्बंधित जानकारी उपलब्ध नहीं है और एकत्र की जा रही है।

सेना के सामान की स्थानीय खरीद

†१५०२. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ई० एम० ई० वर्कशाप दिल्ली छावनी के सैनिक सामान की मरम्मत के लिये, गत दो वर्षों की तुलना में वर्ष १९६१ में स्थानीय बाजार से अधिक सामान खरीदा गया है ;

(ख) इसे बन्द करने और आयुध कारखानों में इन वस्तुओं के निर्माण के लिये मन्त्रालय क्या पग उठाना चाहता है;

(ग) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा संघों के ५०५ आर्मी बेस वर्कशाप, दिल्ली छावनी द्वारा स्थानीय खरीद में किये गये गबन के कुछ मामले सरकार को बताये हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने स्थानीय खरीद के सब कथित मामलों की जांच करने के लिये कोई जांच न्यायालय नियुक्त किया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) हां श्रीमान्। स्थानीय खरीद में वृद्धि मुख्यतः वर्कशाप का उत्पादन बढ़ जाने और बाजार भाव बढ़ जाने के कारण हुई है;

(ख) स्थानीय खरीद ऐसे आपात के समय की जाती है जबकि सामान के सम्भरण के सामान्य संसाधन अर्थात् आयुध भण्डार से सामान उपलब्ध नहीं होता और वर्कशाप का काम पूरा करने के लिये शीघ्र सामान की आवश्यकता होती है। अधिकतर स्थानीय खरीद पुरानी मोटर गाड़ियों के पुर्जों की है और ये पुर्जे आयुध कारखानों में तैयार नहीं किये जा सकते।

(ग) नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

५०५ आर्मी बेस की कर्म समिति

†१५०३. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी की ५०५ आर्मी बेस वर्कशाप की कर्म समिति के चुने हुए दस सदस्यों में से नौ ने त्यागपत्र दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सभापति ने मामला उच्च प्राधिकारियों को भेजे बिना उन सदस्यों के त्यागपत्र स्वीकार कर लिये हैं;

(ग) क्या यह सच है कि अप्रैल से अगस्त, १९५९ तक कोई कार्य समिति नहीं थी और रिक्त पदों के लिये उपचुनाव (बाकी अवधि) केवल डेढ़ महीने के लिये १६ अगस्त, १९५९ को किये गये थे; और

(घ) क्या वर्कशाप के प्राधिकारियों ने उस करार का उल्लंघन किया था जो प्रशासन और मजदूर पंचायत के बीच, समझौता अधिकारी (केन्द्रीय) की सहायता से हुआ था ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) हां, श्रीमान् । वर्कशाप के कमाण्डेंट को, जो कार्य समिति का सभापति भी था, बिना उच्च अधिकारियों को मामला भेजे कार्य समिति के सदस्यों के त्यागपत्र स्वीकार करने का अधिकार था ;

(ग) हां, श्रीमान् । मजदूर पंचायत के व्यवहार के कारण उपचुनाव अगस्त, १९५९ से पहिले नहीं किये जा सके ।

(घ) नहीं, श्रीमान् ।

राजनैतिक पीड़ित

१५०४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को स्मरण पत्र भेज दिये गये हैं कि राजनैतिक पीड़ितों को सहायता देते समय आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों का भी पूरा ख्याल रखा जाये; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस परिपत्र की एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख) आदेशों की एक प्रतिलिपि संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७३]**

लोक सहायक सेना

१५०५. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री झूलन सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री २१ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक सहायक सेना की नई पुनरीक्षित योजना के अन्तर्गत किन-किन स्थानों पर कैम्प लगाये गये;

(ख) उनमें से प्रत्येक में कितने-कितने युवकों को प्रशिक्षित किया गया; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) वर्ष १९६१–६२ में ऐसे शिविर लगाने के लिये किन-किन स्थानों को चुना गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ३१११/६१]**

विश्व बैंक का ऋण

†१५०६. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बता ने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने तीसरी योजना में कोयला उद्योग के विकास-कार्य के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र को ३० करोड़ रुपया देना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न गैर-सरकारी संस्थाओं को आवंटन का तरीका क्या होगा; और

(ग) क्या भारत सरकार ने कोई गारण्टी दी है और यदि दी है तो गारण्टी किस प्रकार की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) विश्व बैंक ने तीसरी योजना के पहले दो वर्षों में गैर-सरकारी क्षेत्र को कोयले के उत्पादन के प्रबन्ध तथा विस्तार कार्यक्रम के लिये विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने के लिये भारत सरकार को ३५० लाख डालर (१६·६७ करोड़ रुपये) देना स्वीकार कर लिया है। समझौते की प्रतियां मिलने पर संसद् पुस्तकालय में रखदी जायेंगी। समझौता ९ अगस्त, १९६१ को हुआ था।

(ख) सरकार तथा कोयला उद्योग के प्रतिनिधियों की स्क्रीनिंग समिति के परामर्श पर विश्व बैंक की सहमति से सरकार इस ऋण से विदेशी मुद्रा का आवंटन करेगी।

(ग) क्योंकि ऋण भारत सरकार को मिला है इसलिये गारण्टी का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

पंजाब के लिये कोयला

†१५०७. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान को मई १९६१ के अन्त में ८५० वैगन कोयला भेजा गया था; और

(ख) चालू वर्ष में पंजाब को कोयले का कितना सम्भरण बढ़ गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) मई १९६१ के अन्तिम सप्ताह में पूर्व तथा पश्चिम पाकिस्तान को ९७१ वैगन कोयला भेजा गया था।

(ख) पंजाब को १९६० के पहले छः महीनों में प्रति महीने लगभग ४३०० वैगन कोयला गया था जबकि १९६० के इन्हीं महीनों में प्रतिमाह लगभग ४७०० वैगन कोयला गया है। पश्चिम बंगाल/बिहार कोयला खानों में परिवहन में सुधार हो जाने के कारण क्या पूरे टैक्स तथा आधे टैक्स के आयोजित आवागमन से जुलाई से पंजाब को सम्भरण बढ़ गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सिविल अस्पताल इम्फाल के निकट टंक पर भवन-निर्माण

†१५०८. **श्री लैं० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २१ मई, १९६१ को इम्फाल में इम्फाल नगरपालिका के करदाताओं की एक बैठक हुई थी जिसमें उन्होंने सिविल अस्पताल, इम्फाल के उत्तर पश्चिम के टंक पर भवन-निर्माण के तथा सिविल अस्पताल के पूर्व के अस्पताल के अहाते में भवन-निर्माण का विरोध किया था; और

(ख) क्या सरकार ने करदाताओं की शिकायत पर कोई कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

इंजीनियरिंग एण्ड टैक्ना लाजिकल कालिज, दुर्गापुर

†१५०९. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नालाजिकल कालिज, दुर्गापुर के मैदानों तथा भवनों में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अधिवेशन करने के लिए राजनैतिक बैठकों की अनुमति दे दी गई थी ;

(ख) क्या इस से यह पता लगता है कि सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं द्वारा अपने भवनों और मैदानों में राजनैतिक दलों की बैठकों की अनुमति देने के बारे में अब नीति परिवर्तन हो गया है ; और

(ग) क्या यह केवल सत्तारूढ दल को ही मिल पायेंगे ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायन् कबिर)** : (क) से (ग). दुर्गापुर रीजनल इंजीनियरिंग कालिज सोसायटी, जो एक स्वायत्तशासी निकाय है, ने मई १९६१ के अन्त में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अधिवेशन कालिज में करने की अनुमति दे दी थी। कालिज के अधिकारियों ने बताया है कि सोसायटी की ओर से सोसायटी की स्थायी समिति ने नये बने भवन को, जो जून/जुलाई १९६१ को खाली पड़ा रहना था, किराया, पानी, बिजली, के व्यय पर एक सप्ताह के लिए उपरोक्त कार्य के लिए दे दिया था। प्रादेशिक कालिज १९६० में आरम्भ किया गया था क्या दुर्गापुर में भवन बन जाने तक कलकत्ता में चालू था। इसीलिए शिक्षा संस्थाओं को राजनैतिक कार्यों के लिए प्रयोग में लाने की अनुमति देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जुलाई १९६१ में से कालिज में अपने भवन में चले जाने के बाद सोसाइटी द्वारा ऐसे कुछ कार्यों के लिए भवन को देने का कोई अवसर ही नहीं आयेगा ।

उड़ीसा में खेल के मैदान

†१५१०. **श्री चिन्तामणि पाणि ग्रही** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९६१ तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्र सरकार ने उड़ीसा में स्कूलों तथा कालिजों के खेल के मैदानों के लिए कितनी धनराशि दी थी ;

(ख) इस से कौन-से स्कूलों तथा कालिजों को लाभ हुआ ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) केन्द्र सरकार ने इस कार्य के लिए उड़ीसा को १९६१–६२ में कितनी धनराशि दी थी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) ७०,००० रु० ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २,अनुबन्ध संख्या ७४]**

(ग) कोई नहीं ।

दिल्ली में मद्य निषेध के अपराध

†**१५११. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली में मद्यनिषेध के बारे में अपराधों की संख्या बढ़ गई है ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). जांच तथा खोज के अन्य तरीकों के कारण पिछले कुछ वर्षों से उत्पादन शुल्क के अधिक मामले पकड़े गये हैं । परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि अपराधों की संख्या बढ़ गई है । परन्तु इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए बहुत सी कार्यवाहियां की गई हैं । हाल में ही उत्पादन शुल्क विभाग का पुनर्गठन किया गया है तथा एक उत्पादन शुल्क का गुप्त विभाग बनाया गया है । संदेहात्मक मार्गों तथा स्थानों पर उत्पादन शुल्क तथा पुलिस कर्मचारियों ने अक्सर छापे मारे हैं । मामलों की खोज के लिए और रुपया निश्चित किया गया है । इसके अतिरिक्त उत्पादन शुल्क अधिनियम का संशोधन भी कर दिया गया है जिस में बार बार अपराध करने वालों के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था है ।

विमान के शस्त्रास्त्रों का उत्पादन

†**१५१२. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विमान के शस्त्रास्त्रों के देसी उत्पादन को बढ़ाने पर भारत सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के ब्यौरे क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, हां । इन समस्याओं तथा परियोजनाओं पर लगातार विचार हो रहा है ।

(ख) ब्यौरे बताना लोक हित में नहीं है ।

कोयला खनन

†**१५१३.** { **श्री अरविन्द घोषाल :**
श्री बि० दास गुप्त :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका में आधुनिकतम कोयला खनन टैक्निक सीखने के लिए कोयला विशेषज्ञों का कोई दल अमरीका गया था ; और

---

†मूल अंगेजी में

(ख) यदि हां, तो उनका प्रतिवेदन क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) जी, हां।

(ख) दल की मुख्य बातों का सारांश सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७५]**

आय-कर कार्यालय, कलकत्ता में कर्मचारी परिषद् (स्टाफ काउंसिल)

†**१५१४. श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय-कर कार्यालय, कलकत्ता में कोई कर्मचारी परिषद् (स्टाफ़ काउंसिल) बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो किन सिद्धान्तों पर तथा उस के कार्यकलाप क्या हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) जी, हां। आय-कर कार्यालय कलकत्ता के लिये दो कर्मचारी परिषद् (स्टाफ़ काउंसिल), एक तृतीय तथा एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए, बनाई गई है।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७६]**

दिल्ली प्रशासन में सतर्कता विभाग

१५१५. श्री नवल प्रभाकर : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन में जनवरी, १९६१ से जून, १९६१ तक कितने मामले सतर्कता विभाग के पास आये हैं ; और

(ख) इन में से कितनों का निर्णय प्रशासन द्वारा किया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) १६८।

(ख) १०५।

त्रिपुरा में अध्यापक

†**१५१६. श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा प्रशासन में प्राथमिक स्कूलों के कितने अध्यापक तथा सहायक अध्यापक (अध्यापिकाओं समेत) हैं; और

(ख) त्रिपुरा प्रशासन में प्राथमिक स्कूलों के कितने अध्यापक तथा सहायक अध्यापक (अध्यापिकाओं समेत) अनुसूचित आदिम जातियों तथा अनुसूचित जातियों के हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) २६९१।

(ख) ५०४

---

†मूल अंग्रेजी में

मनीपुर में अध्यापक

†१५१७. **श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर प्रशासन में प्राथमिक स्कूलों के कितने अध्यापक तथा सहायक अध्यापक, (अध्यापिकाओं समेत) हैं; और

(ख) मनीपुर, प्रशासन में प्राथमिक स्कूलों के कितने अध्यापक तथा सहायक अध्यापक, (अध्यापिकाओं समेत) अनुसूचित आदिम जातियों तथा अनुसूचित जातियों के हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) (१) प्रशासन के अधीन स्कूलों में—१०१

(२) प्रादेशिक परिषद् के अधीन स्कूलों में —२८६२

(ख) (१) प्रशासन के अधीन स्कूलों में —६२

(२) प्रादेशिक परिषद् के अधीन स्कूलों में —८७७

दिल्ली प्रशासन

†१५१८. **श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के सभी विभागों में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के कितने कर्मचारी हैं; और

(ख) इन में अनुसूचित जाति तथा अनसूचित आदिम जाति के कितने हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों तथा इन में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के कमचारियों की संख्या नीचे दी गयी है :—

	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	जोड़
दिल्ली प्रशासन के अधीन काम करने वाले कर्मचारी .	५५	४८२	२०,३००	२०,८३७
अनसूचित जाति के कर्मचारी .	..	११	८५२	८६३
अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारी . . .	..	..	६७	६७

त्रिपुरा में नये कालिज

†१५१९. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्रिपुरा में एक मैडिकल कालिज, एक इंजीनियरिंग कालिज, एक लौ कालिज तथा एक कला (आर्ट्स) तथा विज्ञान (साइंस) का स्नातकोत्तर कालिज बनाने की संभावनाओं की जांच कर ली है ; और

(ख) क्या विशेष भौगोलिक स्थिति तथा जनसंख्या में शत प्रतिशत वृद्धि के कारण इन कालिजों को आरम्भ करने का कोई औचित्य है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). त्रिपुरा प्रशासन एक इंजीनियरिंग कालिज, एक लां कालिज, एक बी० टी० कालिज, तथा एक कला (आर्ट्स) तथा विज्ञान (साइंस) का स्नातकोत्तर कालिज बनाने के प्रस्ताव की जांच कर रहा है। परन्तु मैडिकल कालिज बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्रस्ताव की जांच करते समय वह सभी उचित बातों पर विचार करेंगे।

सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता

†१५२०. **श्री बलराज मधोक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों में जीवन व्यय देशनांक १० पाइन्ट बढ़ गये है ; और

(ख) यदि हां तो दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता क्यों नहीं बढ़ाया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). वेतन आयोग ने यह सिफारिश की है कि यदि १२ महीनों की अवधि में देशनांक औसतन ११५ से १० पाइन्ट अधिक रहते हैं तो सरकार को स्थिति का पुनर्विलोकन करना चाहिये और इस बात पर विचार करना चाहिये कि क्या महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाये और यदि हां, तो कितना। सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है और स्थिति पर लगातार ध्यान रखा जा रहा है किन्हीं भी १२ महीनों में जीवन व्यय देशनांक के औसत ११५ से, १० पाइन्ट अधिक नहीं हुए हैं। इसलिये महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

अलंकेश्वर का तेल

१५२१. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १४ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलंकेश्वर में तेल के सब कुओं की खुदाई पूरी हो गई है ; और

(ख) तेल की किस्म का जो परीक्षण चल रहा था उस का क्या परिणाम हुआ ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी नहीं ; अभी तक केवल १५ कुएं मुकम्मिल हुए हैं। जब अलंकेश्वर क्षेत्र पूर्णतया विकसित हो जायगा तब लगभग २०० कुएं चालू हो जायेंगे, ऐसा आयोजन है।

(ख) अलंकेश्वर में तेल अभिन्न रूप से उत्तम किस्म का है।

त्रिपुरा भू-राजस्व तथा भूमि सुधार अधिनियम

†१५२२. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा राज्य में त्रिपुरा भूराजस्व तथा भूमि सुधार अधिनियम, १९६० के समस्त उपबन्ध लागू न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार जानती है कि त्रिपुरा के लिये अधिनियमित इस अधिनियम के बाद से त्रिपुरा में भागीदारी तथा 'कुर्फा' की बेदखली के मामले बढ़ रहे हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो त्रिपुरा भू-राजस्व तथा भूमि सुधार अधिनियम १९६० के उन उपबन्धों को लागू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं जिन में त्रिपुरा में भागीदारी से बेदखली को संरक्षण मिलता है ; और

(घ) क्या भागीदारों के हित में इन उपबन्धों को बिना विलम्ब लागू करने का विचार सरकार कर रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) त्रिपुरा भूराजस्व तथा भूमि सुधार अधिनियम के भाग १, २, ४ तथा ६ की सभी धारायें और भाग ५ की धारा १८४ समस्त प्रदेश में लागू कर दी गई है। भाग ३ तथा ५ की अधिकांश धारायें कमालपुर सबडिवीजन में लागू की जा सकी हैं क्योंकि अन्य सब डिवीजनों का अभी सर्वेक्षण नहीं किया गया है तथा भूमि के रिकार्ड तैयार नहीं हैं ।

(ख) इस के बारे में निश्चित जानकारी नहीं है क्योंकि भागीदार तथा कुर्फा रैयत सामान्यतः शिकायतें नहीं करते है ।

(ग) धारा १२३ समेत अधिनियम के उपबन्ध तथा उप रैयतों को भूमि वापस दिलाने से और काश्तकारों तथा उप काश्तकारों को बेदखली से संरक्षण देने से सम्बन्धित धारा १८६ समस्त प्रदेश में लागू कर दी गई हैं ।

(घ) उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बिहार में टैक्नीकल शिक्षा

†१५२३. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टैक्नीकल शिक्षा के विकास के लिये बिहार की संस्थाओं (संस्थावार) को १९६०-६१ में कितना धन अनुदान दिया गया ;

(ख) क्या सरकार ने जांच की है कि अनुदान जिस कार्य के लिये दिया गया था वह उसी कार्य पर व्यय किया गया ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)**: (क) (१) बिहार सरकार को निम्नलिखित सरकारी संस्थाओं के विकास के लिये २९,६०,००० रुपयों का इकटठा अनुदान दिया गया है :

केन्द्र द्वारा चलाई गई योजनायें :

१. बिहार इंस्टीटयूट आफ टैक्नोलाजी, सिंदरी ।

२. धनबाद पालीटैक्नीक, धनबाद ।

३. स्कूल आफ इंजीनियरिंग, रांची

४. पालीटैक्नीक, पूर्निया

५. पालीटैक्नीक, दरभंगा

६. माइनिंग इंस्टीटयूट, झरिया

७. माइनिंग इंस्टीटयूट, कोडार्मा

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य की योजनायें

८. पालीटैक्नीक, गया

९. मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालाजी, मुजफ्फरपुर

१०. पालीटैक्नीक, भागलपुर

११. पालीटैक्नीक, पटना

१२. जूनियर टैक्नीकल स्कूल, पटना

१३. जूनियर टैक्नीकल स्कूल, मुजफ्फरपुर

१४. बिहार इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालाजी, सिंदरी ।

२. गैर-सरकारी संस्थायें :

	रुपये
१. बिड़ला इंस्टीटयूट आफ टैक्नालाजी, रांची . .	४,५०,०००
२. रीजनल कालिज आफ इंजीनियरिंग जमशेदपुर .	५,००,०००
जोड़ . . .	९,५०,०००

(ख) सरकारी संस्थाओं तथा रीजनल इंजीनियरिंग कालिज, जमशेदपुर के १९६०-६१ के व्यय आंकड़ों की प्रतीक्षा की जा रही है। बिड़ला इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालाजी, रांची ने उसी कार्य पर धन व्यय किया है जिस के लिये उसे दिया गया था ।

पिछड़े वर्गों का अखिल भारतीय सम्मेलन

†**१५२४. श्री अ० क० गोपालन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोझीकोड में १९६१ मई के दूसरे सप्ताह में अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान सम्मेलन द्वारा पारित विभिन्न संकल्पों की ओर गया है ; और

(ग) सम्मेलन में उठाई गई अधिकांश महत्वपूर्ण मांगों पर सरकार का क्या रवैया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) हमें इस की जानकारी नहीं है।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

धोखा-धड़ी के मामले

†**१५२५. श्री कुन्हन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २२ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स एस० बी० इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कम्पनी, लिमिटेड तथा मैसर्स रणजीत ट्रैवल एजेन्सी के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध मामले किस स्थिति में हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या चार फर्मों के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो मामले के ब्यौरे क्या हैं तथा कौन कौन सी फर्में संबद्ध हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) इन दोनों फर्मों के मामलों की कलकत्ता तथा अम्बाला में कार्यवाही का अन्तिम क्रम है ।

(ख) और (ग). शेष चार फर्मों में से एक के विरुद्ध अभियोग चलाने का निर्णय कर लिया गया है । शीघ्र ही मामला न्यायालय में ले जाया जायेगा । पर्याप्त गवाही न होने के कारण ३ अन्य फर्मों के विरुद्ध अभियोग नहीं चलाया जा सका । इन चारों फर्मों के नाम बताना लोक-हित में नहीं है ।

कन्ननूर छावनी

†१५२६. **श्री जीनचंद्रन**: क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय ने हैडक्वार्टर अस्पताल के विस्तार के लिये कन्ननूर की छावनी में १२ एकड़ भूमि देना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव किस स्थिति में है ; और

(ग) राज्य सरकार को भूमि कब तक दे दी जायेगी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) से (ग). भारत सरकार ने कन्ननूर छावनी में लगभग १.७५ एकड़ सैनिक भूमि ज़िला सदर मुकाम अस्पताल के विस्तार के लिये राज्य सरकार को देना स्वीकार कर लिया है। हस्तांतरण की शर्तें भूमि का हस्तांतरण करने से पूर्व राज्य सरकार को स्वीकृति के लिये भेज दी हैं। राज्य सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।

मनीपुर में बहुप्रयोजनीय स्कूल

†१५२७. **श्री ले० अवौ सिंह**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक बहु प्रयोजनीय स्कूल की व्यवस्था की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसको कहां पर खोला जायेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) अभी निर्णय नहीं किया गया है ।

तामेंगलांग की रानी गिडल्लो

†१५२८. **श्री ले० अवौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में तामेंगलांग की रानी गिडल्लो की हाल में विद्रोही नागाओं से मुठभेड़ हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की मुठभेड़ हुई थी;

(ग) क्या यह सच है कि नागा विद्रोहियों से मुठभेड़ को बचाने के लिये वह छिपी हुई हैं ; और

(घ) क्या उनके कुछ साथियों को इम्फाल में नज़रबन्द कर लिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). पता लगा है कि ४ फरवरी १९६१ को रानी गिडल्लो के लगभग पचास साथियों तथा नागा विद्रोहियों के होम गार्डों के बीच पैगिन-लांग गांव थाना तामेंगलांग में आपस में गोली चली थी। हताहतों की संख्या की जानकारी नहीं है।

(ग) पता लगा है कि वह छिपी हुई हैं परन्तु इसके कारण ज्ञात नहीं हैं।

(घ) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १०९ के अधीन उनके दो साथी जिनको नागा विद्रोही होने का संदेह है, के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। उनको तामेंगलांग थाने में मई १९६१ में सुरक्षा सेनाओं ने गिरफ्तार किया था।

मनीपुर में नागा

†**१५२९. श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ जून, १९६१ को मनीपुर में कांगपो कपी पुलिस स्टेशन के निकट नागाओं की ५ लाशें बड़ी बुरी दशा में पायी गयीं ;

(ख) क्या यह सच है कि इस बारे में १० कूकियों को गिरफ्तार किया गया ; और

(ग) नागाओं की हत्या किन कारणों से की गयी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) १ जून, १९६१ को पुलिस ने कांगपोकपी पुलिस चौकी से लगभग ८ मील दूर मोगबूग और बोलसम के बीच जंगल में से क्षत अवस्था में पांच नागाओं की लाशें प्राप्त कीं।

(ख) अभी तक ११ कूकी गिरफ्तार किये गये हैं।

(ग) मामले की जांच की जा रही है।

असैनिक लेखाओं सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

†**१५३०. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री वर्ष १९५९–६० के असैनिक लेखाओं सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिये, कि उसमें उल्लिखित अधिक उपबन्ध करने जैसी बात भविष्य में न हो, क्या उपाय किये गये और तरीके अपनाये गये हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षण द्वारा किये गये प्रस्ताव के आधार पर बजट बनाने और वित्तीय नियंत्रण की पद्धति का वर्ष १९५८––५९ में पुनरावलोकन और संशोधन किया गया था। कुल अनुदान और विनियोग पर कुल बचत की प्रति-शतता भी वर्ष १९५४–५५ में २०.२० प्रतिशत से घट कर वर्ष १९५९–६० में ३.४८ प्रतिशत रह गयी है।

यद्यपि आयव्ययक प्राक्कलन तैयार करते समय यथासंभव ठीक तैयार करने के लिये हर संभव प्रयत्न किया जाता है, आयव्ययक प्राक्कलनों और वास्तविक व्यय के बीच अन्तर को बिल्कुल नहीं मिटाया जा सकता, विशेषत: ऐसे मामलों में जब वे ऐसी बातों के कारण हों जिन पर सरकार का बहुत कम नियंत्रण हो अथवा बिल्कुल नियंत्रण न हो जैसे कर्मचारियों की उपलब्धता, संभव और मशीनें और भंडार, विशेषत: वे जो विदेशों से मंगाई जाती हैं, मूल्य आदि। तथापि, इस मामले पर निरन्तर ध्यान रखा जाता है और प्राक्कलन तैयार करने वाले अधिकारियों के मार्ग दर्शन के लिये जहां आवश्यक हो, उचित आदेश दिये जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में अपहरण के मामले

†१५३१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष १९६१ की पहली छमाही में अविवाहित लड़कियों के अपहरण के कितने मामले हुए ; और

(ख) पिछले वर्ष इसी अवधि के आंकड़े से इसकी क्या तुलना है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख).

वर्ष १९६१—३०
वर्ष १९६०—१७

पंजाब की शिक्षा संस्थाओं को अनुदान

†१५३२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब की कितनी शिक्षा संस्थाओं ने वर्ष १९६१—६२ में अब तक अनावर्ती अनुदान के लिये आवेदन किया ; और

(ख) इन संस्थाओं में से प्रत्येक को कितना अनुदान मंजूर किया गया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) तीन ।

(ख) उनमें से एक को, अर्थात् कस्तूरबा ग्राम्य संस्था घो ३०,००० रुपये । बाकी दो संस्थाओ की प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है ।

राष्ट्र मडलीय देशों में तेल

†१५३३. **श्री कालिका सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० में प्रत्येक राष्ट्रमंडलीय देश में कितने तेल का उत्पादन हुआ ;

(ख) विभाजन पूर्व के भारत के भारतीय भाग में उत्पादन की अपेक्षा वर्ष १९६० में भारत में कितने तेल का उत्पादन हुआ ; और

(ग) वर्ष १९६२–६३ तक भारत में कच्चे खनिज तेल के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की आशा है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जहां तक पता है वर्ष १९६० में राष्ट्रमंडलीय देशों में कच्चे तेल का उत्पादन निम्न प्रकार है :

वर्ष १९६० में कच्चे तेल का उत्पादन

(आंकड़े हजार मीटरिक टनों में)

कनाडा	२५,८२७
तिरीनीदाद	६,१२९
नाईजीरिया	४७८
ब्रिटेन	८७
ब्रिटिश बोर्नियो	४६००
भारत	४४९
पाकिस्तान	३६४

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वर्ष १९६०–में भारत में कच्चे तेल का उत्पादन ४४९,००० मीटरिक टन रहा। वर्ष १९४६ में विभाजन-पूर्व के भारत में भारतीय भाग में कच्चे तेल का उत्पादन लगभग २७०,२७० टन रहा।

(ग) वर्ष १९६० के उत्पादन पर वर्ष १९६२–६३ में कच्चे तेल के उत्पादन में १६.१ लाख मीटरिक टन की वद्धि होने का अनुमान है।

शारीरिक शिक्षा संबंधी गोष्ठियां

१५३४. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शारीरिक शिक्षा के सम्बन्ध में जो गोष्ठियां आयोजित की गयी थीं क्या उनकी कार्यवाही तथा सिफारिशें हिन्दी में भी प्रकाशित की गयी हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो कब से ऐसी सभी कार्यवाही हिन्दी में भी प्रकाशित करने की व्यवस्था की जाने वाली है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी नहीं।

(ख) अभी तक गोष्ठियों (सेमिनारों) की कार्यवाहियों और सिफारिशों के हिन्दी अनुवाद की कोई मांग नहीं है, किन्तु मांग होने पर इस पर विचार किया जाएगा।

नियमों का हिन्दी में अनुवाद

१५३५. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या विधि मंत्री १५ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सब मंत्रालयों तथा विभागों से हिन्दी में अनुवाद के लिये नियमों की प्रतियां विधि मंत्रालय में प्राप्त हो चुकी हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो उन विभागों से ऐसे नियम आदि के मंगाने के लिये मंत्रालय ने क्या कदम उठाये हैं ?

विधि उपमंत्री (श्री हजरतवीस) : (क) वैदेशिक कार्य मंत्रालय, योजना आयोग और अणु-शक्ति विभाग को छोड़ कर अन्य सभी मंत्रालयों ने इस मंत्रालय को विधिजात नियमों और आदेशों को हिन्दी में अनुवाद के लिये भेज दिया है।

(ख) उन मंत्रालय और विभागों को फिर से याद दिलाई गई है कि वे अपने द्वारा बनाये गये विधिजात नियमों और आदेशों को हिन्दी में अनुवाद के लिये भेज दें।

मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्ट

१५३६. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद के गत अधिवेशन में कुछ मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों के हिन्दी रूपांतर उन मंत्रालयों के अनुदानों की मांगों सम्बन्धी बजट पर बहस समाप्त हो चुकने के पश्चात् वितरित किये गये थे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो वे कौन कौन से मंत्रालय हैं जिनके वार्षिक प्रतिवेदनों के हिन्दी रूपांतर बाद में वितरित किये गये और इस देरी का क्या कारण है ; और

(ग) इन प्रतिवेदनों के हिन्दी रूपांतर को सम्बन्धित मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बहस से पहले वितरित करने की क्या व्यवस्था की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

माध्यमिक स्कूलों के पुस्तकालयों के लिये पुस्तकों की सूची

१५३७. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा मंत्रालय की ओर से माध्यमिक स्कूलों के पुस्तकालयों के योग्य पुस्तकों की सूची तैयार करने के काम में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या इन सूचियों में हिन्दी की अच्छी पुस्तकों के नाम भी सम्मिलित किये गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). चुने हुये विस्तार सेवा केन्द्रों ने अपने अपने राज्यों में पुस्तकालयों के लिये उपयुक्त पुस्तकों की सूचियां तैयार करने के लिये कार्य-गोष्ठियों (वर्कशाप) का आयोजन किया है । प्रश्नावली के जरिये उपयुक्त पुस्तकों के नामों के सम्बन्ध में भी सुझाव प्राप्त कर लिये गये हैं और इनमें हिन्दी की पुस्तकें भी सम्मिलित हैं ।

हिन्दी में गोष्ठियां

१५३८. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा मंत्रालय की ओर से हिन्दी अध्यापको के लिये जिन गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है क्या उनकी कार्यवाही हिन्दी में भी होती है, यदि हां, तो कितने अंश में ;

(ख) क्या इनके कार्य-वाही-सारांश हिन्दी में भी प्रकाशित किये जाते हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो तो कब से ऐसे कार्यवाही, सारांश हिन्दी में भी प्रकाशित करने की व्यवस्था की जाने वाली है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) गोष्ठियों (सेमिनारों) की कार्यवाहियां केवल हिन्दी में ही होती हैं ।

(ख) और (ग) :—गोष्ठियों की कार्यवाहियों का कार्यवृत, जो हिन्दी और अथवा अंग्रेजी में तैयार किया जाता है, छापा नहीं जाता बल्कि भाग लेने वालों को साई क्लोस्टाइल प्रतियां उपलब्ध कर दी जाती हैं । भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि कार्यवृत्त हिन्दी में अवश्य तैयार अथवा प्रकाशित किया जाये ।

आल मैन आर ब्रदर्स

१५३९. श्री म० लां० द्विवेदी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "आल मैन आर ब्रदर्स" (सब व्यक्ति भाई हैं) नामक प्रकाशन की बहुत-सी प्रतियां युनेस्को से खरीदी गई हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनका कितना मूल्य दिया गया है ;

(ग) इन्हें किन किन राज्यों में बांटा गया ; और

(घ) वहां इनका किस प्रकार उपयोग किया गया ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां । १५५८३ प्रतियां खरीद ली गई हैं ।

(ख) ३८,९५७ रुपये ५० नये पैसे ।

(ग) समस्त राज्यों और संघीय क्षेत्रों के माध्यमिक स्कूलों में निःशुल्क वितरण के लिये ।'

(घ) इस प्रकाशन के साथ मंत्रालय द्वारा तैयार की गई टिप्पणी, जिसमें इस प्रकाशन के प्रयोग के बारे में सुझाव दिये गये थे, की प्रतियां भी भेजी गईं ।

महात्मा गांधी की शिक्षायें

१५४०. श्री० म० ला ० द्विवेदी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महात्मा गांधी की शिक्षाओं का पाठशालाओं में प्रचार करने के लिये जो योजना बनाई गई थी उसकी कार्यान्विति में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस कार्य के लिये कौन से व्यक्ति नियुक्त किये जाते हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). ५ राज्यों और एक संघीय क्षेत्र के चुने हुये माध्यमिक स्कूलों में गांधी जी के भाई की पोती कुमारी मनु बहन गांधी ने अब तक गांधी जी के जीवन और उपदेशों पर बहुत से भाषण दिये हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने गांधी जी जीवन के और उपदेशों से सम्बन्धित यूनेस्कों द्वारा प्रकाशित "आल मैन आर ब्रदर्स" की एक एक प्रति देश के समस्त माध्यमिक स्कूलों में वितरित कर दी है ।

छात्रावास

१५४१. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्रवधि में केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये ऋण की सहायता से अब तक देश में कुल कितने छात्रावास बनाये जा चुके हैं ;

(ख) कुल मिला कर अब तक ऐसा कितना ऋण दिया जा चुका है ; और

(ग) इस ऋण को सरकार किस रूप में वसूल करेगी ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग) . सूचना एकत्रित को जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

अलीपुर की टकसाल के कामगर

१५४२. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता की अलीपुर टकसाल में कामगरों को प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करना पड़ता है ;

(ख) इस टकसाल के काम का सामान्य कार्य-समय एक सप्ताह में कितने घण्टों का है ; और

(ग) इस वर्ष अब तक ओवर टाइम के रूप में कर्मचारियों को कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पहली जुलाई १९५९ से ४८ घंटे और १७ अप्रैल से १९६१ से ६० घंटे ।

(ख) ३७½ घंटे ।

(ग) पहली जनवरी, १९६१ से ३० जून, १९६१ तक अतिरिक्त (एक्स्ट्रा) समय के ओवर-टाइम भत्ते के रूप में ५,६१,८७२ रुपये ३९ नये पैसे दिये गये ।

भारत में प्रविधिक शिक्षा की सुविधायें

१५४२. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "फैसिलीटीज़ फार टेक्निकल एजूकेशन इन इंडिया" (भारत में टेक्निकल शिक्षा के लिये सुविधाये) नामक प्रकाशन किस वर्ष से आरम्भ किया गया, और

(ख) क्या सरकार इसका हिन्दी संस्करण भी निकालने पर विचार करेगी ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क). १९६० ।

(ख) जी हां, उचित समय पर ।

खनन प्रमाण पत्र

†**१५४४. श्री प्र० गं० देव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनन प्रमाणपत्रों के पुनर्नवीकरण के लिये शुल्क में वृद्धि के बारे में नवम्बर, १९६० के मध्य में अचानक गजट अधिसूचना प्रकाशित होने से खनन के लिये अनुमति प्रमाण-पत्र वाले अधिकांश प्रमाण-पत्रधारियों को कठिनाई हुई है ;

(ख) क्या इस कारण उड़ीसा राज्य के व्ययक्तियों को वर्ष १९६१ के लिये समय पर नया शुल्क न दे सकने के कारण हानि हुई है ; और

(ग) इस कठिनाई को दूर करने के लिये नियमों में ढील देने के लिये सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

कोयला खनन के लिये पौलैंड का सहयोग

†१५४५. **श्री अरविन्द घोषाल :**
श्री प्र० गं० देव :
डा० राम सुभग सिंह :
महाराज कुमार विजय आनन्द :
श्री प्र० च० बरुआ :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंभीर-कूपक खानें खोदने के लिये भारत पोलैंड करार को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो शर्तें क्या हैं ; और

(ग) कितनी खानें खोदी जायेंगी और कहां पर ?

†**इस्पात खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** :(क) से (ग). जी, हां । आर्थिक सहयोग सम्बन्धी भारत-पोलैंड करार के अन्तर्गत राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने पोलैंड के "सेकोप" के साथ दो करार किये हैं —एक झरिया कोयला क्षेत्र में सूदामडीह में एक गभीर-कूपक खान और एक प्रवणक खान के विकास के लिये परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये और दूसरा गहरी खुदाई की मशीनों के संभरण के लिये है । परियोजना प्रतिवेदन की लागत ३.८० लाख रुपये होगी और कूपक खोदने को आरम्भ करने के लिये डिजाइनों और आंकड़ों के लिये ६०,००० रुपये अतिरिक्त लागत होगी ।

दूसरे करार के अनुसार मशीनें और उपकरण, कुछ मदों को छोड़कर जिनका संभरण ३१ अगस्त १९६२ तक होगा, ३१ मार्च, १९६२ तक प्राप्त जायेंगे । जो मशीनें खरीदी जायेंगी उनकी लागत लगभग ३६ लाख रूपये होगी ।

आसाम में तेल कूप

†१५४६. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में अब तक कितने तेल-कूपों का छिद्रण किया गया है ;

(ख) इनमें से कितनों में तेल निकल रहा है ; और

(ग) वर्ष १९६१–६२ में कितने तेल-कूपों का छिद्रण किया जायेगा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) ११९८ ।

(ख) ५०८ ।

(ग) ३६ ।

'राजतरंगनी' और अन्य पुस्तकों की पांडुलिपियां

†१५४७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर राज्य क्षेत्र में "राजतरंगनी" पुस्तक समेत पुस्तकों की १०० से भी अधिक हस्तलिपियां प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो हस्तलिपियों का क्या स्वरूप है और उनका ऐतिहासिक महत्व क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूंन कबिर)**: (क) और (ख). हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में खेल कूद

†१५४८. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में खेल-कूद का स्तर ऊंचा उठाने के लिये पंजाब को किसी धनराशि का अनुदान दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो धनराशि कितनी है और इस समय के दौरान इस मामले में क्या कार्य किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) जी, हां ।

(ख) कुल ३,२२,००० रुपये की धनराशि मंजूर की गयी जिसका ब्योरा निम्न प्रकार है :

योजना	वर्ष	धनराशि
		रुपये
अमृतसर में क्रीड़ांगन का निर्माण	१९५७–५८	५०,०००
शिक्षा संस्थाओं में खेल के मैदानों का अर्जन	१९५९–६०	८०,५००
शिक्षा संस्थाओं में खेल के मैदानो का अर्जन	१९६०–६१	१,५२,०००
शिक्षा संस्थाओं में खेल-कूद के सामान की खरीद	१९५९–६०	८,०००
शिक्षा संस्थाओं में खेल-कूद के सामान की खरीद	१९६०–६१	९,०००
ग्राम्य क्षेत्रों में खेलों को लोक-प्रिय बनाना	१९५९–६०	९,०००
ग्राम्य क्षेत्रों में खेलों को लोक-प्रिय बनाना	१९६०–६१	१३,५००

ये सभी उपरोक्त अनुदान विशिष्ठ कार्यों के लिये देने के लिये राज्य सरकार को मंजूर किये गये थे ।

वीसा

†१५४९. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१ की पहली और दूसरी छमाहीं में कितने विदेशियों को भारत भ्रमण के लिये वीसा दिये गये ; और

(ख) ये व्यक्ति किन देशों के हैं ;

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७७]**

मोटर स्पिरिट आदि की आवश्यकता

†१५५०. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब, काश्मीर और उत्तर-प्रदेश इन तीन राज्यों में मोटर स्पिरिट, डीजल तेल, मिट्टी का तेल और स्नेहन तेलों की वार्षिक अनुमानित आवश्यकता क्या है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : पेट्रोलियम उत्पादों के खपत आंकड़े और वायदा प्राक्कलन राज्य-वार नहीं रखे जाते हैं परन्तु वह विभिन्न राज्यों में मुख्य पत्तन से देशाभ्यांतर स्थानों को भेजे गये संभरण के आधार पर एकत्र किये जाते हैं। पंजाब और काश्मीर में डिपुओं को संभरण मुख्यत: कांडला से और कभी कभी बम्बई और कलकत्ता से भी किया जाता है। उत्तर प्रदेश में डिपुओं को संभरण मुख्यत: कलकत्ता से और कभी कभी म वम्बई से भी किया जाता है। इन डिपुओं से वर्ष १९६० में लाइट डिस्टिलेट्स, केरोसीन और डीजल की कुल खपत क्रमश: ०.९५, २.२७ और २.७२ लाख मीटरिक टन रही। स्नेहन तेलों के संभरण के क्षेत्रवार आंकडे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

पंजाब म आदिम जाति क्षेत्र

†**१५५१. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में वर्ष वार अब तक पंजाब राज्य में, जिला-वार, आदिम जातीय क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिये ग्राम्य कल्याण योजनाओं पर राज्यकीय और केन्द्रीय क्षेत्रों में पृथक पृथक कितनी धन राशि आवंटित की गयी ;

(ख) उस धन राशि से अब तक बनाई गई अथवा बनाई जा रही जिला-वार सड़कों की क्या संख्या और नाम हैं ; और

(ग) बाकी काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** :(क) से (ग). अपेक्षित जानकारी राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जावेगी।

अवैध रूप से हथियार बनाने वाले कारखाने

†**१५५२. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५९–१९६०में राज्य वार सरकार ने भारत में अवैध रूप से हथियार बनाने वाले-कितने कारखानों का पता लगाया ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जावेगी।

निवृत्ति वेतन के मामले

†**१५५३. श्री सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) राज्यवार वर्ष १९६० में सेवा-निवृत्ति केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के निवृत्ति-वेतन के निबटारे के कितने मामले लम्बित हैं और

(ख) राज्य वार वर्ष १९६० से पूर्व सेवा-निवृत्ति हुये उसी श्रेणी के कर्मचारियों के निवृत्ति वेतन के निबटाने के कितने मामले लम्बित हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

क्षमादान और दण्ड परिहार

†**१५५४. सरदार इक़बाल सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री (१) हत्या के मामले और (२) अन्य मामलों की संख्या बताने की कृपा करेंगे जिनमें केन्द्रीय सरकार ने अथवा राष्ट्रपति ने मार्च, १९६१ से जुलाई, १९६१ तक की अवधि में क्षमा दान दिया अथवा दण्ड में कमी की ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** १ मार्च से ३१ जुलाई, १९६१ तक की अवधि में ३८ बन्दियों के मामले में मृत्यु दण्ड को कम करके आजीवन कारावास किया गया; एक मामले में जुर्माना समाप्त किया गया और तीन मामलों में दण्ड का परिहार किया गया ।

राज्यों में विदेशियों द्वारा खरीदी गयी सम्पत्ति

†**१५५५. सरदार इकबाल सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९ में और १९६० में विभिन्न राज्यों में विदेशियों द्वारा खरीदी गयी सम्पत्ति की क्या संख्या और मूल्य है ; और

(ख) क्या इन विदेशियों ने भारतीय नागरिकता अधिकार प्राप्त कर लिये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मत्री (श्री दातार):** (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पंजाब में नगरपालिका के मेहतर

†**१५५६. सरदार इकबाल सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री बह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगरपालिका के मेहतरों को सुविधायें देने के लिये पंजाब को वर्ष १९६१-६२ में अब तक कोई सहायता दी गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि दी गयी है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) और (ख). नगरपालिका के मेहतरों को निम्नलिखित दो केन्द्रीय पुरस्कृत योजनाओं के अधीन सुविधाये मिलेंगी :—

योजना का नाम	वर्ष १९६१-६२ के लिये उपबन्ध
१. सर पर पाखाना लाने की प्रक्रिया को हटाने समेत अस्वच्छ कार्यों में लगे व्यक्तियों की कार्य की दशा में सुधार करना . . .	२.६६ लाख रुपये
२. भंगियों और मेहतरों के लिये आवास के लिये राज-सहायता और अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिये जो (क) अस्वच्छ कार्यों में लगे हुये और (ख) जो भूमिहीन श्रमिक हैं, मकानों के लिये स्थानों की व्यवस्था	२.३२ लाख रुपये
कुल . . .	४.९८ लाख रुपये

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय करों में कमी

†१५५७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९५९-६० और १९६०-६१ में कुछ राज्यों में केन्द्रीय करों के संग्रह में कोई गिरावट हुई ;

(ख) इन राज्यों के क्या नाम हैं और प्रत्येक मद में कितनी कमी हुई ; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

पंजाब में राजस्व की वसूली

†१५५८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६०-६१ में पंजाब में जिला-वार सम्पदा शुल्क, व्यय कर, उपहार कर और धन-कर के रूप में कितनी धनराशि का मूल्यांकन किया गया और कितनी धनराशि एकत्र की गयी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७८**]

पंजाब को कच्चे लोहे का संभरण

†१५५९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६०-६१ और १९६१-६२ में अब तक पंजाब को कच्चे लोहे की कितनी मात्रा का संभरण किया गया ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : वर्ष १९६०-६१ में ८४,६५८ मीटरिक टन का संभरण किया गया और वर्ष १९६१-६२ में जून, १९६१ तक १८,६८४ मीटरिक टन का संभरण किया गया ।

पंजाब के लिये लोहे की चादरें

†१५६०. { **सरदार इकबाल सिंह** :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१-६२ में अब तक पंजाब सरकार की लोहे की चादरों की कितनी मांग है ; और

(ख) यह मांग उपरोक्त अवधि कहां तक पूरी की गयी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख).

	टन
वर्ष १९६१-६२ की पहली छमाही की मांग	४७,६८०
वर्ष १९६१-६२ की पहली छमाही में आवंटन . . .	१८,६१२
संभरण (अप्रैल से जून, ६१ तक)	*४,९६७

(*) इसमें केन्द्रीय अभ्यंश पर संभरण और राज्य में नियंत्रित स्टाकहोल्डरों को संभरण शामिल है । ये आंकड़े चालू और बकाया आर्डरों पर संभरण के है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में शिशु कल्याण कार्यक्रम

†१५६१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब की राज्य सरकार को वर्ष १९५९-६० और १९६०-६१ में राज्य में शिशु कल्याण योजनायें क्रियान्वित करने के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई है ; और

(ख) इस कार्यक्रम के लिये वर्ष १९६१-६२ के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). जानकारी सम्बन्धित प्राधिकारियों से एकत्र की जा रही है । यह यथासंभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

इस्पात का मूल्य

†१५६२. **श्री सूपकार** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में इस्पात के मूल्य में वृद्धि की गई है और यदि हां, तो प्रति टन कितनी बृद्धि की गई है ; और

(ख) मूल्य में वृद्धि के क्या कारण है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) वर्ष १९६१ में काली चादरों, जस्ता चढ़ी हुई नालीदार चादरों, परीक्षित बिलेटों, पटसन की गांठों के हुपों, पानी चढ़े तारों और टेलीग्राफ तारों के विक्रय मूल्यों में वृद्धि की गई थी । एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ठ २, अनुबन्ध संख्या ७९]**

(ख) कुछ चीजों जैसे हुपों और तारों के मूल्यों में वृद्धि इन की उत्पादन लागत में वृद्धि होने के कारण की गई । अन्य वस्तुओं जैसे काली चादरों, जस्ता चढ़ी नालीदार चादरों और परीक्षित बिलेटों के मूल्यों में वृद्धि मूल्य ढांचे के सुव्यवस्थाकरण को ध्यान में रख कर की गई ।

भुवनेश्वर के समीप छावनी

†१५६३. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में भुवनेश्वर के समीप एक छावनी स्थापित करने का फैसला किया है ,

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस की स्थापना पर कितनी लागत आयेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). उड़ीसा में छावनी स्थापित करने का प्रस्ताव उस राज्य सरकार के परामर्श से, जिस को इस कार्य के लिये आवश्यक सुविधायें देने को कहा गया है, विचाराधीन है ।

(ग) अभी यह प्रस्ताव प्राक्कलन तैयार करने के प्रश्न पर नहीं आया है । इस की उपयुक्तता के बारे में स्थान पर विचार किया जा रहा है ।

कमलपुर गांव (मैसूर) में संग्रहालय

†१५६४. **श्री अगाडी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ८ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन वस्तुओं को रखने के लिये मैसूर राज्य में बेलारी जिले में होस्पत तालुक में, कमलपुर गांव में संग्रहालय के निर्माण में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इमारत कब तक बन कर तैयार हो जायेगी ;

(ग) क्या कथित प्राचीन वस्तुओं का संग्रह आरम्भ कर लिया गया है ; और

(घ) प्राचीन वस्तुओं का स्वरूप क्या है और अब तक एकत्र की गई वस्तुओं की संख्या क्या है और इस समय वे कहां पर रखी गई हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) और (ख). संग्रहालय की इमारत के लिये योजना और प्राक्कलन अभी केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये जा रहे हैं । योजना और प्राक्कलनों को अन्तिम रूप दिये जाने और सरकार द्वारा अनुमोदित हो जाने के बाद ही इमारत का निर्माण आरम्भ किया जायेगा । अभी यह नहीं कहा जा सकता कि इमारत कब तक बन कर तैयार हो जायेगी ।

(ग) संग्रहित वस्तुयें उपलब्ध हैं ।

(घ) अधिकांश मूर्तियां हैं जो १००० से अधिक हैं और इस समय हम्पी के संग्रहालय में रखी हुई हैं जो हाथी खाना के साथ एक सुरक्षित स्मारक, गार्डस हाउस में स्थित हैं ।

दिल्ली में किराया न्यायाधिकरण

†१५६५. **श्री अरविंद घोषाल** :
श्रीमती गंगा देवी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली का किराया न्यायाधिकरण मई और सितम्बर, १९५९ के बीच बन्द रहा; और

(ख) यदि हां, तो क्यों और उसे पुनः कब चालू किया गया और जिन दिनों उस का कार्य बन्द रहा उस समय के विचाराधीन मामलों और अपीलों का क्या हुआ ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) निम्नलिखित अवधियों में कोई किराया न्यायाधिकरण कार्य नहीं कर रहा था :

(१) २-४-५९ से ७-६-५९

(२) ४-७-५९ से १८-८-५९

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) २-४-५९ तक एक अतिरिक्त जिला एवं सेशन्स जज ने न्यायाधिकरण के रूप में कार्य किया ; तत्पश्चात् वह दिल्ली प्रशासन में विधि एवं न्यायिक सचिव नियुक्त किर दिये गये । तब उच्च न्यायालय से एक अन्य अतिरिक्त जिला एवं सेशन्स जज को किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण नियुक्त करने के लिये मंजूरी मांगी गई । उच्च न्यायालय की स्वीकृति की प्राप्ति पर इस अधिकारी को न्यायाधिकरण नियुक्त किया गया और उस ने ८ जून, १९५९ से कार्य प्रारम्भ किया । परन्तु वह अचानक बीमार हो गये और ४ जुलाई, १९५९ से छुट्टी चले गये और १९ अगस्त, १९५९ से एक दूसरे अधिकारी को इसी प्रकार उच्च न्यायालय की स्वीकृति प्राप्त कर के न्यायाधिकरण नियुक्त किया गया । इन अवधियों में अपीलें लम्बित रहीं और पद रिक्त रहा और पद छोड़ने वाले अधिकारियों के उत्तराधिकारियों ने उन का निपटारा किया ।

भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में जम्मू तथा काश्मीर के अधिकारी

†१५६६. **श्री बलराज मधोक** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा संवर्गों में जम्मू तथा काश्मीर राज्य से कितने अधिकारी लिये गये ;

(ख) इन अधिकारियों के प्रवरण की कसौटी क्या रही है ;

(ग) इन अधिकारियों में से कितने जम्मू तथा काश्मीर राज्य से बाहर भारत के अन्य भागों में नियुक्त किये गये हैं ;

(घ) शेष भारत में से चुने गये कितने अधिकारियों ने अभी तक जम्मू तथा काश्मीर राज्य में सेवा करने की इच्छा व्यक्त की है ; और

(ङ) उन में से कितने उस राज्य में नियुक्त किये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दातार)** : (क) जम्मू तथा काश्मीर राज्य में भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का प्रथम बार निर्माण करते समय जम्मू तथा काश्मीर राज्य से १६ अधिकारी भारतीय प्रशासन सेवा में लिये गये थे और ११ अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा में ।

(ख) भारतीय प्रशासन सेवा के लिये जम्मू तथा काश्मीर की राज्य सिविल सेवा के ऐसे समस्त अधिकारियों, जिन्होंने जम्मू तथा काश्मीर सरकार के अन्तर्गत डिप्टी कमिश्नर अथवा समान पदों पर कम से कम ८ वर्ष सेवा की थी और ऐसे राज्य सिविल सेवा अधिकारियों, जिन्होंने यद्यपि ८ वर्ष सेवा नहीं की थी परन्तु जिनकी राज्य सरकर द्वारा विशेष रूप से सिफारिश की गई थी, का विचार गया था । प्रथम निर्माण के समय अन्य अधिकारियों, जिन्होंने डिप्टी कमिश्नर के बराबर के ग्रेड अथवा ग्रेडों में ८ वर्ष सेवा की थी और जिन्हें सरकार द्वारा असाधारण योग्यता वाला समझा गया था, का भी भारतीय प्रशासन सेवा में नियुक्ति के लिये विचार किया गया था । परन्तु राज्य सरकार को यह छूट भी दी गई थी कि वह असाधारण मामलों में ऐसे अधिकारियों की सिफारिश भी कर सकेगी जिन्होंने ८ वर्ष से कम की ऐसी सेवा की हो ।

इसी प्रकार भारतीय पुलिस सेवा के मामले में जम्मू तथा काश्मीर राज्य के सम त राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों, जिन्होंने कम से कम ८ वर्ष तक पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट/असिस्टेंट सुपरिन्टेन्डेन्ट के रूप में सेवा की हो और राज्य पुलिस सेवा के ऐसे अन्य अधिकारियों, जिन्होंने यद्यपि ८ वर्ष की ऐसी सेवा नहीं की थी परन्तु जिनकी राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सिफारिश की गई थी, का विचार किया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) प्रथम निर्माण के समय नियुक्त किए गए अधिकारियों में से किसी को भी भारत के किसी अन्य भाग में नियुक्त नहीं किया गया है ।

(घ) और (ङ). अभी तक उस राज्य के बाहर का केवलएक अधिकारी १९६० में हुई वार्षिक प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भारतीय प्रशासन सेवा में चुना गया है । १९६० की परीक्षा के आधार पर चुने गए ८७ अभ्यर्थियों में से केवल तीन ने अपनी अग्रिमता जम्मू तथा काश्मीर राज्य में आवण्टन के लिये की व्यक्त की थी । इनमें से कोई भी अधिकारी उस राज्य को आवण्टित नहीं किया जा सका क्योंकि उन्हें उन राज्यों को आवण्टित किया गया है जिन के लिये उन्होंने उच्चतर अग्रिमता व्यक्त की थी ।

जम्मू तथा काश्मीर को केन्द्रीय सहायता

†१५६७. **श्री बलराज मधोक** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा जम्मू तथा काश्मीर राज्य को जनता को राज सहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्न के संभरण के लिये दी गई राशि वर्षवार कितनी है ;

(ख) श्रीनगर और जम्मू में राज सहायता प्राप्त खाद्यान्नों का विक्रय भाव क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि श्रीनगर में परिवहन की अधिक लागत के बावजूद अन्न का संभरण जम्मू की अपेक्षा सस्ते भाव पर किया जाता है ; और

(घ) इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क)

वर्ष	राशि
१९५३–५४	१,१२,२०,८६२
१९५४–५५	१,५०,००,०००
१९५५–५६	१,२५,००,०००
१९५६–५७	१,५२,७९,०००
१९५७–५८	१,२५,००,०००
१९५८–५९	७५,००,०००
१९५९–६०	५९,९६,४२८
गत खाद्य वर्षों के लिये तदर्थ अनुदान	१,२५,००,०००
योग	८,९४,९६,२९०

(ख) और (ग). जम्मू तथा काश्मीर राज्य ने हमें सूचित किया है कि श्रीनगर में चावल का बिक्री भाव १३·३३ रुपये प्रति मन है और जम्मू में १६ रुपये प्रति मन है । केवल चावल की बिक्री में राज सहायता दी जाती है ।

(घ) यह निर्णय जम्मू तथा काश्मीर सरकार द्वारा कुछ आर्थिक तत्वों का विचार करने के पश्चात् किया गया था ।

†मूल अंग्रेजी में

अफीम की दरें

†१५६८. **श्री आसर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश के विधान सभा सदस्यों और अफीम की खेती करने वालों से अफीम की दरें बढ़ाने के लिये कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हा, तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : भारत सरकार को मध्य प्रदेश के विधान सभा सदस्यों से किसानों को भुगतान किये जाने वाले अफीम के मूल्य को बढ़ाने के संबंध में कोई ज्ञापन मिलने का कोई रिकार्ड नहीं है । परन्तु मध्य प्रदेश के पोस्त की खेती करने वाले ऐसी वृद्धि के लिये समय-समय पर अभ्यावदन करते रहे हैं ।

(ख) पोस्त की खेती करने वालों को देय मूल्य का प्रतिवर्ष पुनरीक्षण किया जाता है और वह समस्त संगत तत्वोंका, निर्यात मूल्यों और पोस्त की खेती के क्षेत्रों में उगाई जाने वाली अन्य नकदी फसलों के मूल्यों को सम्मिलित करके, विचार करके निश्चित किया जाता है। १९५५–५६ में यह मूल्य ३३ रुपये प्रति सेर था जो १९६०–६१ में औसत उत्पादन के आधार पर बढ़ाकर ३३·५० से ४२ रुपये तक कर दिया गया है ।

केरल के लिये लोहा और इस्पात

†१५६९. **श्री मणियंगाडन** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) केरल राज्य की १९५९–६० और १९६०–६१ की लोहे तथा इस्पात की आवश्यकतायें कितनी थीं ;

(ख) उसमें से कितने का संभरण किया गया ; और

(ग) यदि पूरी आवश्यकता का संभरण नहीं किया गया हो तो इसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). (१) इस्पात :

(टनों में)

	मांग	आवण्टन	प्रेषण
१९५९–६०	६९,७८८	४८,४३६	१६,०७०(*)
१९६०–६१	१०९,९८९	९८,७२४	२५,७९५(*)

(*) प्रेषणों में केन्द्रीय कोटे में किए गए और राज्यों में नियंत्रित स्टाक होल्डरों को किए गए प्रेषण सम्मिलित हैं। ये आंकड़े चालू और अवशेष व्यादेशों पर किए गए प्रेषणों के हैं।)

(२) कच्चा लोहा

कच्चे लोहे के आवन्टन की प्रणाली १९५९–६० के उत्तरार्ध से बन्द कर दी गई थी । सीधे उपभोक्ताओं से इन्डेन्ट प्राप्त होते हैं और समुचित छानबीन के पश्चात् उत्पादकों को बांट दिए जाते हैं। उपभोक्ता बिना किसी प्राधिकरण के सीधे स्टाक होल्डरों के स्टाक से भी संभरण प्राप्त कर सकते हैं। इन्डेन्टों के पेश किये जाने और उनके वितरण के संबंध में कोई कार्यक्रम नहीं बनाया जाता है।

†मूल अंग्रेजी में

जब स्टील कंट्रोल को इन्डेन्ट मिलते हैं तभी उनको विभाजित कर दिया जाता है। १९५९–६०, और १९६०–६१ में केरल को किए गए कुल प्रेषण क्रमशः ३७१ टन और २,३२५ टन थे।

(ग) इस्पात के कैम संभरण के कारण ये हैं :

(१) कल्पित उत्पादन एवं आयोजनों में कमी।

(२) रेलवे के समय-समय पर लगाये जाने वाले प्रतिबन्धों के कारण परिवहन की कठिनाइयां।

लाहौल तथा स्पीती में बहु प्रयोजन खण्ड

†१५७०. **श्री हेमराज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६१–६२ के लिये दो बहु प्रयोजन खण्ड, एक लाहौल के लिये और दूसरा स्पीती के लिये, मंजूर किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक के लिये कितना धन आवण्टित किया गया है ; और

(ग) वे लाहौल में केलांग में और स्पीती में काज़ा में कब चालू हो जायेंगे ?

†**गृह-कार्य उप मंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) से (ग). तीसरी पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये केन्द्रीय पोषित कार्यक्रम के अन्तर्गत दो बहु प्रयोजन खंड, एक लाहौल के लिये और दूसरा स्पीती के लिये, सम्मिलित किए गए हैं। इन दो में से एक के १९६१–६२ में चालू हो जाने की आशा है और दूसरे की बाद में। इस वर्ष चालू किए जाने वाले ब्लाक के लिये १९६१–६२ के लिये २ लाख रुपये आवण्टित किये गये हैं।

उड़ीसा में गटीश्वर मंदिर

†१५७१. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६० में भारत सरकार से उड़ीसा के पुरी जिले के गटीश्वर मंदिर की मरम्मत के लिये कुछ धन मंजूर करने की प्रार्थना की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस राशि की मंजूरी देने में विलम्ब क्यों कर रही है?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) उस मन्दिर के लिये अनुदान नहीं दिया जा सकता है क्योंकि वह उस श्रेणी के स्मारकों में नहीं आता है जिन के लिये राज्य सरकारों को अनुदान देने की योजना बनाई गई है। परन्तु उस योजना के क्षेत्र के विस्तार के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। उड़ीसा सरकार की प्रार्थना पर उस प्रश्न पर किए जाने वाले निर्णय के अनुसार विचार किया जायेगा।

अस्थायी पदों को स्थायी बनाना

†१५७२. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय द्वारा यह आदेश जारी किये गए थे कि जो पद तीन वर्ष तक चल चुके हैं, उनमें से ८० प्रतिशत स्थायी कर दिये जायें;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न मंत्रालयों ने, मंत्रालयानुसार , कितने हिन्दी के पदों (अनुवाद, शब्दावली, हिन्दी स्टेनोग्राफर तथा सम्पादन) को स्थायी करने की मांग की ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) यदि किसी मंत्रालय ने किसी भी पद के स्थायी बनाने के लिये कोई मांग नहीं की, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) यदि ऐसी मांग की गयी और वित्त मंत्रालय द्वारा मंजूर नहीं की गयी, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) भविष्य में वित्त मंत्रालय इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां। वित्त मंत्रालय द्वारा ये आदेश जारी किये गये हैं कि सरकारी कार्यशालाओं (वर्कशाप) औद्योगिक प्रतिष्ठानों (इण्डस्ट्रियल अन्डरटेकिंग) और डाक व तार विभाग को छोड़ कर, जिनका प्रशासन पृथक आदेशों के आधार पर होता है, बाकी सभी स्थायी विभागों में ऐसे ८० प्रतिशत अस्थायी पदों को स्थायी बनाया जा सकता है जो लगातार कम से कम तीन वर्ष से बने हुए हों और स्थायी ढंग के काम के लिये जिनकी आवश्यकता हो।

(ख), (ग) और (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

(ङ) प्रश्न के भाग (ख), (ग) और (घ) में उल्लिखित सूचना मिलने के बाद ही इस बात पर विचार किया जायगा कि इस सम्बन्ध में किसी और कार्रवाई की जरूरत है।

तिब्बती शरणार्थी

†१५७३. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनियों ने कलिम्पांग में तिब्बती शरणार्थियों में भारत के विरुद्ध नये प्रकार का प्रचार प्रारम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयत्न को विफल बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या यह सच है कि चीनियों द्वारा शरणार्थियों को अपनी मातृभूमि लौट जाने के लिये पर्चियां वितरित की जाती हैं ; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (घ). भारत सरकार को अभी तक चीनियों द्वारा तिब्बती शरणार्थियों में किसी नये प्रकार के भारत-विरोधी प्रचार के शुरू किये जाने की सूचना नहीं मिली है ; परन्तु यह ज्ञात हुआ है कि कुछ तिब्बती शरणार्थियों को इस आशय के पत्र, जो उनके संबंधियों द्वारा लिखे गये कहे जाते हैं, मिले हैं कि वे तिब्बत लौट आयें।

कैमिकल इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स

†१५७४. **श्रीमती इला पालचौधरी** :
श्री क० भे० मालवीय :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैमीकल इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स में विद्यार्थियों की भर्ती की संख्या बढ़ाने की कोई योजना भारत सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का पूरा ब्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृति-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). वर्तमान १७ संस्थाओं में विद्यार्थियों की भर्ती की संख्या ६११ से बढ़ा कर ६३० कर देने और ६ अतिरिक्त केन्द्र, जिन में ३३० विद्यार्थी भर्ती किये जा सकेंगे, चालू करने का विचार किया जा रहा है ।

छावनी बोर्ड

१५७५. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या प्रतिरक्षा मंत्री १२ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १६७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन छावनी बोर्डों को जोकि हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में स्थित हैं, अपना काम हिन्दी में करने में सरकार को क्या कोई आपत्ति है और यदि नहीं, तो क्या इस बात का स्पष्टीकरण उन छावनी बोर्डों को सरकार की ओर से कर दिया गया है ;

(ख) छावनी बोर्ड अपना काम हिन्दी में कब से शुरू कर सकेंगे, इस प्रश्न पर क्या अब कुछ निर्णय ले लिया गया है और यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में देरी होने का क्या कारण है ; और

(ग) केंटोनमेंट एकाउन्ट कोड, १९२४ में निर्दिष्ट ला भारत के विभिन्न भागों में छावनी बोर्डों में आम तौर पर प्रयोग में आने वाले फार्मों को हिन्दी शीर्षकों के साथ छपवाने के लिये क्या कोई व्यवस्था की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) तथा (ख). कुछ सनिक अधिकारी और अन्य अफसर छावनी बोर्डों के, पदेन, सदस्य हैं । वह बार-बार भारत भर में तबदीलियों के अधीन होते हैं । इसलिये छावनी बोर्डों को अपना काम हिन्दी अथवा दूसरी प्रादेशिक भाषाओं में करने देना, अभी तक शासनीय दृष्टि से संभव नहीं माना गया । ऐसी स्थिति अम्बाला छावनी पर व्यक्त कर दी गई थी, जो अपनी कार्यवाही हिन्दी में करना चाहते थे । यह फैसला, कि यह परिवर्तन कब होना चाहिये, उपरोक्त बात पर निर्भर है, और अभी विचाराधीन है ।

(ग) रसीदों के फार्म हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छापे गये हैं । शेष सभी फार्म केवल हिन्दी में ही छापे जाते हैं ।

नाम-पट्टे

१५७६. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या प्रतिरक्षा मंत्री १२ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १६८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा मंत्रालय में जो नाम-पट्टे लगाये जाते हैं, क्या उनकी कीमतें सम्बन्धित अफ़सरों से वसूल की जाती हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो उनको हिन्दी अथवा अंग्रेज़ी में लिखे जाने की बात अफसरों की इच्छा पर क्यों छोड़ी जाती है ; और

(ग) अन्य कार्यालयों में इस विषय पर सरकार की क्या नीति है और प्रतिरक्षा मंत्रालय के कार्यालयों में उस से अलग कोई नीति अपनाये जाने का क्या कारण है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) फालतू खर्च से बचने के लिये, यह फैसला किया गया है, कि नामों के पट्टों पर, अंग्रेज़ी के अलावा, हिन्दी के प्रयोग की प्रथा को क्रमशः पनपने दिया जाय । जभी नये नाम पट्टों के तैयार कराने का अवसर आता है, वह हिन्दी अंग्रेज़ी दोनों में लिखे जाते हैं ।

(ग) इस विषय पर कोई औपचारिक नीति निर्धारित नहीं की गई। सभी मंत्रालयों में यही प्रथा प्रचलित है कि हिन्दी भाषी क्षेत्र में नये नाम-पट्टे जभी लिखे जायें, अंग्रेज़ी के अलावा हिन्दी का भी प्रयोग किया जाय।

पालम पर अनधिकृत रूप से फोटो खींचना

†१५७७. **श्री कुन्हन :**
श्री तंगामणि :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ४ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४५२८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पालम पर अनधिकृत रूप से फोटो खींचने के कारण अमरीकी पत्रकार के विरुद्ध अग्रेतर कार्यवाही करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) उस पत्रकार का नाम क्या है और वह किस पत्र का प्रतिनिधित्व करता है ;

(घ) वह भारत और दिल्ली में कितने समय से है ;

(ङ) क्या वह भारत छोड़ कर चला गया है ; और

(च) क्या वह किसी समय काश्मीर भी गया था ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) नहीं, श्रीमान्। पत्रकार ने अनधिकृत रूप से फोटो खींचने के लिये खेद प्रकट किया है अतः सरकार का उसके विरुद्ध कोई अग्रेतर कार्यवाही करने का विचार नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) श्री पेट्रिक टी० किल्लेन, यूनाईटेड प्रेस इन्टरनेशनल के प्रतिनिधि।

(घ) १ नवम्बर, १९५९ से।

(ङ) नहीं, श्रीमान्।

(च) सरकार की जानकारी में नहीं।

जनगणना करने वाले कर्मचारी

†१५७८. **श्री कुन्हन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २६ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३९५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनगणना करने वाले कर्मचारियों को प्रति व्यक्ति २० रुपये भुगतान करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) यह राशि समस्त कर्मचारियों को कब तक भुगतान कर दी जायगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). अधिकांश जनगणना कर्मचारियों को १९६०-६१ में आधा मानदेय भुगतान किया गया है। अनेक मामलों में पूर्ण राशि का भुगतान भी किया गया है। शेष समस्त मामलों में चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व भुगतान पूरा किये जाने की आशा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

रूरकेला इस्पात संयंत्र

†१५७९. श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री इन्द्रजीत सिंह गुप्त :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खराब किस्म के कच्चे लोहे के संभरण के कारण रूरकेला इस्पात कारखाने को नुकसान हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो यह लौह अयस्क किस ने संभरण किया था ; और

(ग) इस्पात संयंत्र के लिये अच्छी किस्म का लौह अयस्क प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) से (ग). कुछ समय तक रूरकेला इस्पात परियोजना के लिये राज्य व्यापार निगम से प्राप्त लौह अयस्क में चूरा बहुत था जिस में सिलिका की मात्रा कम थी और एल्यूमिना की अधिक। बरसुआ से प्राप्त अयस्क भी सर्वथा संतोषजनक नहीं था क्योंकि उस में चूरा बहुत था और सिलिका तथा एल्यूमिना का अनुपात अनुकूल नहीं था। इस से धमन भट्टियों में उत्पादन प्रभावित हुआ। चरे को कम करने के लिये संयंत्र में कुछ संपरिवर्तन किये जा रहे हैं। अब राज्य व्यापार निगम से प्राप्त संभरणों की किस्म में भी सुधार हुआ है।

फारस की खाड़ी का तेल

†१५८०. श्री राजेन्द्र सिंह : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सऊदी अरब सरकार से फारस की खाड़ी का तेल प्राप्त करने के लिये करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो वह करार किन शर्तों के अंतर्गत किया गया है ; और

(ग) क्या तय किया गया मूल्य भारत में शोधित भारतीय तेल के लागत मूल्य से कम है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री क० दे० मालवीय) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) उत्पन्न नहीं होते।

गांधी नगर क्षेत्र (गुजरात) में कोयला

†१५८१. डा० क० ब० मेनन : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांधीनगर क्षेत्र में, जो गुजरात की राजधानी के लिये प्रस्तावित स्थान है, कोयले के निक्षेपों के होने का पता लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गुजरात राज्य से राजधानी किसी अन्य स्थान में ले जाने अथवा उस क्षेत्र में प्राप्त कोयला खानों को छोड़ देने के लिये कोई कदम उठाये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

आन्ध्र प्रदेश के उद्योगों के लिये कोयला

†**१५८२. श्री रामी रेड्डी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंन्ध्र प्रदेश सरकार और आन्ध्र प्रदेश के उद्योगों से इस प्रकार की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कोयले के संभरण की कमी के कारण अनेक उद्योगों को बन्द करना पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). एक सीमेंट के कारखाने और एक कागज की मिल से कोयले की कमी की आशंका के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी । उनको विशेष आवन्टनों द्वारा कोयला पहुंचाया गया । इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है इन में से कोई कोयले की कमी के कारण वास्तव में बन्द हो गया है ।

भारतीय खान एवं व्यवहारिक भूतत्व विज्ञान विद्यालय,[1] धनबाद

†**१५८३. श्री हेम राज** : क्या **वैज्ञानिक अनु संधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खान एवं व्यावहारिक भूतत्व विज्ञान विद्यालय से वर्ष १९६०–६१ में कितने विद्यार्थियों ने व्यवहारिक भूतत्व विज्ञान, पेट्रोलियम टेक्नोलाजी और व्यावहारिक भूभौतिकी में डिग्री कोर्स पास किया है ;

(ख) उनमें से कितनों को सेवायोजित कर लिया गया है और कितने बेरोजगार हैं ; और

(ग) बेरोजगार लोगों को खपाने के लिये सरकार क्या व्यवस्था करने का विचार कर रही है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य-मंत्री (श्री हुमायूंन् कबिर)** : (क) १९६०–६१ में व्यावहारिक भूतत्व विज्ञान, पेट्रोलियम टेक्नोलाजी और व्यवहारिक भूभौतिकी में क्रमशः नौ छब्बीस और सात विद्यार्थियों ने डिगरी कोर्स पास किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]India School of Mines and Applied Geology.

(ख) वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है :

विषय	रोजगार प्राप्त	बेरोजगार	अन्य
व्यवहारिक भूतत्व विज्ञान	५	१	३ ने अग्रेतर अध्ययन के लिये स्कूल में दाखिला लिया है ।
पेट्रोलियम टेक्नोलाजी		२४	दो तुरन्त विदेश जाने वाले हैं ।
व्यवहारिक भूभौतिकी	२	५	

(ग) संस्था के संचालक ने संभावी नियोजकों से लिखापढ़ी की है ।

मैसूर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिये मकानों के लिये ऋण

†१५८४. **श्री सिदय्या** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को मकान बनाने के लिये ऋण देने की योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष १९६१–६२ में कितनी राशि आवन्टित की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ग). आवश्यक जानकारी मैसूर सरकार से मांगी जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये मकान

†१५८५. **श्री सिदय्या** : क्या **गृह-कार्य** मंत्रीयह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार द्वारा मैसूर सरकार को अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये होस्टल खोलने के लिये वर्ष १९५८–५९, १९५९–६०, १९६०–६१ और १९६१–६२ में कोई अनुदान दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) मैसूर राज्य के प्रत्येक जिले में वर्ष १९५८–५९ के प्रारम्भ से आयतन कितने होस्टल खोले गये हैं ?

†**गृह- कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दातार)** : (क) हां, श्रीमान् । वर्ष १९६१–६२ के लिये अनुदान वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में पहली तिमाहियों के वास्तविक व्यय और अंतिम तिमाही के अनुमानित व्यय के आधार पर दिए जायेंगे ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) दूसरी योजना अवधि में राज्यसरकारों को राज्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये दिए जाने वाले अनुदानों को राशि के दिए जाने के लिये अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार अनुदान योजनाओं के समहों के संबंध में दिए गए थे। समस्त शिक्षा संबंधी योजनायें एक समह में आती हैं अनुदान समस्त समूह के लिये दिए गए थे, उसमें सम्मिलित प्रत्येक योजना के संबंध में अलग अलग नहीं ।

(ग) सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

केलर में ग्राम्य संस्था

†१५८६. **श्री वें० ईयाचरण** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार की ओर से तीसरी पंच वर्षीय योजना अवधि में राज्य के लिये आवन्टित प्रस्तावित ग्राम्य संस्था आरम्भ करने के लिये कोई प्रार्थना की गई है ; और

(ख) इस संस्था के कब तक आरम्भ होने की संभावना है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी, हां। एक प्रार्थना आई है ।

(ख) केरल राज्य को ग्राम्य संस्था के आवंटन का प्रश्न विचाराधीन है ।

कालेजों के लिये इमारत अनुदान

†१५८७. { **श्री तंगामणि** :
श्री कुन्हन :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बहुत से कालिजों के लिये इमारत के लिये मंजूर अनुदान कालिजों को नहीं दिये गये हैं क्योंकि उनके अनुमोदन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विलम्ब कर दिया था ;

(ख) यदि हां, ऐसे कालिजों के क्या नाम हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि मद्रास विश्वविद्यालय के मदुरै कालेज पर इस का कुप्रभाव पड़ा है ;

(घ) कितनी राशि दी जानी थी ; और

(ड़) मदुरै कालेज जैसी पुरानी राष्ट्रीय संस्थाओं की सहायता करने के लिये क्या कारवाई की जा रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं।

(ख) से (ड़). सवाल पैदा नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नये विश्वविद्यालय

†१५८८. { श्री तंगामणि :
श्री .कुन्हन :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये नये विश्वविद्यालयों की स्थापना का अनुमोदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में ऐसे विश्वविद्यालयों की संख्या क्या है ;

(ग) क्या मद्रास राज्य में मदुर विश्वविद्यालय खोलने के लिये पक्का निर्णय कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां तो उसका क्या ब्योरा है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) (क) और (ख). अभी तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पंजाब और मध्य प्रदेश सरकारों के क्रमश: पंजाबी और रायपुर विश्वविद्यालयों की स्थापनों के प्रस्तावों के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है ।

(ग) और (घ). मदुरै में विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में मद्रास सरकार के प्रस्ताव को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अक्तूबर,१९६० में सिद्धान्त के तौर पर स्वीकार कर लिया था बाद में राज्य सरकार ने योजना समाप्त कर दी ।

बाढ़ बीमा योजना

†१५८९. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंगलैंड में आरम्भ की जाने वाली प्रस्तावित बाढ़ बीमा योजना के नमूने पर एक ऐसी ही योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता

भारत के रक्षित बैंक में कर्मचारी

†१५९०. श्री भा० कृ० गायकवाड़ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के रक्षित बैंक में अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के लिये पदों का रक्षण नहीं किया जाता ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या कारण है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां ।

(ख) यद्यपि अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के लिये इस सभा में पदों के रक्षण के लिये कोई उपबन्ध नहीं है, इन जातियो और आदिम जातियों के अभ्यर्थियों को पदों के लिये कुछ रियायतें

---

†मूल अंग्रेजी में

दी जाती हैं, अर्थात् आयु सीमा में रियायत, प्रार्थनापत्रों के लिये नियुत शुल्क में कमी और यथा-संभव, इन्टरव्यू या नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों के चुनाव के मामले में अधिमान ।

खान और तेल मंत्री का जम्मू तथा काश्मीर राज्य का दौरा

†१५९१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खान और तेल मंत्री निकट भविष्य में १० विशेषज्ञों के साथ जम्मू और काश्मीर राज्य में जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके वहां जाने का क्या उद्देश्य है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

सेना में इंजनियरों की कमी

†१५९२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना में इंजीनियर अफसरों की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो अफसरों की कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया)** : (क) जी, हां । परन्तु असैनिक इंजीनियर अफसरों की कमी नहीं है ।

(ख) (१) भारतीय सैनिक अकादमी के उत्पादन से इंजीनियरी के स्नातकों समेत अफसरों का आवन्टन बढ़ा दिया गया है । सैनिक अकादमी की प्रशिक्षण क्षमता को और अधिक बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, जिसमें इंजीनियरी के स्नातक भी शामिल होंगे ।

(२) विशेष सूची कमिशन प्राप्त अफसरों का बढ़ा हुआ अभ्यांश इंजीनियर कोर के लिये भी आवन्टित कर दिया गया है ।

सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान

†१५९३. **श्री यादव नारायण जाधव** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० और १९६०-६१ वर्षों में विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में इमारतों के लिये कितने और किन सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान मिला है ;

(ख) यह सहायता देते समय किन विशेष बातों को ध्यान में रखा गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य में नासिक में सार्वजनिक वाचनालय की प्रार्थना को इमारत अनुदान के लिये स्वीकार नहीं किया गया; और

(घ) यदि हां, तो इस का क्या कारण है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ). विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८०]** ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान में पुरातत्वीय सर्वेक्षण

†१५९४. **श्री ओंकार लाल** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुराने मन्दिरों और अन्य ऐतिहासिक स्मारकों के बारे में अभी थोड़ा समय पहले राजस्थान राज्य में कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस स्थान का और उसका विस्तृत परिणाम क्या हुआ है ; और

(ग) अब तक सर्वेक्षण पर कितनी राशि खर्च की गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य उप-मंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राजस्थान में अस्पृश्यता

†१५९५. **श्री ओंकार लाल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधियों में अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के कल्याण तथा अस्पृश्यता निवारण के लिये, वर्षवार राजस्थान के विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को केन्द्र की ओर से कितनी राशि दी गई है ;

(ख) क्या वह राशि इसी काम पर खर्च की गई है ;

(ग) यदि नहीं तो इस के क्या कारण हैं ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन संगठनों को दिये गये धन के उचित उपयोग के लिये इन संगठनों पर किस प्रकार की निगरानी रखी गई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: (क). केन्द्र से केवल भारतीय लोक कला मंडल, उदयपुर नाम के गैरसरकारी संगठन को सीधा अनुदान दिया जाता है । उनको पहली और दूसरी योजना अवधियों में अनुदान इस प्रकार दिया गया है :—

पहली पंचवर्षीय योजना

कुछ नहीं ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना

वर्ष	मंजूर राशि	योजना
१९५६–५७	६,५०० रु०	मध्य प्रदेश के आदिम जाति क्षेत्रों का सांस्कृतिक सर्वेक्षण ।
१९५७–५८	६,५०० रु०	तदेव
१९५८–५९	कुछ नहीं	—
१९५९–६०	१५,००० रु०	मनीपुर और त्रिपुरा के आदिमजाति क्षेत्रों का सांस्कृतिक सर्वेक्षण ।
१९६०–६१	१६,००० रु०	राजस्थान के आदिमजाति क्षेत्रों का सांस्कृतिक सर्वेक्षण ।

(ख) १९५६-५७, १९५७-५८ और १९५९-६० में जो अनुदान दिये गये थे वे उन उद्देश्यों के लिये खर्च हुए बताये जाते हैं जिनके लिये वे मंजूर किये गये थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

१९६०-६१ में जिस योजना के लिये अनुदान दिया गया था वह काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) जिन शर्तों और निबंधनों के अन्तर्गत अनुदान दिये गये हैं उनका विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८१]**

राजस्थान में तंबाकू और पोस्त पर उत्पादन-शुल्क

†१५९६. **श्री ओंकार लाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में राजस्थान में तंबाकू और पोस्त की खेती का कुल कितना वार्षिक उत्पादन हुआ है ; और

(ख) उक्त अवधि में कुल कितना उत्पादन शुल्क वसूल हुआ है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८२]**

राजस्थान में विद्यार्थियों के पर्यटन के लिये सहायता

†१५९७. **श्री ओंकार लाल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ में विद्यार्थियों के पर्यटनों के लिये राजस्थान की जिन संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी गई थी उन के क्या नाम हैं और कितनी राशि दी गई थी ; और

(ख) उस सहायता से की गई यात्राओं का क्या ब्यौरा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) . विवरण सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८३]**

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजस्थान में शिक्षा विकास योजनायें

†१५९८. **श्री ओंकार लाल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिये विभिन्न शिक्षा विकास सम्बन्धी योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान को अब तक कितना आवंटन किया है ;

(ख) १९६१-६२ में प्रत्येक योजना के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है ; और

(ग) योजना वार अब तक कितनी राशि दी गई है ।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) . राजस्थान राज्य की तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल सामान्य शिक्षा विभाग योजनाओं के लिये १७.५० करोड़ रुपये का व्यय अनुमोदित किया गया है । केन्द्रीय सहायता की मात्रा राज्य और केन्द्र के वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुए वार्षिक योजनाओं के आधार पर निर्धारित की जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) १९६१-६२ के लिये योजना में शामिल विभिन्न योजनाओं के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यय संलग्न विवरण में दिया गया है। [देखिये एल० ३११५/६१] योजना के सब क्षेत्रों के लिये २२.५ करोड़ रुपये का इकट्ठा आवंटन केन्द्रीय सहायता के तौर पर किया गया है। विकास शीर्षों के अनुसार पृथक पृथक आंकड़े अभी तक तैयार नहीं किये गये हैं।

(ग) आवंटित केन्द्रीय सहायता का तीन-चौथाई भाग अर्थोपाय अग्रिम राशि के रूप में मासिक किश्तों में दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष १९६१-६२ की समाप्ति के पास अन्तिम अदायगी मंजूरी देते समय समायोजन कर दिया जायगा।

राजस्थान में शिक्षा संस्थाओं को अनुदान

†१५९९. **श्री ओंकार लाल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में वर्षवार राजस्थान की बिभिन्न 'शिक्षा संबंधी संस्थाओं को केन्द्रीय सरकार ने पृथक पृथक कितना सहाय्य अनुदान दिया है ;

(ख) वर्ष १९६१-६२ वित्तीय वर्ष के लिये इनको कितनी राशि आवंटित की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये संख्या एल० टी० ३११३/६१]

राजस्थान में भंगियों के लिये मकान

†१६००. **श्री ओंकार लाल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में राजस्थान में गन्दगी आदि साफ करने वाले अनुसूचित जाति के लोगों के परिवारों के लिये राजस्थान में कितने मकान बनाये गये हैं ; और

(ख) राजस्थान में ये मकान किन स्थानों पर बनाये गये हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) ५२५

(ख) फतेह रिबा (जयपुर) बेयर, हिन्डौन, मिनमाल, नोखा, राजलदेसर, टोडराएसिंह, देओली, भरतपुर, जयपुर, तारानगर, सरदार शहर, देशनोख, डीघ, अलवर और बून्दी।

जुलाई १९६० की हड़ताल के परिणामस्वरूप मंत्रालयों को नुकसान

†१६०१. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या गृह-कार्य मंत्री जुलाई, १९६० की हड़ताल के कारण केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को निम्न मदों से कितनी हानि हुई है और उन्होंने कितना व्यय किया है ;

(१) स्वयंसेवकों को भुगतान।
(२) खुराक और रहने का प्रबन्ध।
(३) हड़ताल न करने वाले लोगों को मानदेय।
(४) हड़ताल न करने वाले लोगों को यात्रा भत्ता।
(५) अफसरों को यात्रा पत्र।
(६) हड़ताल न करने वालों को पारितोषक।

---

†मूल अंग्रेजी में

(७) पुलिस प्रबन्ध ।

(८) तोड़ फोड़ ।

(९) यातायात में कमी ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (१) और (२). उन स्वयंसेवकों को, जिन्हें वास्तव में काम पर लगाया गया था, भुगतान केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा किया गया था। क्योंकि इस सिलसिले में किये गये व्यय का पृथक हिसाब अधिकारियों द्वारा नहीं रखा गया ; इसलिये प्रत्येक श्रेणी के व्यय के आंकड़े प्राप्त नहीं हैं ।

(३) से (५). इस बारे में कोई विशेष आदेश जारी नहीं किये गये हैं। अफसरों को यात्रा भत्ता देने के लिये, जो ड्यूटी पर यात्रा करते हैं, और कुछ परिस्थितियों में कर्मचारियों को मानदय देने के बारे में पहले से अनुदेश विद्यमान है । इन मदों पर हुए व्यय के आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं ।

(६) पारितोषिक देने के लिये ८२,००० रुपये मंजूर किये गये थे ।

(७) राज्य सरकारों ने व्यय किया था। इसके बारे में विशेष कर पुलिस प्रबन्ध के लिये किये गये व्यय की विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(८) २१,९०० रुपये की हानि ।

(९) ४०६.५६ लाख रुपये के राजस्व की हानि ।

मंत्रालयों द्वारा बचत

†**१६०२. श्री मुहम्मद इलियास** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३० जून, १९६१ तक निम्नलेखाओं पर केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने कितनी बचत की :

(१) हड़ताल की अवधि के लिये हड़तालियों को वेतन और भत्ते न देने पर ;

(२) मुअत्तिल किये गये कर्मचारियों को पूरा वेतन न देने पर ; और

(३) वेतन वृद्धि रोकने पर ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (१) से (३). प्रत्येक श्रेणी के बारे में आंकड़ों का पता लगाने के लिये विभागों द्वारा पृथक लेखे नहीं रखे गये। पहले प्राप्त सूचना के अनुसार उन कर्मचारियों को, जिन्हों ने काम से हड़ताल की थी, न मिली मजूरी का अनुमान ७२.२८ लाख रुपये किया गया था ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

कोयला खान संरक्षण तथा सुरक्षा अधिनियम १९५२ के अधीन नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : मैं कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, १९५२ की धारा १२ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत कोयला बोर्ड के वर्ष १९५९-६० के लेखे के बारे में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ३१०४/६१]**

---

†मूल अंग्रेजी में

विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को बताने वाला एक अनुपूरक विवरण

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह): मैं दूसरी लोक-सभा के तेरहवें अधिवेशन, १९६१ में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाला एक अनुपूरक विवरण संख्या ४ को सभा पटल पर रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८४]**

प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम १९५० के अधीन अधिसूचना

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : मैं कापीराइट अधिनियम, १९५७ की धारा ४३ के अंतर्गत दिनांक १ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १५५५ में प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट (प्रथम संशोधन) आदेश, १९५८ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३१०६/६१]।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, नमक अधिनियम और समुद्र सीमा नियम के अधीन अधिसूचनायें

वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : मैं श्री ब० रा० भगत की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं : समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १५ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ९०४।

(ख) दिनांक १५ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ९०६।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०–३१०७/६१]

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक २२ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९४९ की एक प्रति जिस में दिनांक १ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८३७ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३१०८/६१]।

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक- एक प्रति :—

(क) दिनांक १५ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ९०० ।

(ख) दिनांक १५ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ९०१ ।

(ग) दिनांक १५ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ९०२ ।

(घ) दिनांक २२ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ९४५ ।

(ङ) दिनांक २२ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ९४६ ।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० ३१०९/६१]

विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, १९५७ की धारा २७ की उप-धारा (३) के अंतर्गत विदेशी मुद्रा विनिमय नियम, १९५२ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १५ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ८९७ ।

(ख) दिनांक २९ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ९७२ ।

सभा पटल पर रखती हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३११०/६१] :

राज्य-सभा से संदेश

सचिव : राज्य-सभा के सचिव से निम्नलिखित सन्देश प्राप्त हुए हैं :—

(एक) कि राज्य सभा १४ अगस्त, १९६१ को अपनी बैठक में लोक-सभा द्वारा २ मई, १९६१ को पास किये गये भारी बंडलों पर निशान लागाना (संशोधन) विधेयक, १९६१ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(दो) कि राज्य-सभा १६ अगस्त, १९६१ की अपनी बैठक में लोक-सभा द्वारा २ मई, १९६१ को पास किये गये दिल्ली (शहरी क्षेत्र) किरायेदार सहायता विधेयक, १९६१ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(तीन) कि राज्य सभा को लोक-सभा द्वारा १० अगस्त, १९६१ को पास किये गये नमक उपकर (संशोधन) विधेयक, १९६१ के बारे में राज्य सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(चार) कि राज्य सभा ने १४ अगस्त, १९६१ की अपनी बैठक में भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) संशोधन विधेयक, १९६१ को पास कर दिया है ।

(पांच) कि राज्य सभा ने १४ अगस्त, १९६१ की अपनी बैठक में विदेशी पंचाट (मान्यता देना तथा लागू करना) विधेयक, १९६१ को पास कर दिया है ।

राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक सभा पटल पर रखे गये

सचिव : मैं निम्नलिखित विधेयकों को राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखता हूं :

(१) भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) संशोधन बिल, १९६१ ।

(२) विदेशी पंचाट (मान्यता देना और लागू करना) बिल, १९६१ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विशेषाधिकार समिति

तेरहवां प्रतिवेदन

सरदार हुक्म सिंह (भटिंडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विशेषाधिकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन पर, जो ११ अगस्त, १९६१ को सभा में उपस्थापित किया गया था, विचार किया जाये ।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये आध घटे का समय रखा गया है । परन्तु उस से सहमति या असहमति प्रकट करने के चार प्रस्तावों के लिये कितना समय दिया जा रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस पर विचार करूंगा ।

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा) : माननीय सदस्य पहले से जान लेना चाहते हैं कि इस के बाद क्या प्रक्रिया अपनाई जायेगी । प्रतिवेदन से सहमति या असहमति प्रकट करने के बाद यदि असहमति प्रकट करने का प्रस्ताव पास हो जायेगा, तो श्री करांजिया को यहां बुलाने का प्रश्न ही नहीं उठेगा । परन्तु यदि सहमति का प्रस्ताव पास हो गया, तो श्री करांजिया को बुलाया जायेगा पर उन को अपनी ओर से कुछ भी कहने का अवसर नहीं दिया जायेगा ।

इंगलैण्ड के 'हाउस आफ कामन्स' में ऐसा एक आखिरी मामला १८८७ में हुआ था, जिस में अपराधी को संसद् के सामने कुछ भी कहने का अवसर नहीं दिया गया था । अपराधी ने समिति के सामने अपना दोष स्वीकार कर लिया था । यदि अपराधी को संकल्प पारित होने के बाद सभा में बुलाया जाता है तो वह कुछ कह नहीं सकता, उसे सभा की इच्छा और उस का निर्णय स्वीकार करना पड़ेगा । संकल्प पारित होने के पहले उसे अवश्य ही स्पष्टीकरण का अवसर दिया जा सकता है ।

इसीलिये मैं चाहता हूं कि प्रतिवेदन पर विचार करने के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद, मुझे एक दूसरा प्रस्ताव रखने की अनुमति दी जाये कि श्री करांजिया को सभा के सामने बुलाया जाये और अपनी ओर से सफाई देने का अवसर दिया जाये । उसे सुनने के बाद ही, सभा इस प्रतिवेदन से सहमत या असहमत होने का फैसला करे ।

इंगलैण्ड के हाउस आफ कामन्स में भी १८८७ के बाद जितने भी ऐसे मामले हुए, पांचों मामलों में अपराधी को अपनी सफाई देने का अवसर दिया गया था ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खान देश) : यही प्रक्रिया उचित रहेगी । न्याय की मांग है कि श्री करांजिया को सभा के सामने अपनी बात कहने का अवसर दिया जाये ।

†**श्री तंगामणि** : नियमों के अनुसार तो हम विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर ही विचार कर के उस के सम्बंध में निर्णय ले सकते हैं । किसी को सभा के सामने बुलाने के स्थानापन्न प्रस्ताव की तो कोई गुंजाइश नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उपाध्यक्ष महोदय ने यह नहीं कहा । उन्हों ने प्रतिवेदन पर विचार-प्रस्ताव रख ही दिया है । वह चाहते हैं कि इस के बाद संशोधनों और स्थानापन्न प्रस्तावों को

---

†मूल अंग्रेजी में

लेने से पहले श्री करांजिया को सभा के सामने उपस्थित हो कर अपनी सफाई देने का अवसर दिया जाये। इंगलैण्ड की कामन्स सभा में १८८७ के बाद के विशेषाधिकार भंग के सभी मामलों में यही हुआ है। श्री करांजिया सभा के सामने कह सकते हैं कि 'जो भी हुआ उस के लिये मुझे खेद है'।

†**श्री अशोक मेहत** (मुजफ्फरपुर) : विशेषाधिकार समिति ने उन सज्जन को समिति के सामने आने का अवसर दिया था, लेकिन उन्हों ने उस के उत्तर में जो लिखा वह बड़ा आपत्ति-जनक था। मैं जानना चाहूंगा कि उपाध्यक्ष महोदय ने जिन दृष्टांतों का उल्लेख किया है, क्या उन में से किसी में भी अपराधी ने ऐसा रुख अख्तियार किया था।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : मैं समझता हूं कि श्री करंजिया को सभा के सामने बुलाने से पहले, हमें इस प्रतिवेदन के गुण-दोषों पर विचार कर लेना चाहिये। समिति की सिफारिशों पर विचार किये बिना किसी पत्रकार को यहां बुलाना अनुचित और अभूतपूर्व होगा।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : इस समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं। उसने दोनों अपराधियों के लिये निश्चित दण्ड का भी सुझाव दिया है। प्रतिवेदन को स्वीकार करना उसकी सभी सिफारिशों को स्वीकार करना है। इस लिये उन पर पूरी-पूरी चर्चा करने के बाद ही हमें कोई निर्णय करना चाहिये।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : श्री मुकर्जी ने अभी कहा है कि वह समिति की सफिारिशों से सहमत नहीं हैं। ४ अगस्त को विशेषाधिकार समिति ने इस पूरे मामले के बारे में एक सर्व सम्मत निर्णय किया था। बाद में ७ अगस्त, को श्री मुकर्जी ने समिति के सामने प्रस्ताव रखा था कि उस पर पुनर्विचार किया जाये, पर समिति ने उसे स्वीकार नहीं किया था। इससे स्पष्ट है कि समिति का सर्वसम्मत निर्णय ही मान्य होना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : नियम के अनुसार सभा ही यह निर्णय करेगी कि प्रतिवेदन पर विचार किया जाये या नहीं। यदि कोई सिफारिश न की गई होती तो इस प्रतिवेदन पर विचार करने का प्रश्न ही न उठता। लेकिन समिति ने सिफारिश की है कि श्री करंजिया को यहां बुलाकर उनकी भर्त्सना की जाये। इस लिये सब से पहिले तो इस पर विचार करने की आवस्था आयेगी, स्वीकृत या अस्वीकृत करने की बात तो बाद की होगी।

इस लिये उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि विचार प्रस्ताव पारित होते ही, सहमति या अ-सहमति के प्रस्ताव आने से पहले अपराधी को यहां बुलाकर अपनी बात कहने का मौका देना चाहिये। हाउस आफ कामन्स में ऐसा एक मामला १९६५६–५७ में भी आया था। क्या सभा के नेता उसका उल्लेख करेंगे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं इस मामले से अधिक सम्पर्क नहीं रख सका। मैंने विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन अवश्य सरसरी तौर पर देखा था। मेरा ख्याल है कि उपाध्यक्ष महोदय का मत ज्यादा ठीक है।

†**अध्यक्ष महोदय** : पहला प्रस्ताव यही है कि प्रतिवेदन पर विचार किया जाये। मैं माननीय सदस्यों को कल तक इसके बारे अध्ययन का अवसर दे रहा हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्न यह है :

"कि विशेषाधिकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन पर, जो ११ अगस्त, १९६१ को सभा में उपस्थापित किया गया था,—विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

विशेषाधिकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय** : उपाध्यक्ष महोदय यह प्रस्ताव करेंगे कि श्री करांजिया को सभा के न्यायालय के सामने बुलाया जाये । तब, कल, सभा इस पर विचार कर सकती है कि इस के लिये नियमों में व्यवस्था है या नहीं, और हमें कोई प्रथा बनानी चाहिये या नहीं । माननीय सदस्य उसके लिये तैयार हो कर आयें । पूरी चर्चा के बाद ही, हम निर्णय करेंगे कि उनको यहां बुलाया जाये या, नहीं ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : नियम ३१५ (३) में व्यवस्था है कि समिति का सभापति या कोई सदस्य प्रस्ताव कर सकता है कि सभा प्रतिवेदन की सफिारिशों से सहमत है । लेकिन यदि समिति के सभापति अभी ऐसा प्रस्ताव रखें, तो हमें उसके अध्ययन का अवसर नहीं मिल सकेगा । यह कल किया जा सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : नियम ३१५ (१) में इसकी पहली अवस्था के लिये व्यवस्था की गई है : कि प्रतिवेदन पर विचार किया जाये । माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित उप-नियम (३) का प्रश्न बाद में आयेगा । प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों से सहमति-असहमति का प्रश्न बाद में उठेगा । उस से पहिले उपाध्यक्ष महोदय चाहते हैं कि श्री करांजिया को सभा के न्यायालय के सामने आकर अपनी सफाई देने का अवसर दिया जाये । श्री अशोक मेहता ने इस पर अपत्ति की है, इस आधार पर कि श्री करांजिया को अवसर दिया गया था और उन्होंने उसका लाभ नहीं उठाया, इसलिये अब उनको कोई अधिकार नहीं रहा । इस के बारे में हाउस आफ कामन्स में क्या प्रथा और क्या-क्या दृष्टांत हैं, इस पर कल विस्तार से चर्चा होगी ।

†**श्री तंगामनि** (मदुरै) : मैं समझता हूं कि ऐसा प्रस्ताव नियम वाह्य होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न तो प्रस्ताव प्रस्तुत होने के बाद ही उठाया जा सकेगा । मैं उसकी अनुमति देता हूं ।

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बम्बई के ब्लिटज के सम्पादक श्री आर० के० करांजिया, इस प्रस्ताव के स्वीकार होने के एक सप्ताह के अन्दर अध्यक्ष महोदय द्वारा नियत किये जाने वाले दिन और समय पर , सभा में उपस्थित हों ।"

श्री अशोक मेहता ने मुझ से पूछा था कि क्या मैंने हाउस आफ कामन्स के जिन दृष्टांतों का उल्लेख किया था, उनमें से कोई मामले हमारे सामने दरपेश इस मामले से बिल्कुल मिलता-जुलता है । नहीं । उनमें से किसी भी अपराधी ने सभा के सामने पेश होने में आनाकानी नहीं की थी । फिर भी मेरी राय थी कि श्री करंजिया की बात सुनने के बाद ही सभा को कोई निर्णय करना चाहिये,

---

†मूल अंग्रेजी में

क्योंकि यदि हम सहमति या असहमति का कोई प्रस्ताव स्वीकृत कर देते हैं तो फिर श्री करांजिया की बात सुनने से कोई लाभ नहीं। लेकिन उस प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने के बाद, मुझे एक ऐसा मामला मिल गया है, जो हमारे सामने दरपेश इस मामले से बिल्कुल मिलता-जुलता है। उसमें भी यही है कि अपराधी को अपनी बात कहने का अवसर दिया जाये। मैंने जो छः दृष्टांत दिये थे, उनमें से प्रत्येक में अपराधी को ऐसा अवसर दिया गया था।

समिति का यह निष्कर्ष सर्वसम्मत था कि विशेषाधिकार भंग हुआ है। श्री मुकर्जी भी उससे सहमत थे।

उस पर कार्यवाही क्या की जाये इसके बारे में भी समिति सर्वसम्मत थी कि भर्त्सना की जाये। श्री मुकर्जी ने इस पर पुनर्विचार कराने का प्रयास किया था, लेकिन समिति ने उसे अस्वीकृत कर दिया था। पुनर्विचार का प्रश्न केवल कार्यवाही से सम्बन्धित था, समिति के निष्कर्ष से नहीं।

†**ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : मैं इसका स्पष्टीकरण कर दूं। मैंने केवल विशेषाधिकार भंग करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही की सिफारिश पर पुनर्विचार कराने की नहीं, बल्कि पूरे मामले पर पुनर्विचार कराने की कोशिश की थी। असल में हुआ यह कि मुझे इसकी पूरी सामग्री काफी विलम्ब से मिली थी। मुझे इससे बिल्कुल मिलता-जुलता एक मामला मिल गया था। हाउस आफ कामन्स में १९०१ में एक ऐसा मामला आया था। उस पर लार्ड बेलफौर ने कहा था कि विशेषाधिकार-भंग तो हुआ है, पर चूंकि मामला एक पत्रकार से सम्बन्धित था, इस लिये उसके सम्बन्ध में समिति की सिफारिश के अनुसार कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये। उन्होंने इस मामले को वहीं खत्म कर देने की सलाह दी थी।

†**सरदार हुक्म सिंह** : मुझे इस से मतभेद है। माननीय सदस्य ने कार्यवाही से सम्बनधित भाग पर पुनर्विचार करने की ही बात कही थी।

†**श्री तंगामणि** : यह प्रस्ताव नियम बाह्य है। नियम ३१५ के उपनियम (१) और (२) बिल्कुल स्पष्ट हैं। सभा केवल प्रतिवेदन पर ही विचार कर सकती है। उसके बाद अध्यक्ष महोदय को अधिकार है कि यदि वह आवश्यक समझें तो श्री करांजिया को बुलायें। सभा द्वारा इसके लिये प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया जा सकता।

दूसरी त्रुटि यह कि प्रतिवेदन में श्री करांजिया के अतिरिक्त श्री राघवन--"ब्लिडज के सम्वाद-दाता का भी उल्लेख है और सिफारिश की गयी है कि उनके लोक सभा प्रेस गैलरी और केन्द्रीय हाल के प्रवेश-पत्र तब तक के लिये रद्द कर दिये जायें जब तक कि वह सभा से क्षमा-याचना नहीं करते। हाउस आफ कामन्स में कहीं भी ऐसे अपराध के लिये ऐसे किसी दण्ड का कोई उल्लेख नहीं मिलता। और यह तो अध्यक्ष का अपना अन्यतम क्षेत्राधिकार है। इस लिये यह प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण है।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नाम-निर्देशित-आंग्ल-भारतीय): मेरी समझ में यह नहीं आता कि दो में से एक ही अपराधी को सभा के सामने अपनी बात कहने का अवसर क्यों दिया जा रहा है। यह कहां तक उचित है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खान देश): मैं तो समझता हूं कि दोनों को सभा के सामने बुलाया जाना चाहिये ।

प्रतिवेदन की अधिकृत प्रतियां दोनों को भेजी जानी चाहिये ।

श्री तंगामणि के औचित्य प्रश्न में सार नहीं । नियम ३१५(३) में यह व्यवस्था तो है कि विचार-प्रस्ताव के बाद, समिति का सभापति या सदस्य प्रतिवेदन से सहमति या असहमति का प्रस्ताव रख सकता है, लेकिन ठीक बाद, तुरन्त तो नहीं । एक दो दिन बाद, या सप्ताह भर बाद भी ऐसा प्रस्ताव रखा जा सकता है ।

मैं चाहता हूं कि इस प्रस्ताव में इतना और बढ़ा दिया जाये कि दोनों सभा के सामने उपस्थित हों और सभा का निर्णय सुनें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मैं इसे संशोधन मानू ?

†**श्री नौशीर भरूचा** : जी, हां ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह औचित्य प्रश्न नहीं मानता कि प्रतिवेदन के विचार-प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद उससे सहमति या असहमति का प्रस्ताव ही रखा जा सकता है । सभा अपराधी को उपस्थित होने का आदेश भी दे सकती है । श्री [illegible]या यदि सभाके सामने आकर अपने कार्य पर खेद प्रकट कर दें, तो सभा अपना विचार बदल भी सकती है । यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाये या नहीं, इसका निर्णय, मैं कल पर छोड़ता हूं ।

श्री अशोक मेहता की एक शंका है कि हाउस आफ कामन्स में क्या प्रथा है, अपराधी को हर परिस्थिति में अवसर दिया जाता है या नहीं । हाउस आफ कामन्स की प्रथा के अनुसार सभा के सामने अपराधी द्वारा किया जाने वाला प्रतिनिधित्व लिखित और मौखिक दोनों ही रूप में हो सकता है । मैं कोई निष्कर्ष नहीं निकाल रहा हूं । मैं सभा को इसकी चर्चा का पूरा अवसर दूंगा । इस लिये कि हम उपनियम (१) और (२) के बीच एक प्रथा बना रहे हैं । समिति के सभापति के प्रस्ताव और उस पर श्री भरूचा के संशोधन—दोनों पर सभा कल विचार करेगी । अनुमति देने न देने के प्रश्न पर भी कल ही चर्चा होगी ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या मैं ऐसा एक प्रस्ताव रख सकता हूं कि सभा अब कार्यावलि में उल्लिखित अगले विषय को लेगी । हाउस आफ कामन्स में सभा का नेता, जब यह समझता है कि आगे किसी कार्यवाही की जरूरत नहीं, तब वह ऐसा प्रस्ताव रखता है, अर्थात् मामला यहीं खत्म किया जाय, जैसा कि मैं बता चुका हूं । १६०१ के मामले में किया गया था ।

†**सरदार हुक्म सिंह** : वहां तो तब हो सकता था जब प्रतिवेदन को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा जाता ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : प्रतिवेदन तो सभा के सामने है ही । हम उस पर विचार भी कर चुके हैं । वह सभा की कार्यवाही का अंग बन चुका है । बस इतना पर्याप्त है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने इस की चर्चा कल तक के लिये स्थगित कर दी है । मैं इस की अनुमति नहीं दूंगा । इसे कल प्रश्न-काल के हाल ही बाद लिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रत्यर्पण विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री अ० कु० सेन द्वारा १७ अगस्त, १९६१ को रखे गये इस प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :—

"कि भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण संबंधी विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : जी, नहीं । हमने उसे संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव रखा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वह प्रस्तुत किया जा चुका है ।

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण सम्बन्धी विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं के २१ सदस्य ;

इस सभा के १४ सदस्यों अर्थात् :—

बख्शी अब्दुल रशीद, श्री जोकीम आल्वा, श्री फ्रेंक एन्थनी, श्री दिनेश सिंह , सरदार हुक्म सिंह , पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी, श्री कासलीवाल, श्री खुशवक्त राय, श्री ही० ना० मुकर्जी, श्री रामेश्वर राव, श्री सादत अली खां, श्री शिव राज, श्री अ० कु० सेन ; और

राज्य सभा के ७ सदस्य की संयुक्त समिति को सौंपा जाये ;

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिये गणपूर्ति समिति के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या का एक-तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को अगले अधिवेशन के प्रथम दिन तक रिपोर्ट देगी ;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें, और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।"

मुझे इस के बारे में अधिक कुछ नहीं कहना है । सरकार ने इसे संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव बड़ी खुशी से मान लिया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण सम्बन्धी विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं के २१ सदस्य;

---

†मूल अंग्रेजी में

इस सभा के १४ सदस्यों अर्थात् :—

बख्शी अब्दुल रशीद, श्री जोकीम आल्वा, श्री फ्रेंक एन्थनी, श्री दिनेश सिंह, सरदार हुक्म सिंह, पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी, श्री कासलीवाल, श्री खुशवक्त राय, श्री ही० ना० मुकर्जी, श्री राने, श्री रामेश्वर राव, श्री सादत अली खां, श्री शिव राज, श्री अ० कु० सेन ; और

राज्य सभा के ७ सदस्य की संयुक्त समिति को सौंपा जाये ;

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिये गणपूर्ति समिति के सदस्यों की कुल सदस्य सख्या का एक-तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को अगले अधिवेशन के प्रथम दिन तक रिपोर्ट देगी ;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें ; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मि लित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

आयकर विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आयकर और अधिकर संबंधी विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

सभा ने इसे २७ अप्रैल, १९६१ को प्रवर समिति को सौंपा था । प्रवर समिति ने अपना प्रतिवेदन १० तारीख को दिया है। समिति ने बड़ी बारीकी से इसकी छानबीन की है। इसने इतने पेचीदा से विधेयक पर भी इतनी तत्परता से अपना प्रतिवेदन दे दिया है। इसके लिये मैं उसके प्रति आभार प्रदर्शन करता हूं ।

प्रवर समिति ने इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित संस्थाओं और व्यक्तियों से साक्ष्य लिया है उनकी बात सुनी है । समिति के पास सौ से अधिक ज्ञापन और प्रतिनिधान आये थे । समिति ने तेरह संस्थाओं को मौखिक रूप से अपनी राय पेश करने का अवसर दिया था ।

आप जानते हैं कि इस विधेयक का प्रारूप प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति और विधि आयोग के प्रतिवेदनों के आधार पर तैयार किया गया है । इसीलिये इस विधेयक में दोनों हितों का संतुलन है ।

मैं समिति द्वारा किये गये कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों को ही आपके सामने रखूगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरार जी देसाई]

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस विधेयक में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह किया गया है कि इस में "सामान्यत: निवासी नहो" वाले व्यक्तियों की श्रेणी को भी इस में सम्मिलित कर लिया गया है। सरकार ने इस श्रेणी को कराधान जांच आयोग और विधि आयोग की सिफारिश पर ही आयकर विधेयक से हटा दिया था।

लेकिन बाद में हमारे देश में रहने वाले विदेशी टेकनीशियनों और विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने प्रतिनिधान भेजे कि इससे उनके लिये बड़ी कठिनाई हो जायेगी। इसीलिये समिति ने इस व्यवस्था को और अधिक उदार बनाया है। 'निवास' की परिभा ा में भी कुछ ढिलाई कर दी गई है। वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत निवासी उसी को माना जायेगा, जो छ: महीने से अधिक काल तक भारत में रह चुका हो। प्रवर समिति की सिफारिश है कि भारत में वर्ष में तीस दिन से अधिक काल तक न रहने वाले व्यक्ति को निवासी न माना जाये। विधेयक में पहले यह व्यवस्था कि यदि कोई व्यक्ति पिछले वर्ष के पहले के चार वर्षों में कम से कम ३६५ दिन तक और वर्ष में तीस दिन या इतने काल तक भारत में रहा हो, तो उसे निवासी माना जाता। समिति ने इसे तीस के स्थान पर साठ दिन कर दिया है। आशा है किसभी इस का स्वागत करेंगे।

समिति ने पूर्व संस्थाओं की आय से संबंधित खण्डों ११ से १३ और २१५ पर काफी बारीकी से विचार किया है। ये खण्ड त्यागी समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करते हैं। उसकी सिफारिश थी कि यदि किसी वर्ष में किसी न्यास की निधियां उसकी वार्षिक आय से २५ प्रतिशत अधिक हों, तो उन पर कर लगाना चाहिये। एक सिफारिश यह भी थी कि न्यास के प्राथमिक प्रयोजन के लिये कियेजाने वाले व्यवसाय के लिये ही कर से विमुक्ति दी जानी चाहिये। प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर बोलते हुए कई माननीय सदस्यों ने आशंका व्यक्त की थी कि इससे कुछ बड़ी अच्छी पूर्त संस्थाओं पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। प्रवर समिति की राय थी कि घोषित उद्देश्य के लिये यह एक कार्यक्रम बना कर उसकी पूर्ति के लिये प्रयत्नशील छोटे-छोटे न्यासों पर निधियों के संचय सम्बन्धी व्यवस्था का कुप्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिये, और साथ ही बनावटी पूर्त संस्थाओं को विमुक्ति नहीं मिलनी चाहिये। इसीलिये प्रवर समिति ने १०,००० रुपये से कम वार्षिक आय वाले छोटे-छोटे न्यासों को संचय सम्बन्धी व्यवस्था से विमुक्ति दे दी है। १०,००० रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले उन न्यासों को भी विमुक्ति मिल सकेगी जो पहले से अपने उद्देश्य की घोषणा कर देंगे। पर संचय की अवधि दस वर्ष से अधिक नहीं बढ़ेगी। इस प्रकार प्रवर समित ने इसे लचीला भी बना दिया है। समिति की यह भावना थी कि न्यास के प्राथमिक उद्देश्य तक ही व्यवसाय को सीमित रखना जरूरी नहीं है। इसीलिये खण्ड ११—१३ में सम्पत्ति की परिभाषा में व्यावसायिक उपक्रमों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। और सही किस्म के पूर्त न्यासों और संस्थाओं को ही विमुक्ति देने का प्रवर समिति का उद्देश्य खण्ड २ (१५) में दी गई 'पूर्त प्रयोजन' की परिभाषा को संशोधित करके पूरा किया गया है। समिति ने उसकी व्यापक परिभाषा के दुरुपयोग को रोकने के लिये यह शब्द जोड़ दिये हैं कि मुनाफे के लिये की जाने वाली कार्यवाही 'पूर्त प्रयोजन' में सम्मिलित नहीं होगी। इसका सभी स्वागत करेंगे।

इसके संबंध में श्री मी०रु० मसानी ने एक विमति टिप्पणी भी दी है। किसी जातिया सम्प्रदाय के लाभ के लिये बने न्यासों और संस्थाओं को विमुक्ति नहीं दी जानी चाहिये। इस प्रस्ताव से वह असहमत हैं। लेकिन इस समय देश में राष्ट्रीय चेतना का विकास करने की बड़ी आवश्यकता है। सम्प्रदायवादी संस्थाओं के लिये उनको राज्यीय सहायता देने की बात नहीं कहनी चाहिये थी। वह

कहते हैं कि कानून बना कर समाज में अच्छाई पैदा नहीं की जा सकती। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कानून के जरिये अच्छाई पैदा करने की कोशिश ही न की जाये।

इसके बाद, आती है धारा २३क। इस के अन्तर्गत आने वाले समवायों में जनता को अधिक दिलचस्पी नहीं होती। उनको अपने मुनाफे का एक निश्चित प्रतिशत भाग शेयर धारियों में बांटना पड़ता है। यदि वे न करें तो उनपर ३७ या ५० प्रतिशत तक अधिकर लगाया जा सकता है। विधेयक में व्यवस्था की गई थी कि अदा किये जाने वाले करों और पूर्त संस्थाओं के दिये गये दानों को उसमें से घटाने की अनुमति दी जानी चाहिये।

आयकर प्रयोजन के लिये पूंजी की हानि को अन्य किसी आय के लेखे से नहीं लिया जा सकता। उस में विदेशी व्यापार से होने वाले लाभ को समवाय की आय में सम्मिलित माना जायेगा। इस से समवायों को, विदेशी व्यापार से मिलने वाले मुनाफे में अड़चनें पैदा होने पर, बड़ी कठिनाई हो जायेगी। तब उन सभी परिस्थितियों को ध्यान में न ले कर, अतिरिक्त अधिकर लगा देने से बड़ी कठिनाई पैदा हो जायेगी।

इसीलिये प्रवर समिति ने खण्ड १०४ और १०६ में उपयुक्त संशोधन करने की सिफारिश की है। श्री मसानी ने इस से भी विमति प्रकट की है। उन का सुझाव है कि यदि समवाय घोषित कर दे कि लाभांश नहीं दिया जा सकेगा तो उस पर दण्ड-रूप अधिकार नहीं लगाया जाना चाहिये। वह इस के लिये खण्ड १०४ का संशोधन चाहते हैं। आप को याद होगा कि हम ने १६५५ में ऐसी ही एक व्यवस्था की थी। लेकिन १६५७ में उसे हटाना पड़ा था। इसलिये श्री मसानी के सुझाव पर उस समय विस्तार से विचार किया जा चूका है।

त्यागी समिति ने भी इस पर विचार किया था और इसे अनावश्यक ही बताया था।

खण्ड ७६ का सम्बन्ध खंड २३क के अन्तर्गत आने वाली समवायों पर हानि को अगले वर्ष के खाते में डालने से है। त्यागी समिति चाहती थी कि घाटे वाले समवायों को खरीदने से होने वाली हानि को कर से विमुक्ति दी जा सके। प्रवर समिति ने भी महसूस किया कि व्यवस्था कुछ कठोर है। इसीलिये उन की कर-देयता को घटाने के लिये ही इस में परिवर्तन किया गया है। आशा है सभा इसे स्वीकार करेगी।

समवाय का देयता उन शेयरधारियों पर नहीं डाली जानी चाहिये जो उस के वास्तविक प्रबन्ध में खास हिस्सा नहीं लेते। इसीलिये समिति ने खण्ड १७६ का प्रवर्तन निदेशकों तक ही सीमित कर दिया है।

श्री मसानी ने अपनी विमति टिप्पणी में कहा है कि सीमित समवाय के कर्ज के लिये समवाय के निदेशक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होते। समवाय अधिनियम की धारा ५४२ में धोखे-धड़ी के लिये या ऋणदाताओं के साथ जालसाजी करने के लिये समवाय चलाने वाले व्यक्ति का सीमित दायित्व हटा दिया गया है। तब समापन या कर अदायगी न होने पर, निदेशक को ही उत्तरदायी माना जाना चाहिये। सीमित दायित्व की व्यवस्था का दुरुपयोग भी तो रोकना पड़ेगा।

खण्ड १४६ में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। उस का सम्बन्ध है पहले के निर्धारण के बारे में पुनर्विचार की अवधि से। प्रवर समिति ने संशोधन किया है कि १६ वर्ष से अधिक पुराने निर्धारण पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकेगा। धन की सीमा भी ५०,००० रुपये तक कर दी गई है।

[श्री मोरारजी देसाई]

इन बड़े-बड़े परिवर्तनों के अतिरिक्त, प्रवर समिति ने कुछ सहायता के तौर पर भी परिवर्तन किये हैं । सभी उन का स्वागत करेंगे ।

मैं उन में से कुछ ही का उल्लेख करूंगा ।

प्रवर समिति ने यह सुझाव मान लिया है कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलने वाले उपदानों को कर की छूट दी जायेगी ।

छोटे शेयरधारियों की सुविधा के विचार से, अब यह व्यवस्था कर दी है कि शेयरधारियों द्वारा समवाय से लिये गये ऋण की २० प्रतिशत राशि ही लाभांश में लिखी जा सकेगी ।

भारत में एक निश्चित अवधि के लिये आने वाले विदेशी टेकनीशियनों को पारिश्रमिक विमुक्ति दी जा रही है ।

कलाकार, गायकों, लेखकों, इत्यादि को बीमा की अधिक बड़ी किश्त पर कर विमुक्ति मिल सकेगी ।

साहित्यिक या कलात्मक कार्य की रायल्टी या कापीराइट की फीस पर अब कर की दर घटा दी गई है ।

विकास सम्बन्धी छूट की व्यवस्था भी अधिक उदार बना दी गई है। अब धारा ५६क और अधिक उद्योगों पर लागू की जा सकेगी । उस का क्षेत्र विस्तारित कर दिया गया है । ९/१० शेयर रखने वाले शेयरधारियों के वहीं रहने पर दो समवायों से मिल जुल कर बने समवाय को भी विकास-छूट की सुविधा मिलेगी ।

यदि सौ प्रतिशत निर्भरता वाला समवाय अपने जनक समवाय में मिला दिया जाये तो भी छूट की सुविधा खत्म नहीं होगी ।

अब रक्षित खाते में रखी गई राशि को १० के स्थान पर आठ वर्ष तक ही अलग रखना अनिवार्य होगा ।

लाभांश पर लगने वाले अधिकर सम्बन्धी व्यवस्था धारा ५६क का क्षेत्र भी बढ़ा दिया गया है ।

श्री मसानी को शिकायत है कि अधिनियम में 'व्यावसायिक सम्बन्ध' की परिभाषा नहीं दी गई है । इंगलैण्ड में भी स्थिति इतनी स्पष्ट नहीं जितनी कि श्री मसानी सोचते हैं । और भी कई शब्द हैं । उन की बहुत अधिक स्पष्ट व्याख्या करने से कोई लाभ नहीं होगा । उन की व्याख्या तो कई अवस्थाओं पर होती ही है । इसीलिये खण्ड ९ की व्याख्या का प्रारूप फिर से तैयार किया गया है ।

धारा १६ (१)(क) में स्पष्ट व्यवस्था है कि धारा १५ के अन्तर्गत विमुक्त की गई राशि कुल आय में शामिल मानी जायेगी। इसलिये छूट का दावा करने वालों को कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी ।

श्री ले० अचौ सिंह ने अपनी विमति टिप्पणी में कहा है कि यह आयकर विधेयक समन्यायपूर्ण समाज की स्थापना में सहायक नहीं होगा । इस विधेयक से उस का क्या ताल्लुक ? आय के बारे में झूठे विवरण देने पर, ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत न्यायालय में मुकदमे चलाये जायेंगे । आय विधेयक का खण्ड १३६ देखें ।

मैंने कुछ संशोधनों को पूर्व सूचना दी है। प्रवर समिति का प्रतिवेदन आने के बाद से अब तक उन संशोधनों की आवश्यकता पड़ गई है। वे मुख्यतया आनुषंगिक हैं। उन पर चर्चा के समय मैं विस्तार से उनकी व्याख्या करूंगा।

श्री एन्थनी ने पूर्त संस्थाओं के बारे में एक कठिनाई रखी थी। मैं ने उन को बता दिया है कि सम्बन्धित खण्ड की चर्चा के समय उस कठिनाई को दूर करने का प्रयास किया जायेगा।

इन शब्दों के साथ, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खान देश) : मैं यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि आयकर विधेयक जोकि प्रवर समिति के प्रतिवेदन पर आधारित है, पर चर्चा ३१ अगस्त, १९६१ पर उठा रखी जाय। इस का कारण यह है कि प्रवर समिति का प्रतिवेदन ही आज प्रातः तक हमें नहीं मिल सका। बिक्री विभाग में यह उपलब्ध नहीं था। इतने महत्व का विवादास्पद विधेयक हो और हम उसे बिना पढ़े देखे उस पर चर्चा आरम्भ कर दें। बिना लोगों को इस पर विचार करने का अवसर दिये, यहां चर्चा करना उचित नहीं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह नियम के अन्तर्गत सम्भव नहीं। प्रवर समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में निवेदन है कि १४ को बिक्री विभाग में ४९५ प्रतियां रखी गई थीं जोकि बिक गईं। माननीय सदस्य को तो इस की प्रति मिल सकती है सामान्य लोगों को नहीं। सरकार की अनुमति के बिना इस पर चर्चा स्थगित नहीं की जा सकती। हां यदि माननीय सदस्यों को प्रतियां न मिलतीं तो बात और थी।

†**श्री मुरारजी देसाई** : प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रैस विज्ञप्ति १० को निकाली गयी। इस बीच अखबारों ने इस पर अपनी टिप्पणियां भी लिख दीं और लोगों को भी इस के बारे में ज्ञान हो गया। नियम के अनुसार भी चलें तो दो दिन का नोटिस चाहिये। अतः मैं इस चर्चा के स्थगित किये जाने से सहमत नहीं हो सकता।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं इस दिशा में कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं इसे अभी प्रस्तुत कर देता हूं।

†**श्री मोरारका** (झुनझुनू) : यह बात कहने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं कि यह विधेयक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जैसाकि वित्त मंत्री महोदय ने स्वयं कहा है कि यह कानून लगभग एक शताब्दी से इस देश में लागू है और प्रत्यक्ष करों को एकत्रित करने में ९५ प्रतिशत हाथ इस का है। इसी के द्वारा केन्द्रीय सरकार के कुल राजस्व का तीसरा भाग एकत्रित होता है। मुझे इससे बड़ा ही दुःख हुआ कि इतने महत्वपूर्ण विधेयक की ओर सदन का समुचित ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ। इस देश के अधिक से अधिक संख्या में लोग इस विधान के अन्तर्गत आ जाते हैं। और साथ ही इस दिशा में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह का विधान अनिवार्यतः जटिल ही होता है, परन्तु फिर भी पूरा प्रयत्न किया गया है कि इसे अधिक से अधिक सरल बनाया जाय। इसे और भी सरल बनाया गया तो सरकार को राजस्व कम मिलेगा और नागरिकों की परेशानी में वृद्धि हो जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारका]

इस विधान के अन्तर्गत विभिन्न आयों के लोग आते हैं । इस कारण इस का थोड़ा बहुत जटिल हो जाना स्वाभाविक है । फिर आय भी कई प्रकार की होती है जिस से विधान स्वयंमेव ही व्यापक रूप ले लेता है । परन्तु यह सत्य है कि प्रवर समिति से आने के बाद यह विधेयक आगे से अधिक सरल हो गया है ।

इंग्लैंड में आयकर अधिनियम १७९९ में बनाया गया था उस समय छोटे पिट देश के प्रधान मंत्री थे और इंग्लैंड का नेपोलियन से युद्ध चल रहा था। उस समय इस विधान को भी बड़ा जटिल समझा गया था और सरकार को एक पुस्तिका प्रकाशित करके उसके बारे में लोगों को समझाना पड़ा था। हमारे देश में इस प्रकार का विधान १८६६ में आया, उसमें २३ संशोधन पारित हुए थे। वर्तमान अधिनियम का संशोधन १९२२ में हुआ था और तब से ऐसा ही चल रहा था। अब तक के जो भी दोष और कमियां इस अधिनियम में पाई जाती हैं वह इस विधेयक से दूर हो जायगी। आयकर विधान समय व्यतीत हो जाने पर कैसे व्यापक और जटिल हो जाता है यह अध्ययन सचमुच बड़ा मनोरन्जक होता है । राजनीतिक तौर पर उस देश को प्रगतिशील और समृद्धिशाली समझा जाता है जहां की आयकर अधिक प्राप्त होती है । परन्तु जब आयकर का दर ऊंचा हो जाता है तो लोग फिर कर का अपवंचन भी आरम्भ कर देते हैं। अच्छे और जिम्मेदार लोग भी ऐसा करने पर मजबूर हो जाते हैं। यदि आय कर की दरें ऊंची नहीं जाती तो कर अपवंचन नाम मात्र का रह जाता है। ऊंचे दरों के कारण कई स्वाभाविक सम्बन्ध टूट कर कानूनी रूप में सामने आने लगते हैं जैसे हिन्दू संयुक्त परिवारों का टूटना है । बाप और बेटे में भागीदारी होने लगती है, पति और पत्नी में करार होने लगते हैं और इसी प्रकार की विभिन्न प्रकार की जटिलतायें आ खड़ी होती हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि किसी भी देश आयकर विधान सरल, एकरूप और संक्षेप होना चाहिये। परन्तु हमारी संसद प्रतिवर्ष विधान को जटिल से जटिल बनाती जा रही है।

इस विधान को सरल बनाने के सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि यदि सरकार गैर-सरकारी समवायों पर लगाये गये कर की दर किसी सीमा तक बढ़ा कर २३ (क) के अन्तर्गत आने वाले समवायों को समाप्त कर सके तो कानून को काफी सरल बनाया जा सकता है। एक अन्य बात जो इस दिशा में हम हमेशा अपने समक्ष रखनी चाहिये वह यह कि हमें अपने औद्योगिक विकास के लिये विदेशियों से सहयोग प्राप्त करने जा रहे हैं तो हमारे कर का सरल होना बड़ा ही आवश्यक हो जाता ।

प्रवर समिति के विचार के बाद, विधेयक में सभी सामरिक और महत्वपूर्ण स्तरों पर प्रक्रिया में शीघ्रता लाने की व्यवस्था की गयी है। यह देख कर भी सन्तोष होता है कि विधेयक में कर दाता और विभाग इन दोनों के हितों की रक्षा के लिये पर्याप्त व्यवस्था की गयी है। कर निर्धारण तेजी से होने के कारण काफी परेशानी बच जायेगी और भ्रष्टाचार भी कम हो जायेगा। इस का मैं कोई कारण नहीं समझ सकता कि कर निर्धारण का काम छः मास म पूरा न हो। यह भी है कि इस विधेयक के कारण वर्तमान अधिनियम की अपेक्षा लोगों को न्याय अधिक प्राप्त हो। यह भी व्यवस्था कर दी गई है कि जब तक कर दाता कर की पूरी राशि का भुगतान न कर दे तब तक वह किसी भी प्रकार के दंड के विरुद्ध अपील नहीं कर सकेगा। प्रवर समिति ने इस उपबन्ध को स्वीक र किया है ।

कर अपवंचन के बारे में मेरा निवेदन यह है कि केवल कानून बना देने से ही इस दिशा में सफलता प्राप्त नहीं होगी । सरकार को कुछ अपने लोगों का विश्वास भी प्राप्त करना होगा । यदि सरकार लोगों को यह विश्वास दिला दे कि करों से प्राप्त धन का सदुपयोग किया जायेगा और बेकारी

इत्यादि की समस्याओं को सफलतापूर्वक हल करने का यत्न किया जायेगा तो मेरा विश्वास है कि कर अपवंचन की घटनायें बहुत ही कम हो जायेंगी। यह भी है कि यदि करों की दरों को घटा कर उचित स्तरों पर ले आया जाय तो निश्चित उससे करापवंचन कम हो जायेगा।

अब मैं विधेयक के उन दो खंडों की चर्चा करता हूं जोकि नयी दिशाओं का निर्देश देते हैं। खंड ७६ और १७६ है। प्रवर समिति ने इन दोनों खंडों में संशोधन करके इन्हें बहुत ही उपयोगी बना दिया है। इसके लिये हम सब प्रवर समिति के आभारी हैं। परन्तु इस दिशा में मेरा मृत यह है कि खंड १७६ में अभी और भी सुधार कर सकने की गुंजाइश है। इसके लिये मेरा निवेदन है कि यह स्पष्ट कर दिया जाये इस खंड को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जायेगा। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम कर दाताओं को समुचित आदर देना चाहिये। प्रत्येक कर दाता कर अपवंचक नहीं होता और न ही सारे समाज विरोधी ही होते हैं। अन्त में मैं वित्त मंत्री और राजस्व अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने प्रवर समिति के सभी संशोधन स्वीकार कर लिये।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वेल्लोर) : वर्तमान विधेयक में प्रवर समिति ने जो संशोधन किये हैं वे प्रायः माननीय सदस्यों को स्वीकार हैं। परन्तु मैं इस दिशा में कुछ बातें सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। प्रथम बात जिसके बारे म मैं निवेदन करना चाहता हूं वह खंड १०(१०) है। जब तक इस खंड में उचित संशोधन नहीं किया जाता तब तक हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि मृत्यू और निवृत्ति उपदान की सुविधा गैर-सरकारी संस्थाओं में भी लागू कर दी जायेगी। मैं इस पर आग्रह करूंगा कि यह बात इस खंड म स्पष्ट कर दी जानी चाहिये। मैं श्री मुरारका से सहमत नहीं हूं कि खंड १७६ के उपबन्ध यदि भूतलक्षी प्रभाव से लागू किये गये तो उससे कोई हानि न होगी। यदि यह सिद्ध कर दिया जाय कि संचालक की असावधानी अथवा भूल से करों का भुगतान नहीं हो सका तो इस बात की जिम्मेदारी उस पर होगी।

खंड १४७ के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस उपबन्ध के बारे में कुछ स्पष्टीकरण आवश्यक है कि ५०,००० अथवा इस से अधिक राशि कराधान से बंच गयी हो तो इस दिशा में पुनः कार्य-वाही की जा सकेगी। मेरा यह भी विचार है कि किसी विशिष्ट कर दाता के लिये १६ वर्ष तक हिसाब के बही खाते सम्भाल रखना सम्भव नहीं होता। इस बारे में सम्बद्ध उपबन्ध में उचित परिवर्तन करना चाहिये ताकि अनावश्यक असुविधा न हो।

इस में बताया गया है कि गज़ट में दोषी व्यक्तियों के नाम की घोषणा की जायेगी। लेकिन गज़ट को देखना भी एक सर दर्द है। यह गज़ट काफी बड़ा होता है। दोषी व्यक्तियों की सूची कब प्रकाशित होगी। यह मालूम नहीं। अच्छा तो यह है कि सूची दैनिक पत्रों में प्रकाशित की जाये। इसका लाभ यह होगा कि सभी अपराधी एवं करापवचकों के विरुद्ध अच्छा खासा प्रचार हो जायेगा। और ऐसा करने से समाज में जागृति हो सकेगी। जो लोग भुगतान नहीं करते हैं उनके नामों का प्रचार यथासंभव अधिक से अधिक मात्रा में किया जाये ताकि सभी लोग जान सकें कि ये लोग अपराधी हैं। आज कल होता यह है कि ये लोग बड़ी शान से निकलते हैं लोग इनकी ओर उंगली तक नहीं उठा सकते। इसलिये मेरा निवेदन है कि केवल गजट में नाम प्रकाशित करने से कुछ नहीं होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री न० रा० मुनिस्वामी]

जहां तक बीमा की किश्त की बात है। मेरा निवेदन है कि जब तक कि कोई व्यक्ति उस आमदनी से बीमे की किश्त नहीं देता जिसपर कि कर ससूल किया जा सकता है तब तक वह छूट की मांग नहीं कर सकता, भले ही उसने यह किश्त किसी और आमदनी से दी हो।

यह विधेयक बहुत बड़ा है। जहां तक न्यासों द्वारा कर देने की बात है। मेरा निवेदन है कि यदि इन न्यासों की आय एक निर्धारित सीमा से आगे बढ़ जाती है तो इन्हें कर देना चाहिये।

कुछ ऐसी संस्थायें भी हैं जो परोपकारी व्यक्तियों की सहायता से चलती हैं। हालांकि इन संस्थाओं से एक वर्ग विशेष को ही लाभ होता है लेकिन फिर भी इनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। लेकिन मेरा निवेदन है कि यदि इन संस्थाओं को भारत की संचित निधि से धन मिलता है तो इन संस्थाओं को सरकार से कोई सहायता नहीं लेनी चाहिये।

†**श्री मी० रु० मसानी** (रांची-पूर्व) : कर इकट्ठा करने वाले तथा कर देने वालों में आपसी सम्बन्ध कुछ अच्छे नहीं होते। यह आज की बात नहीं है बल्कि युगों से चली आ रही है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

छियास्सीवां प्रतिवेदन

†**श्री झूलन सिंह** (सीवन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के छियास्सीवें प्रतिवेदन से, जो १६ अगस्त, १९६१ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के छियास्सीवें प्रतिवेदन से, जो १६ अगस्त, १९६१ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**श्री झूलन सिंह** (सीवन) : एक औचित्य प्रश्न है। अभी हमने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों सम्बन्धी समिति के छियास्सीवें प्रतिवेदन का अनुमोदन किया है। उस प्रतिवेदन में एक सिफारिश यह भी है कि इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह दूसरा विधेयक है। वह तो संविधान (संशोधन) विधेयक है। प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री महन्ती** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

लोक प्रतिनिधित्व (अनर्हता निवारण) विधेयक

†**श्री खुशवक्त राय** (खेरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संसद् तथा राज्य विधान मंण्डलों की सदस्यता तथा निर्वाचन में मतदान की अनर्हताओं के निवारण की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि संसद् तथा राज्य विधान मण्डलों की सदस्यता तथा निर्वाचन में मतदान की अनर्हताओं के निवारण की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री खुशवक्त राय** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन)

†**श्री नरसिंहन्** (कृष्णागिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री नरसिंहन्** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन)—जारी

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा में श्री पट्टाभिरामन द्वारा ५ मई, १९६१ को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा होगी :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** (कुम्बकोणम्): यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद २२६ में संशोधन करने के लिये है। इस विधेयक के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी उच्च न्यायालय, जिस के क्षेत्राधिकार में "कार्यग्राही का कारण" उत्पन्न हुआ है, भारत सरकार को कोई निदेश, आदेश या परमादेश दे सकेगा, यद्यपि सरकार की राजधानी उन क्षेत्रों में न हो जो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं। इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद २२६ में संशोधन अपेक्षित है। उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिस में केवल पंजाब उच्च न्यायालय अनुच्छेद २२६ के अन्तर्गत भारत सरकार को निदेश आदि दे सकता है। जो लोग दिल्ली से दूर के राज्यों के निवासी हैं, उन्हें यह सुविधा नहीं है। उच्च न्यायालय के एक निर्णय में कहा गया है कि अनुच्छेद २२६ में उस स्थान का निर्देश नहीं है जहां सरकार कार्य करती हो लेकिन केवल उस स्थान का निर्देश है जहां व्यक्ति अथवा अधिकारी रहता हो या रखा गया हो, यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। निर्णय में आगे यह भी कहा गया है कि इस से कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं और संविधान में संशोधन करके इसे ठीक किया जा सकता है। विधि आयोग ने इस असंगति को दूर करनें की सिफारिश की है। अतः मैं आशा करता हूं कि सभा इस विधेयक का समर्थन करेगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

इस के बारे में एक संशोधन भी है।

†**श्री मुरारका** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को राय जानने के लिये ३१ अक्तूबर, १९६१ तक परिचालित किया जाये।"

संविधान में संशोधन करना एक बहुत गम्भीर बात समझनी चाहिये। चूंकि यह संशोधन विधेयक एक गैर-सरकारी सदस्य द्वारा रखा गया है अतः अच्छा होगा कि इस के बारे में जनमत ले लिया जाये।

मेरा इस विधेयक के उद्देश्यों से कोई मतभेद नहीं है। मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं। लेकिन यह अच्छा समझता हूं कि इस पर जनमत ले लिया जाये। इसीलिये मैंने यह संशोधन रखा है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुआ।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता–पूर्व) : मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं। विधि आयोग के अनुच्छेद २२६ के संशोधन की आवश्यकता पर ज़ोर दिया था। वर्तमान परिस्थितियों में किसी नागरिक के साथ ज्यादती हो जाये तो उस के पास इस का कोई उपाय नहीं है। यदि विधेयक को परिचालित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तो संभव है कि विधेयक पर इस संसद् के कार्यकाल में कोई कार्यवाही न की जा सके। सरकार को इतने महत्वपूर्ण विधेयक को पारित करने के लिये सभा में आवश्यक संख्या में सदस्यों की उपस्थिति की व्यवस्था करनी चाहिये थी। विधेयक को यथासंभव शीघ्र पारित करने के लिये चर्चा किसी और दिन के लिये स्थगित की जा सकती है।

यह सभी जानते हैं कि इस प्रकार का संशोधन अत्यन्त आवश्यक है। इसलिये इसे स्वीकार किया जाना चाहिये।

†**श्री मा० श्री अणे** (नागपुर) : मुझे इस बात का खेद है कि इस विधेयक को परिचालित करने का प्रस्ताव भी करना पड़ा है। यह विधेयक संविधान में संशोधन करने के लिये है।

---

†मूल अंग्रेजी में

यद्यपि यह स्पष्ट है कि जनमत विधेयक के पक्ष में है तब भी प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिये विधेयक को परिचालित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाये। विधेयक को परिचालित करने से उस का खासा प्रचार हो जायेगा।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वेल्लोर) : मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं। भारत सरकार के परमादेश का क्षेत्र देश भर में व्याप्त है। इसलिये यदि किसी व्यक्ति को भारत सरकार के किसी अधिकारी के कार्य या आदेश के फलस्वरूप कष्ट उठाना पड़े तो वह किसी भी उच्च न्यायालय में परमादेश याचिका प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकार का संशोधन आवश्यक है। ऐसे विधेयक सभा के समक्ष लाने का कार्य सरकार को अपने पर ले लेना चाहिये। मेरा निवेदन है कि ये दोनों विधेयक जनमत जानने के लिये परिचालित किये जायें। क्योंकि दोनों का विषय लगभग एक ही सा है। आशा करता हूं कि अन्त में यह विधेयक पारित किया जायेगा।

†**श्री नरसिंहन्** (कृष्णागिरी) : विधेयक को जनमत जानने के लिये जो प्रस्ताव किया गया है मैं पूर्णतः उस का समर्थन करता हूं। इस प्रकार के विधान की आवश्यकता जनता और विभिन्न निकायों द्वारा अनुभव की गई है। परिचालित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिये क्योंकि विभिन्न निकायों, वकीलों आदि की राय सरकार और सभा के लिये उपयोगी सिद्ध होगी।

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)**: इस विधेयक सम्बन्धी संशोधन के प्रति मेरी पूर्ण सहानुभूति है। विधि आयोग एवं उच्चतम न्यायालय ने भी ऐसा मत कई बार व्यक्त किया है। उच्चतम न्यायालय ने जिस विधि की घोषणा कर दी है हमें उसका सम्मान करना चाहिये। संविधान का भी निर्वचन जिस रूप में उच्चतम न्यायालय ने किया है हमें उसे उसी रूप में लेना चाहिये। मैं यह बताना चाहता हूं कि अनुच्छेद २२६ के संशोधन पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। सरकार विधेयक को परिचालित करने के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये तैयार है। हम अनुच्छेद २२६ के संशोधन के लिये कई मसौदों पर विचार कर रहे हैं ; हम एक ऐसा संशोधन लाना चाहते हैं जिस से उच्च न्यायालय को राज्य सरकार के आदेश के बारे में कार्यवाही करने जैसी शक्ति प्राप्त हो सके।

अंत में मैं परिचालन सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को ३१ अक्तूबर, १९६१ तक राय जानने के लिये परिचालित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सिख गुरुद्वारा विधेयक

†**सरदार अ० सिं० सहगल** (जंजगीर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत संघ के विभिन्न राज्यों में स्थित सिख गुरुद्वारों के अच्छे प्रशासन और तत्संबंधी मामलों में जांच करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को दोनों सदनों की ४५ सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें ३० सदस्य अर्थात् सरदार

---

†मूल अंग्रेजी में

[सरदार अ० सिं० सहगल]

हुक्म सिंह, सरदार इकबाल सिंह, सरदार गु० सिं० मुसाफिर, सरदार अजित सिंह सरहदी, सरदार बहादुर सिंह, सरदार अजित सिंह भटिंडा, सरदार दलजीत सिंह, सरदार जोगेन्द्र सिंह, श्री दीवान चंद शर्मा, राजा बहादुर वीरेन्द्र बहादुर सिंह, डा० विजय आनन्द, श्री राम गरीब सिंह, श्री हेडा, श्रीमती मंजुला देवी, श्री झूलन सिंह, श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी, डा० राम सुभग सिंह, श्री नथवानी, श्री गांधी, श्री वें० पे० नायर, श्री च० द० पांडे, श्री गोरे, श्री नाथपाई, डा० मा० श्री० अणे, डा० मेलकोटे, श्री जगन्नाथ राव, सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया, श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्री अ० कु० सेन, और प्रस्तावक श्री अ० सिं० सहगल, इस सभा के हों और १५ सदस्य राज्य सभा के हों;

कि समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के कुल सदस्यों की संख्या की एक तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक अपना प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से सम्बन्धित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसी विभिन्नताओं तथा रूपभेदों के साथ लागू होंगे जैसाकि अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा, राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा अपने द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम लोक-सभा को बताये ।"

†**श्री हजरनवीस** : एक औचित्य प्रश्न है । माननीय सदस्य ने जिन सदस्यों के नाम पढ़े हैं । उनकी अनुमति नहीं ली है कि वे इस समिति में काम करने के लिये तैयार हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह बिल्कुल ठीक है । संयुक्त समिति में सदस्यों के नाम सम्मिलित करने से पूर्व उनकी सम्मति अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिये । जिन सदस्यों की अनुमति प्राप्त नहीं हुई है उनके नाम समिति में सम्मिलित नहीं किये जा सकते । माननीय मंत्री महोदय ने जो आपत्ति उठाई है वह ठीक है ।

†**सरदार अ० सिं० सहगल** : सरदार इकबाल सिंह, ज्ञानी गुरुमुख सिंह मुसाफिर, श्री अजित सिंह सरहदी, श्री अजित सिंह और श्री दलजीत सिंह ने अपनी सहमती दे दी है । अन्य सदस्यों से भी जिन से मैंने सलाह ली है उन्होंने अपनी सहमति दे दी है । यदि आप विधेयक पर, राज्यों से जो राय प्राप्त हुई हैं उन्हें देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि उन्होंने इसका पुरजोर समर्थन किया है । निस्संदेह कुछ खंडों के बारे में मतभेद भी प्रगट किया है और उन्होंने उन्हें बदलने की राय दी है । उत्तर प्रदेश ने भी इस विधेयक पर कई परिवर्तनों का सुझाव दिया है । अतः जब तक यह विधेयक संयुक्त समिति को नहीं सौंपा जायेगा किसी नतीजे पर पहुंचना बहुत कठिन होगा । अतः मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक संयुक्त समिति के सुपुर्द किया जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मेरे विचार से सरदार सहगल जो कुछ कर रहे हैं वह संसद् के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा ।

(श्री हेडा पीठासीन हुए)

विधेयक के उद्देश्य और कारणों के विवरण में कहा गया है कि सिख गुरुद्वारे भारत के समस्त भागों में फैले हुए हैं तथा समस्त सिख समुदाय की उनके प्रति अनन्य श्रद्धा है । मेरे विचार से यह कहना गलत है क्योंकि उन गुरुद्वारों के प्रति न केवल सिख समुदाय की अपितु हिन्दुओं की भी श्रद्धा है ।

इस संबंध में पंजाब में एक विधेयक है, तथापि श्री सहगल का उद्देश्य यह है कि समस्त देश के लिये एक रूप विधेयक हो । मेरे विचार से इससे गुरुद्वारों के प्रशासन में सुविधा होगी ।

इस विधेयक का भारत के सभी भागों में स्वागत हुआ है । वस्तुतः उन्होंने इस संबंध में समस्त भारत में दिलचस्पी पैदा कर दी है । हमारे पास कई सुझाव प्राप्त हुए हैं । संयुक्त समिति इन सुझावों पर विचार करेगी ।

वस्तुतः इस समय समस्या यह है कि हमें इन स्थानों का उपयोग केवल पूजा उपासना के लिये करना चाहिये अन्य बातों के लिये नहीं तथा इस बात का यथाशक्ति प्रयत्न करना चाहिये कि उन की पवित्रता बनी रहे। विधेयक की शब्दावली बड़ी सावधानी से तैयार की गई है । वस्तुतः इस विधेयक से समस्त आवश्यकतायें पूरी हो जाती हैं । अतः मैं इसका समर्थन करता हूं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** (सहसराम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पर चर्चा अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाये"

†**सरदार अ० सिंह० सहगल** : परिस्थितियों को देखते हुए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पर चर्चा अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खाद्यान्नों के मूल्य निर्धारण विधेयक

†**श्री झूलन सिंह** (सीवन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि खाद्यान्नों के मूल्य निर्धारण करने की व्यवस्था करने वाले धिधेयक पर विचार किया जाये"

विधेयक के दो उद्देश्य हैं । पहिला उद्देश्य यह है कि देश में खाद्य उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाये और दूसरा उद्देश्य यह है कि उत्पादकों की शोषण व्यापारियों से रक्षा की जाये ।

यदि हम १९५० से आज तक के आंकड़ों का अध्ययन करें तो यह ज्ञात होगा कि उत्पादन तथा आयात के आंकड़े अस्थिर रहे हैं और जितनी ही कीमतों में वृद्धि होती गई है उतना ही उत्पादन भी बढ़ रहा है। इससे स्पष्ट है कि देश का खाद्य उत्पादन देश की कीमतों से घनिष्ट रूप से सम्बन्धित है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री झूलन सिंह]

आवश्यकता यह है कि देश में एक स्थिर खाद्य गति पर अमल किया जाये। गन्ने के संबंध में हमें यह अनुभव हुआ कि गन्ने की न्यूनतम विहित कीमतों के स्थिर हो जाने से गन्ने का उत्पादन बढ़ा है।

आंकड़ों से यह भी सिद्ध होता है कि भारत में खाये जाने वाले खाद्यान्न की कैलोरी मात्रा भी अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है इसका प्रभाव स्पष्ट ही जनता के स्वास्थ्य में पड़ता है।

देश में खाद्य उत्पादन अस्थिर है, कीमतें भी अस्थिर रहती हैं जिससे उत्पादक में विश्वास पैदा नहीं हो सकता है इतना ही नहीं उसकी कैलोरिक मात्रा भी अन्य देशों की तुलना में कहीं कम है।

विदेशों से आयात किये जाने वाले खाद्यान्नों में राज्य सहायता के रूप में एक बड़ी रकम दी जाती है। अतः मेरी योजना यह है कि देश के संसाधनों का अपव्यय न किया जाये तथा उत्पादकों को प्रोत्साहन दिया जाये। यदि खाद्यानों के उत्पादकों के लिये न्यूनतम कीमतें निश्चित कर दी जायें तो इस का यह फल होगा कि व्यापारी या दलाल किसानों का शोषण नहीं कर पायेंगे। वस्तुत : देश की स्वाधीनता के पश्चात से किसानों की आर्थिक दशा में कोई सुधार नहीं हुआ है। अत : देश के प्रशासकों का यह कर्त्तव्य है कि खाद्यान्नों के उत्पादकों को संविहित सुरक्षा प्रदान की जाये।

खाद्यान्न जांच समिति, जिससे भारत सरकार ने १९५७–५८ में नियुक्त किया था उसने पृष्ठ ७१६ पर एक महत्वपूर्ण सिफारिश की है जिसका मैं उद्धरण देना चाहता हूं। इसका सारांश इस प्रकार है : 'कि खाद्यान्न मूल्य स्थिर संगठन उचित कीमतों पर खाद्यान्न खरीदे तथा उत्पादकों में विश्वास बनाये रखने के उद्देश्य से कीमतें स्थिर रखी जायें।'

यह विधेयक केवल उन लोगों से संबंध रखता है जो अपने उपयोग से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन कर सकते हैं। देश की वर्तमान स्थिति में उन्हें प्रोत्साहन देना बहुत आवश्यक है यदि वे अनकी उपेक्षा करेंगे तो देश के लिये ऐसा करना घातक होगा। निसंदेह सरकार ने खाद्यान्नों के उत्पादनों को प्रोत्साहित करने के भरसक प्रयत्न किये हैं। सिंचाई के साधनों, उर्वरकों तथा भूमि सुधारों से खाद्य उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है। तथापि हमारी जनसंख्या उससे भी तेजी से बढ़ती जा रही है और प्रतिवर्ष हमारी जनसंख्या में ५० लाख की वृद्धि होती है। इन बातों को देखते हुए हमें उत्पादक को प्रोत्साहन देना आवश्यक है।

इस विधेयक के द्वारा यह मांग की गई है कि खाद्यान्नों की उचित और लाभकारी कीमत निश्चित की जाये तथा कीमतें बोने के पहिले निश्चित की जायें।

विधेयक के उपबन्धों से ज्ञात होगा कि खाद्यान्नों के अधीन वे सभी अन्न आ जाते हैं जो कि जीवन धारण के लिये आवश्यक हैं। विधेयक में यह भी व्यवस्था की गई है कि न्यूनतम

निश्चित कीमतों से कम कीमत पर बेचने या खरीदने वाले व्यक्ति को दंड दिया जायेगा। यह दंड ६ महीने की कारावास की अवधि तक रखा गया है जिससे ऐसे लोगों को प्रोत्साहन न मिले।

इन शब्दों के साथ मैं सभा से निवेदन करता हूं कि वे विधेयक का समर्थन करें।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, श्री झूलन सिंह का बिल तृतीय पंचवर्षीय योजना के एक मुख्य पहलू, अर्थात मूल्यों के निर्धारण के सम्बन्ध में एक विशेष प्रकाश डालता है और इस लिए यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है।

अफसोस की बात यह है कि भारत सरकार की तरफ से बार बार यह ऐलान किया गया कि वह किसानों के उत्पादन का मूल्य निर्धारित करने के लिये किसी कमेटी के निर्माण पर विचार कर रही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना जब वह बनने के स्टेज में थी तब इस तरह की घोषणा भारत सरकार की तरफ से की गयी थी। खाद्य मंत्री श्री स० का० पाटिल की तरफ से ऐसी घोषणा हुई थी। हालत यह है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना प्रकाशित हो गयी है और उस पर के ड्राफ्ट प्लान पर एक दफा पार्लियामेंट में बहस हो चुकी है और अभी तृतीय पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट को हाउस में पेश होने में दो, तीन दिन बाकी हैं और दूसरी दफा फिर उस पर यहां बहस की जायेगी लेकिन अभी तक सरकार इस विषय में कोई निश्चय नहीं कर सकी है। यह बड़े दुख की बात है कि जो लोग हिन्दुस्तान की आबादी का सत्तर फीसदी भाग हैं, उन के उत्पादन का मूल्य निर्धारित करने के संबंध में सरकार की कोई नीति नहीं है। उन लोगों को अपने भाग्य पर छोड़ दिया जाता है। उन की पैदावार -- गेहुं, बाजरा, जौ, चावल आदि ---जिस भाव पर भी बिके सरकार को उस से कोई संबंध नहीं है। इस का नतीजा यह है कि किसान जब कभी अपने परिश्रम से अच्छी फसल पैदा करता है, तो उस को अपने श्रम का उचित मूल्य नहीं मिलता है।

इसी के साथ साथ एक दूसरी समस्या है, जिस पर इस बिल में कोई ध्यान नहीं दिया गया है और मैं चाहता हूं कि सरकार का ध्यान उधर जाये। जब भी किसान की फसल उस के घर में जाती है, तो फसल के दाम कम हो जाते हैं और जब वह किसान के यहां से बीच के लोगों के, व्यापारियों के हाथ में चली जाती है, तो उस के दाम बढ़ने लगते हैं। नतीजा यह है कि एक तरफ़ तो अन्न के उत्पादक की लूट होती है, शोषण होता है और दूसरी तरफ़ अन्न के उपभोक्ताओं का---गांवों में रहने वाले २५, ३० सैकड़ा उन लोगों का, जिनके पास या तो ज़मीन नहीं है, या इतनी ज़मीन नहीं कि वे उचित मात्रा में अन्न पैदा कर सकें, और शहरों के १८ फीसदी उन लोगों का, जो खुद अन्न पैदा नहीं करते हैं और जो दूसरे पेशों में लगे हुए हैं -- शोषण होता है। अगर हम हिसाब लगायें, तो हिन्दुस्तान में जितना उत्पादन हो रहा है, ग़ल्ले का, उस में फ़सल और गैर फसल के दामों में--फ़सल के समय और फसल के बाद के दामों में---सिर्फ पांच रुपये का फर्क पड़ने पर, जैसा कि अक्सर पड़ जाया करता है, ४०० करोड़ रुपये सालाना की लूट किसान और उपभोक्ता की हो जाया करती है। यह एक ऐसी स्थिति है, जिस पर सरकार को गम्भीरतापूर्वक विचार करने की ज़रूरत है।

हम तेल, शक्कर और कपड़े आदि वस्तुओं की मूल्य-नीति पर विचार करते हैं। सरकार की तरफ से ऐसी कमेटियां बनी हुई हैं, जो यह तय करती हैं कि तेल, कपड़े, शक्कर, लोहे और कारखानों में बनी हुई दूसरी चीजों का मूल्य कब क्या हो। लेकिन यह अफसोस की बात है कि हिन्दुस्तान की

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब्रजराज सिंह]

सत्तर फीसदी आबादी जिस चीज को पैदा करती हैं, उस के दाम निर्धारित करने की ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है और कोई कमेटी बनाने की तरफ कोई सक्रिय कार्यवाही नहीं हुई है। मुझे खुशी है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि किसान की पैदावार के दाम निर्धारित किये जाने चाहिएं।

यह देख कर अफसोस होता है कि जब पिछले दिनों खाद्य मंत्री महोदय की तरफ से यह बात कही गई कि वह इस तरह की एक कमेटी बनाने पर विचार कर रहे हैं, जिस में किसानों और सरकार के प्रतिनिधि और कुछ विशेषज्ञ होंगे और जो किसान की पैदावार के दाम निर्धारित करेगी, तो प्लानिंग कमीशन की तरफ से तुरन्त यह आपत्ति की गयी कि इस तरह की कमेटी हमेशा एसी बात कहेगी, जिस से किसानों की पैदावार के दाम बढ़ते रहेंगे और अगर उस के दाम बढ़ते हैं, तो फिर योजना कभी भी सफल नहीं हो सकती है। यह कैसी अजीब दलील है! अप्रत्यक्ष रूप से इस का तात्पर्य यह है कि प्लानिंग कमीशन का थिंकिंग उस का विचार यह है कि अगर हिन्दुस्तान की योजना सफल करनी है, तो यहां के किसानों को अपनी पैदावार के उचित दाम नहीं मिलने चाहिएं और अगर उनको उचित दाम मिलेंगे, तो योजना सफल नहीं होगी, क्यों कि उस से मुद्रा-स्फीति (इन्फलेशन) बढ़ेगी, चीजों के दाम तेज़ हो जायेंगे और इस प्रकार योजना असफल हो जायेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत ही गलत नीति है और इसका अर्थ अन्न के उत्पादकों को, जो कि देश की आबादी का सत्तर फ़ीसदी हैं, उन के श्रम के उचित मूल्य से वंचित करना है -- उनको अपने इस अधिकार से वंचित करना है कि उन को अपने श्रम का उचित और पूरा फल मिले।

हम चाहते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में उचित मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन हो, अन्न के सम्बन्ध में देश आत्म-निर्भर हो, विदेशों से हम जो अन्न मंगा रहे हैं, वह न मंगाया जाय, इतना अन्न देश में पैदा हो। लेकिन प्रश्न यह है कि देश में अन्न पैदा करने के कौनसे साधन अपनाये जा रहे हैं। क्या किसानों में खाद के वितरण से ही देश में अन्न का उत्पादन बढ़ जायेगा? क्या अंग्रेजी पत्रों में इस आशय के विज्ञापन छापने से कि किसान ज्यादा अन्न पैदा करें, हम अन्न के बारे में आत्म-निर्भर हो जायेंगे? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह तरीका नहीं है अधिक उत्पादन करने का। अगर अधिक उत्पादन करना है, तो किसानों को कुछ सुविधायें देनी पड़ेंगी, उन को प्रोत्साहन देना पड़ेगा, उनको यह बताना पड़ेगा कि उन को अपने श्रम का उचित फल मिलेगा, अपनी पैदावार का उचित मूल्य मिलेगा।

मान लीजिये कि इस साल गेहूं बीस रुपये मन बिक रहा है--वास्तव में वह १६, १७ रुपये मन आज-कल बिक रहा है--और किसान ने अगले साल आज से ड्योढ़ी फ़सल पैदा की--यदि आज वह १०० मन गेहूं पैदा कर रहा है तो अगले साल १५० मन पैदा की और उस के बाद जब वह बाजार में जाता है तो गेहूं की कीमत १२, १३ रुपये मन रह जाती है तो इस का मतलब यह है कि उस को अपने श्रम का फल नहीं मिला और बीच के लोग ही उस को ले गये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है और सरकार को इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि क्या अब वह समय नहीं आ गया है कि यदि हम पंच-वर्षीय योजना को सफल बनाना चाहते हैं और देश को खाद्यान्न के विषय में आत्म-निर्भर बनाना चाहते हैं तो ऐसी नीति निर्धारित की जाये, जिस से खाद्यान्न के उत्पादक को अपने श्रम का उचित फल मिल सके। जब तक उस को उचित मूल्य नहीं मिलेगा, जब तक उस को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा कि वह अधिक अन्न उपजाये, जब तक उस को इस बात का विश्वास नहीं दिलाया जायेगा कि अधिक अन्न उपजाने का नतीजा यह नहीं होगा कि ग़ल्ले के दाम गिर जायेंगे और उस को हानि उठानी पड़ेगी तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती है। अगर कारखानों में बनी चीज़ों के

दाम न गिरें, लोहे सीमेंट, कपड़े के दाम कम न हों उत्पादन बढ़ जाने के बावजूद चीनी के दाम न गिरें, किसान की ज़रूरतों को पूरा करने की चीज़ों के दाम कम न हों लेकिन खाद्यान्नों के दाम गिर जायें, तो नतीजा यह होगा कि उस के श्रम का उचित फल उस को नहीं मिलेगा। ज़रूरत इस बात की है कि सरकार इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे।

जहां तक मूल्यों के निर्धारण का सम्बन्ध है, यह कह देना ही--जैसा कि श्री झूलन सिंह ने कहा है--काफ़ी नहीं है कि फ़सल से काफ़ी समय पहले दाम निश्चित कर दिये जायें। मूल्य निर्धारण के सिद्धान्त को तय करने का काम सरकार पर छोड़ देना ठीक नहीं है। प्रश्न यह है कि किस सिद्धान्त पर दाम निश्चित किये जायें। सिद्धान्त यह होना चाहिए कि जो किसन खेती कर रहा है, उस को हम उचित मात्रा में इतना पैसा दे सकें कि जिस से वह अपनी जिन्दगी की गुज़र बसर कर सके। केन्द्रीय सरकार के छोटे से छोटे कर्मचारी को जितना माहवार मिलता है, यदि उतना ही किसान को देने की व्यवस्था हो सके, तब जा कर किसान की पैदावार के उचित मुल्य निर्धारित करनें की बात उठेगी। अभी उरकार की यह विचार-धारा चल रही है कि खेती के उत्पादन के दाम बढ़ न पायें, इस लिये हम को सीलिंग लगानी चाहिए, सीमा बांधनी चाहिए। मैं समझता हूं कि यह उचित बात नहीं होगी। इस समस्या के समाधान के लिये एक कमेटी नियुक्त करनी पड़ेंगी और उस में किसानों के प्रतिनिधि रहें। जब तक उस में किसानों के प्रतिनिधि नहीं रहेंगे और उस में इस बात की जांच-पड़ताल नहीं की जायेगी कि फ़सल शुरू होने के समय से लेकर खत्म होने के समय तक, आषाढ़ से लेकर वैशाख तक, एक मन गेहूं पैदा करने में कितना खर्च करना पड़ता है, तब तक किसानों के साथ न्याय नहीं हो सकेगा। मैं सरकार के प्रतिनिधियों और प्रवक्ताओं से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन में से कोई भी ऐसा है, जो यह बता सके कि एक मन गेहूं, या चावल, या बाजरा, या ज्वार पैदा करने में किसानों को कितना खर्च करना पड़ता है। कोई नहीं बता सकता है। इस का कोई हिसाब-किताब नहीं है। हमारे किसान पिछड़े हुए हैं और हिसाब रखना नहीं जानते हैं। उन का ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम आठ घंटे काम करेंगे--वे सोलह घंटे काम करते हैं। इतना काम करने के बाद भी अगर उन को रुपया, सवा रुपया भी नहीं मिलेगा, जब कि छोटे से छोटे सरकारी कर्मचारी को तीन रुपया हम देना चाहते हैं, तो उन के साथ अन्याय होगा। इस सूरत में हम योजना को सफल बना सकेंगे, यह मौलिक सिद्धान्तों के खिसाफ होगा।

किसान की पैदावार के दाम निर्धारित करने के लिये सैद्धान्तिक रूप से यह तय करना चाहिए कि सरकार की तरफ़ से एक कमेटी बनाई जाये, जो इन सब बातों की जांच-पड़ताल करे और अपनी रिपोर्ट दें। हम देखते हैं कि टैरिफ़ कमीशन कारखानों की बनी हुई चीज़ों के बारे में लगातार विचार करता रहता है कि किस चीज़ का कब क्या मूल्य हो। आज से दस साल पहले सीमेंट की बोरी तीन रुपये में आती थी, जब कि आज सरकार की ओर से निर्धारित की हुई कीमत सात रुपये. बोरी है, जिस का अर्थ है कि इन दस सालों में उस का मूल्य चार रुपये बढ़ गया। जिस तरह टैरिफ़ कमीशन अन्य वस्तुओं के मूल्य तय करता है, उसी तरह सरकार किसान की पैदावार के दाम तय करने के लिये इस बात की जांच-पड़ताल क्यों नहीं कराती है कि एक साल में एक मन गेहूं या चावल, या दूसरी कोई चीज़ पैदा करने में कितना खर्च अरना पड़ता है। जब तक इस तरह का उसूल निर्धारित नहीं किया जाता है, सिद्धान्त निर्धारित नहीं किया जाता है तब तक किसान को उचित मूल्य मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। जरूरत इस बात की है कि किसान को उचित मूल्य उसकी फसल का मिले। असल चीज़ यह है कि कोई चाहे कुछ भी काम करता हो नौकरी करता हो, व्यापार करता हो, खेती करता हो, उन सब का उद्देश्य यह है कि वे अपने जीवन के खर्चे जुटा सकें। जब तक आप उनको जीवन का खर्चा नहीं दिला सकते हैं और इसके लिए कुछ सिद्धान्त तय नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता है। दूसरों के लिए आपने यह सिद्धान्त

[श्री ब्रजराज सिंह]

तय कर रखा है कि वे प्राविडेंट फंड में पैसा कटायें, कुछ बचत करें ऐसे वक्त के लिए जब कि उन पर कोई मुसीबत आ पड़े और वह उनके काम आ सके, तो किसान के लिए भी कोई ऐसी ही व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है। बचाने की बात कही जाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कभी इस बात को सोचा जाता है कि आजाद हुए हमको चौदह साल हो गाए हैं और इन चौदह सालों में किसानों के कितने बेटे बड़े बड़े पदों पर पहुंच पाए हैं, कितने बेटों को शिक्षा मिल पाई है? अगर आपने इसके बारे में कभी नहीं सोचा है और न ही इसक पता लगाने की कोशिश की है तो क्यों आप इसको अब नहीं करते हैं।

इन सारी समस्याओं पर विचार आप करें तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि किसान की स्थिति ऐसी रही है कि वह अपने बच्चों को पढ़ाने की स्थिति में नहीं रहा है, अच्छी जिन्दगी बसर करने की स्थिति में नहीं रहा है, संकट के समय के लिए कुछ बचा कर रखने की स्थिति में नहीं रहा है। आखिर इस सब की क्या वजह है? किसान पैदा करता है, सरकारी आंकड़े बताते हैं कि उत्पादन देश में बढ़ता जा रहा है, अन्न की मात्रा में निरंतर वृद्धि होती जा रही है लेकिन इस के बवजूद भी किसान की हालत अच्छी नहीं है। इसकी वजह जब आप मालूम करने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका एक मात्र कारण यह है कि किसान के उत्पादन का सरकार की तरफ से कोई ऐसा मूल्य निर्धारित करने के सिद्धान्त तय नहीं है कि उसको उत्पादन व्यय से कम न मिले। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को विश्वास है कि किसान की पैदावार के जो दाम उसको इस वक्त मिलते हैं, वे उसके उत्पादन व्यय से कहीं कम तो नहीं हैं? इसको कोई भी नहीं बता सकता है कि ये दाम उत्पादन व्यय से कम हैं या अधिक हैं। सरकार को इस बात के लिए तैयार होना चाहिये और इसकी घोषणा करनी चहिये कि वह एक कमेटी बनाने के लिए तैयार है किसान द्वारा उत्पादित चीज़ों के दाम तय करने के लिए और यह कमेटी निर्धारित करेगी कि किस वक्त किसान की किस पैदावार का उत्पादन मूल्य क्या है और उत्पादन मूल्य पर वह क्या मुनाफा उसको देना चाहती है और उसके बाद इसी हिसाब से उसके मूल्य निर्धारित वह करे।

यह तो किसान की बात हुई। अब कहा जा सकता है कि किसान द्वारा उत्पादित वस्तु की कीमत निर्धारित करने की बात जब हम करते हैं तो उसी के साथ साथ उन लोगों का भी हमें खयाल रखना होगा जो कि खाद्यान्न का उपभोग करते हैं, इसको खाते हैं। मैं इसको मानता हूं। मैं इससे इन्कार नहीं करता हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि पचास प्रतिशत देश की जनता ऐसी है जो कि खाद्यान को खयीद कर खाती है, उसका उपभोग करती है। पचास प्रतिशत जनता ऐयी है जो खुद पैदा नहीं करती है। मैंने अभी कहा कि २५–३० प्रतिशत इसमें से गांवों में रहते हैं और १८–२० प्रतिशत शहरों में रहते हैं और ये खुद पैदा नहीं करते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से यह भी निश्चित हो जाए कि एक फसल पर अगर गेहू १६ रुपये मन बिकता है तो दूसरी फसल जब तक नहीं आ जाती है तब तक ढाई रुपये मन से ज्यादा किसी हालत में भी कीमत में वृद्धि नहीं हो सकेगी।

अफसोस की बात यह है कि राज्य व्यापार योजना या स्टेट ट्रेडिंग की जब बात की जाती है तो उसमें भी मुनाफे की मात्रा काफी रहती है। यह बात गलत है फिर चाहे वह आयल का मामला हो, तेल का मामला हो, या चीनी का मामला हो या कोई और मामला हो। हमें देखना होगा कि सरकार खुद मुनाफा न करे। जब तक हम खुद मुनाफे की मात्रा कम नहीं करेंगे तब तक जो उपभोक्ता लोग हैं जो पचास प्रतिशत के करीब हैं, उनके दिमागों में यह भावना बनी रहेगी कि किसान को बढ़े हुए मूल्य मिल रहे हैं, किसान हमें कम दाम में नहीं दे रहे हैं और हमारा शोषण हो रहा है।

इस वास्ते मैं दो बातें कहना चाहता हूं। जहां पर किसान की पैदावार के दाम निर्धारित करने की जरूरत का सवाल है, वह जरूरी है लेकिन उसी के साथ साथ यह भी जरूरी है कि किसी किसान को किसी फसल पर जो मूल्य दिया जा रहा है, उसके बाद से दूसरी फसल आने तक एक निश्चित मात्रा तय कर दी जाए और वह मात्रा छः नए पैसे सेर से ज्यादा किसी सूरत में न हो और कह दिया जाए कि इससे अधिक भाव नहीं बढ़ेंगे। इसी में बीच के आदमी का मुनाफा शामिल होगा, सरकार के टैक्स शामिल होंगे, किसी वस्तु के एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने का जो खर्चा है वह शामिल होगा। ऐसा करके आप उपभोक्ता को भी राहत दे सकेंगे और उत्पादक को भी राहत पहुंचा सकेंगे। अब समय है कि सरकार इस नीति पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे और श्री झूलन सिंह के बिल का जो उद्देश्य है, उसको स्वीकार करे।

†**डा० मां० श्री० अणे** (नागपुर) : इस विधेयक से खाद्यान्नों के मूल्य निर्धारण का दायित्व सरकार पर आ जायेगा। वस्तुतः यह बहुत जटिल प्रश्न है क्योंकि खाद्यान्नों की कीमतें अन्य अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों से घनिष्ट रूप से संबंधित हैं अतः राज्य सरकारें केवल खाद्यान्नों की कीमतों का पृथक से निर्धारण नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में कीमतें भिन्न भिन्न हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार अधिक दिलचस्पी नहीं ले रही है। यह बात बहुत कम सदस्यों की उपस्थिति से भी स्पष्ट है। विधेयक में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है, वस्तुतः समस्त पंचवर्षीय योजनाओं का भविष्य इस समस्या के हल पर आधारित है। मेरे विचार से कृषकों को ऐसा प्रोत्साहन देना यथार्थ में उपयोगी और आवश्यक है इससे वह देश की आर्थिक उन्नति में अपना योग दान दे सकेगा।

श्री विश्वनाथ राय (सलेमपुर) : माननीय सभापति जी, सदन के सामने प्रस्तुत बिल का ध्येय सरकार का ध्यान इस बात की ओर फिर दिलाना है कि भारत में जो ७१ प्रतिशत कृषक हैं, उनके स्वार्थ की रक्षा ही न हो बल्कि जो ग्रामीण अर्थ व्यवस्था है उस को भी आत्मनिर्भर बनाया जाय। अभी सन् १९६१ की जनगणना ने सिद्ध कर दिया है कि हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में भी भारत की ७१ प्रतिशत आबादी उन लोगों की है जो खेतों में काम करके अन्न का उत्पादन करते हैं, और ९ प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो कृषि से सम्बन्धित अन्य कामों में लगे हुए हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो इस बिल का उद्देश्य है, जिस पर सरकार ने ध्यान देने का समय समय पर वादा भी किया है, उस पर अब तक उसने कोई ध्यान नहीं दिया है। तृतीय पंचवर्षीय योजना भी सामने आ गई है, लेकिन उसमें इस बात के लिये कोई निश्चय नहीं किया गया है कि जो भारत के ८० प्रतिशत निवासी हैं, उनसे सम्बन्धित जो व्यवसाय है, जो उनके जीवन निर्वाह का साधन है, उसे न केवल आत्मनिर्भर बनाया जाय बल्कि उसका संरक्षण भी हो।

जैसा हमारे विरोधी दल के एक माननीय सदस्य ने अभी कहा हमारे देश के ५० प्रतिशत आदमी खाद्यान्न खरीद कर खाते हैं, यह सही है, लेकिन साथ ही साथ यह भी सही है कि जो लोग कृषि के काम में लगे हुए हैं वे स्वयं उत्पादन भी करते हैं और कभी कभी खरीद कर भी खाते हैं। इस प्रकार भारत की आबादी का केवल २० प्रतिशत भाग ऐसा है जो केवल दूसरों से अन्न खरीद कर अपना काम चलाता है। आज केवल गन्ने के दाम निश्चित हैं। ऐसी हालत में जब कि जीवन की आवश्यकताओं की अन्य वस्तुओं के दाम, यहां तक कि दियासलाई—मिट्टी के तेल के भी दाम निश्चित हैं, बाकी सारी चीजों के दाम निर्भर करते हैं अधिक या कम उत्पादन होने पर, तब यह आशा करना कि हिन्दुस्तान को अन्न के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर बनाया जाय, एक आश्चर्य की ही बात हो जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह सही है कि हमारा अन्न उत्पादन पिछले दस वर्षों में, अर्थात् दो पंचवर्षीय योजनाओं में ४० प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन जिस प्रकार से हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, यानी ५० लाख से अधिक आदमी हर साल बढ़ रहे हैं। पिछले दस सालों में ७ करोड़ आदमी बढ़ गये, उस हिसाब से हमारा उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। इसके कारण अनेक हो सकते हैं। कृषि के लिये जरूरी चीजों के भावों का बढ़ना भी हो सकता है और अन्य कारण भी हो सकते हैं किन्तु एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि कृषक को विश्वास नहीं है कि जितना श्रम वह कर रहा है, जितना उत्पादन वह कर रहा है उसका उचित मूल्य उसे मिलेगा या नहीं। मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि आज से लगभग ३० साल पहले, लगभग सन् १९२९-३० में चीनी के सम्बन्ध में भी ऐसी ही समस्या थी जैसी इस समय अन्न के बारे में है। उस समय की सरकार ने यह नीति चलाई कि जो भी गन्ने का उत्पादन करेगा उसका वह मूल्य निर्धारित करेगी। उसके पहले एक साल तो ऐसा हुआ था कि गन्ना २ आ० मन बिक गया था, लेकिन जब से सरकार ने यह निश्चय किया कि वह कम से कम दर निश्चित करेगी, उसके बाद से गन्ने का उत्पादन बढ़ा और आज जो हिन्दुस्तान चीनी के बारे में आत्म-निर्भर है, वह आपके सामने है। उसी तरह से यदि किसान को विश्वास हो जाय कि उसका पैदा किया हुआ खाद्यान्न उचित मूल्य पर बिकेगा, तो हमारा देश इसके विषय में भी वैसे ही आत्म-निर्भर बन सकता है, जैसे गन्ने या चीनी के सम्बन्ध में हुआ है। सरकार इस बात को बार बार टालती जा रही है और कहती है कि विचार हो रहा है और जल्दी निर्णय किया जाएगा, लेकिन बरसों इस प्रकार से बीत गये, और तीसरी योजना काल में भी कोई सुझाव इस तरह का मालूम नहीं होता है जिससे लोगों को विश्वास हो कि इन ८० प्रतिशत लोगों को उनके परिश्रम का उचित मूल्य मिलेगा। ऐसी हालत में क्या सरकार यह आशा कर सकती है कि उन किसानों को अधिक अन्न उपजाने के लिय प्रोत्साहन मिल सकेगा या देश खाद्यान्न के बारे में आत्म निर्भर बन सकेगा ? मेरा खयाल है कि वह देश को आत्मनिर्भर नहीं बना सकेगी।

सरकार का यह सोचना कि अन्न के मूल्य निश्चित करने से अन्य उद्योग धन्धों पर असर पड़ेगा, अगर ऐसा वह सोचती है, भ्रम होगा। हो सकता है कि शुरू में कुछ असर पड़े, लोग एक अन्न को छोड़ कर दूसरे अन्न की तरफ ध्यान दें, या जो लोग शहरों में गांवों से आ रहे हैं, उसमें कुछ फर्क पड़े, लेकिन यह निश्चित है कि अगर लोगों में आत्मविश्वास हो तो यह कठिनाइयां दूर हो जायेंगी और अन्न का उत्पादन बढ़ सकेगा। जो हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप विश्वास रखें इस बात का कि जिस प्रकार से हमारी अर्थ-व्यवस्था आगे बढ़ रही है उसी प्रकार से वह बढ़ती जायेगी, उस की उन्नति होगी, और खाद्यान्न का मूल्य निर्धारित होने पर कोई बुरा प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा।

आज यहां पर तुलना का समय तो नहीं है, लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जब आप कपड़े की दर निर्धारित कर सकते हैं, उस पर मोहर लगा सकते हैं तो सारे देश में जो अत्यन्त आवश्यक वस्तु है, अर्थात् गेहूं, धान आदि, उन के बारे में क्यों कुछ नहीं कर सकते ? मैं समझता हूं कि आप कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। किन्तु कुछ ऐसा मालूम होता है कि सरकार उद्योग धन्धों को देश में बढ़ाने के विचार से, इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के विचार से इस ८० प्रतिशत वर्ग की उपेक्षा कर रही है, जो हमारे उत्पादन बढ़ने के आधार हैं, इस समाज के जो सब से बड़े अंग हैं। यह ठीक है कि स्टील या कपड़ा उद्योग के सम्बन्ध में हम बहुत आगे बढ़ गये हैं, लेकिन जो हमारे समाज का आधार है, ८० प्रतिशत जो किसान हैं, उनकी उपेक्षा करके हम देश में सुख और समृद्धि नहीं ला रहे हैं।

बहुत से सदस्यों ने इस बात को यहां पर कई बार दोहराया है, यह दोहराना सही है कि किसान जो समाज का बड़ा अंग है, दूसरे २० प्रतिशत लोगों के मुकाबले कितना गिरा हुआ है । वह आज अपनी आवश्यकता की चीजों का भी प्रबन्ध नहीं कर पाता है, अपने बच्चों की शिक्षा और दवा आदि का प्रबन्ध भी नहीं कर पाता । क्या सरकार को इस बात की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिये कि जो ये ८० प्रतिशत लोग हैं उनकी हालत वास्तव में बाकी २० प्रतिशत लोगों से, जिनको उपभोक्ता कहा जाता है, अच्छी होती जाय ? क्या ८० प्रतिशत लोगों का शोषण होता रहे ? क्या वे अपने जीवन निर्वाह के योग्य न बन सकें और क्या अपनी आवश्यकताओं के संबंध में वे उतने योग्य न बन सकें जितने कि २० प्रतिशत लोग हैं ? यह हमारी सरकार के लिये शोभा की बात नहीं है । यह सही है कि सरकार ने उन लोगों की ओर देखा है, प्रयास भी करती है, लेकिन जो हमारी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था है उसको सुधारने के लिये सरकार क्या करेगी, इस ओर मैं उसका ध्यान खींचना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इसका स्पष्टीकरण करे । क्या हम आशा करें कि निकट भविष्य में सरकार इस बात के लिये प्रयास करेगी जिससे किसानों को उचित मूल्य उसके उत्पादन का मिले और हमारे देश की जो अर्थ-व्यवस्था है उस में उनका संरक्षण हो सके । उनकी स्थिति में सुधार हो सके, केवल पेट पालने के लिये ही नहीं बल्कि जो अन्य आवश्यक चीजें हैं उन के जीवन की, शिक्षा है, सांस्कृतिक और भावनात्मक उत्थान की बातें हैं दवादारू है उनके सम्बन्ध में उनको पूरी सुविधा मिले । यह कार्य आपको अवश्य करना होगा । मैं तो आपसे इतना ही इस समय कह सकता हूं कि जो यह बिल है उसकी शब्दावली को आप भले ही न मानें, लेकिन उसके पीछे जो मूल तत्व है उस को कार्यान्वित करने का प्रयास करना होगा ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन तो करता ही हूं, सरकार को भी यह बात बतला सकता हूं कि जिस तरह से आज चीनी के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान आत्मनिर्भर है, जिस तरह से गन्ने का मूल्य निर्धारित कर के किसानों को प्रोत्साहन दिया गया है उसी तरह से जो खाद्यान्न हैं उन के संबंध में भी मूल्य निर्धारण की नीति की घोषणा कर के उन को प्रोत्साहन दिया जाय और देश को अन्न के मामले मे आत्मनिर्भर बनाया जाय ।

पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी (सागर) : माननीय सभापति महोदय, भाई झूलन सिंह जी ने जो यह बिल सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया उस के लिये मैं उन को बधाई दता हूं । उन्हों ने हमारा ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ आकर्षित किया है ।

अनक बार इस विषय में इस सदन के सामने चर्चा आयी । मेहता कमेटी की रिपोर्ट का मुझे स्मरण है । इस सदन के सामने यह बात रखी गई कि हम को किसान की हालत सुधारनी है, हम को यह प्रयत्न करना होगा कि जो आदमी इस देश की बहबूदी के लिये, इस देश के समाज का पालन करने के लिये खेत में अपना खून पसीना बहाता है, मेहनत मशक्कत करता है उस को उस की मेहनत का सिला दिया जाय । मैं देखता हूं कि यह चर्चा बार बार इस सदन के सामने आई । आश्वासन भी दिये गये, लेकिन इस दिशा में जितनी तेजी से आवश्यक कदम उठाये जाने चाहियें वे नहीं उठाये गये, उस में विलम्ब हो रहा है ।

हम जब किसान से उत्पादन बढ़ाने के लिये कहते हैं तो किसान हम से पूछता है कि मैं उत्पादन किस बात के लिये बढ़ाऊं, मुझ को उत्पादन बढ़ाने से क्या सिला मिलने वाला है । वे कहते हैं कि अगर हम बाजार को गल्ले से पाट दें हमारी क्या हालत होने वाली है । गये वर्ष हमारे इलाके में किसानों ने अच्छा पैदा किया, वे इस दिशा में जुटे हैं । हम लोग भी उन को प्रोत्साहित करते हैं । लेकिन नतीजा क्या है । गल्ले से बाजार पट जाता है । वहां पर सरकार थोड़ा बहुत गल्ला खरीदने की कोशिश करती है । लेकिन बहुत कम गल्ला निर्धारित मूल्य पर खरीदा जाता है और अधिकांश बाजार में मिट्टी के

मोल जाता है और किसान देखता है कि उस की मेहनत के बदले में उस के पल्ले बहुत कम पड़ा है। और वह महसूस करता है कि उस को जो शासन और समाज की ओर से प्रापर इंसेंटिव मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है।

उद्योग धन्धों का हम विकास करना चाहते हैं और उन उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल्य हम निर्धारित करते हैं। हमें यह खयाल रहता है कि जो शक्कर का उत्पादक है उसे उचित मुनाफा मिलता है या नहीं, जो लोहे का उत्पादक है उसे अपने माल का उचित मूल्य मिल रहा है या नहीं, लेकिन लाख लाख कोटि कोटि किसानों को उन की मेहनत का सिला मिल रहा है कि नहीं इस की तरफ हमारा कितना ध्यान जाता है ? इस तरफ हमें विचार करना होगा। मैं महसूस करता हूं कि हमें और हमारे शासन को इस दिशा में सोचने की जरूरत है। अगर हम इस देश की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि इस देश में शान्ति और सुव्यवस्था कायम रहे, तो यह जरूरी है कि कोटि कोटि आदमी जिस धन्धे में लगे हुए हैं उस धन्धे की तरक्की की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिये। जिस धन्धे में देश के बहुसंख्यक लोग लगे हुए हैं उस को ज्यादा मुनाफा वाला बनाने की हम को व्यवस्था करनी होगी। कृषि एक ऐसा धन्धा है कि जिस में इस देश का बहुसंख्यक समाज लगा हुआ है और इस देश की कोटि कोटि जनता की भूख तृप्त करने के लिये यह जरूरी भी है कि इस धन्धे में देश का बहुसंख्यक समाज लगा रहे। लेकिन अगर उस समाज को उचित मुनाफा नहीं मिलेगा तो वह किस तरह से उस काम को करेगा। मैं तो देखता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आदमी उसी काम में लगते हैं जिस में उन को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होता है। जिस में कम मुनाफा होता है उस में आदमी नहीं लगना चाहता। मजबूरी से भले ही ऐसे काम में कुछ आदमी लगे रहें लेकिन साधारणतया उसी काम में आदमी लगना चाहता है जिस में उस को अधिक से अधिक मुनाफा हो। आज हम ने इस देश के किसान को ऐसी स्थिति में पटक रखा है कि उस को पर्याप्त मुनाफा नहीं होता। हम ने देखा है कि हमारे इलाके के नौजवान खेती की ओर आकर्षित नहीं होते। वे घर में बैठ कर बीड़ी बनाते हैं, वे छप्पर के नीचे बैठ कर उस काम में दिन भर मेहनत करते हैं। व जानते हैं कि उस काम से उन के स्वास्थ्य पर अच्छा असर नहीं पड़ता, लेकिन वे यह तो देखते हैं कि दिन भर मेहनत कर के एक दो रुपया पैदा कर लेते हैं। दूसरी ओर पांच या छः एकड़ की खेती में--और यही देश के किसान की औसत खेती की जमीन होती है--सारा परिवार लगा रहता है तब उसे वर्ष भर में चार पांच सौ रुपया मिलता है, और वह भी सिंचाई के इलाके में। हां अगर वह परिवार गन्ना या कोई ऐसी चीज उगाता है तो कुछ ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। लेकिन खेती में ज्यादा लाभ नहीं है क्योंकि हम ने चीजों का मूल्य निर्धारित कर के किसान को उचित मुनाफा दिलाने की दिशा में अब तक कदम नहीं उठाया है।

हम जब यह चाहते हैं कि खेती में तरक्की हो तो हमें एक और चीज की ओर ध्यान देना होगा। मैं चाहूंगा कि शासन इस दिशा में विचार करे कि जो विभिन्न खेतियां हैं उन में प्रति एकड़ कितना खर्च आता है। हमारे विभाग ऐसा सर्वे करें कि औसतन एक किसान को एक एकड़ काश्त करने के बाद कितना खर्चा आता है और हम यह भी विचार करें कि हमें उस आदमी को कितना मुनाफा देना चाहिये। अगर कोई आदमी किसी कल कारखाने में काम करता है तो उस को दिन में डेढ़ रुपया मिल जाता है। इसलिये हम को यह व्यवस्था करनी चाहिये कि किसान को भी वर्ष भर के बाद कम से कम उस के बराबर मुनाफा तो मिल सके। मैं तो समझता हूं कि देशवासियों को रोटी देना देश के लिये सब से हित का काम है। अच्छा तो यह हो कि उस रोटी देने वाले आदमी को हम अधिक से अधिक सहूलियत दें और उस को अधिक से अधिक मुनाफा देने की व्यवस्था की

जाय । यह मैं मानता हूं कि रोटी को दूसरी चीजों की तुलना में बहुत महंगा नहीं किया जा सकता । हमें यह खयाल रखना होगा कि अन्न का दाम इतना न बढ़ जाय कि समाज की पहुंच के बाहर हो जाय, लेकिन तो भी आप को यह व्यवस्था तो करनी ही चाहिये जो दूसरों का पेट भरने वाला है वह स्वयं नंगा और भूखा न रहे ।

तो भाई झूलन सिंह जी ने इस बिल को इस सदन के सामने ला कर सदन का ध्यान इस प्रश्न की ओर आकर्षित किया है उस के लिये मैं पुनः उन को धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि शासन इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगा और जल्द से जल्द कोई ऐसा कदम उठायेगा ताकि किसान जो आज मायूस हो रहा है वह आस्वस्थ हो जाय ।

इस प्रश्न पर विचार करते समय मैं एक चीज और महसूस करता हूं । आज किसान में यह प्रवृत्ति हो रही है कि क्यों न अपनी जमीन में तम्बाकू पैदा की जाय, या क्यों न अरंडी या गन्ना पैदा किया जाय क्योंकि इन में ज्यादा मुनाफा होता है । मैंने देखा है कि लोग गन्ने की खेती की तरफ ज्यादा जाते हैं क्योंकि उस में काफी मुनाफा है । लेकिन मैं तो यह देख कर आज दुखी होता हूं । आज लाखों एकड़ जमीन गन्ने की तरफ डाइवर्ट की जा रही है क्योंकि गन्ने में मुनाफा ज्यादा है और उस की तुलना में गेहूं और धान की तरफ कम ध्यान है । अगर देश में असंतुलित ढंग से खेती की जायेगी तो उस का परिणाम देश के लिये हितकर नहीं होगा । अगर हम गेहूं, चना, ज्वार और धान आदि अन्न की पैदावार के लिये किसान को अधिक पैसा देने की व्यवस्था नहीं करेंगे तो वे कैश क्राप्स को ज्यादा पदा करेंगे और उस का नतीजा होगा कि विदेशों को हम को गल्ला मंगाने के लिये ज्यादा रुपया देना पड़ेगा । इन सब दृष्टियों से विचार करने पर यह जरूरी मालम होता है कि वर्ष के प्रारम्भ में ही किसान की पैदावार का उचित मूल्य शासन की ओर से निर्धारित कर दिया जाय तो किसान आस्वस्थ रहे कि जो चीज वह उगायगा उस का उस को इतना मुनाफा मिलेगा । अगर ऐसी व्यवस्था हो जायेगी तो वह गल्ला पदा करने की ओर आकर्षित होगा ।

राजा महेन्द्र प्रताप (मथुरा) : सभापति महोदय, मेरे कुछ विचार जरा अलग अलग हैं । यह म शुरू में निवेदन कर दूं । मुझे यह बड़ा बुरा लगता है और मैं चार साल से यह देख रहा हूं कि हम लोग जो बिल पेश करते हैं तो उस पर यूंही कागजी कार्रवाई हो जाती है । और वह मंजूर तो होती हो नहीं । तो यह बड़े दुःख की बात है । मैं यह चाहता हूं कि हमारे वजीर साहिबान यह न समझें कि हम उन के कुछ मुखालिफ हैं और हम जो कुछ कहते हैं वह उन को नुकसान पहुंचाने के लिये होता है । ऐसी कोई बात नहीं है । हम तो चाहते हैं कि आपकी कुछ मदद करें, आप की कुछ सेवा करें ।

एक और अर्ज मैं कर दूं । यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है परन्तु इस के सोचने का जो ढंग हैं वह मेरे खयाल में जरा गलत है । आप इस बात को इस तरह समझें कि जो आदमी जिस समाज में पैदा होता है वह उसी के मुताबिक चलता है जैसे कि अगर कोई हिन्दू घर में बड़ा हुआ है तो वह मन्दिर में जा कर पूजा करता है, अगर कोई मुसलमान घर में बड़ा हुआ है तो वह मस्जिद में जा कर नमाज पढ़ेगा । यह हकीकत है । तो हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं उन्हों ने एक खास तरीके की तालीम पाई है, उसी के बमूजिब वह काम करते हैं और उसी के बमूजिब सरकार को भी चलाते हैं । यह समझ लेने की बात है कि यह बिलकुल दो तरीके हैं अलग अलग । एक तो यह कि सब के ऊपर इंतजाम हमारा हो और सब चीजें हम खरीद लें और बेचें । हम इंतजाम करें । तमाम मखलूक का हम ही इंतजाम करें और यह समझें कि वे जितने आदमी हैं भेड़ हैं और हम उन का ठीक से इंतजाम करने वाले हैं और ठीक रास्ता दिखलाने वाले हैं । दूसरा तरीका यह है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा आजादी दें और उन को इस काबिल बनायें कि वह खुद ही अपने पैरों पर खड़े हों और वह अपना प्रबन्ध स्वयं आप करें ।

अब वैसे सुनने में तो यह बात बड़ी अच्छी लगती है कि हम कीमतें मुकर्रर करें कि जो हमारे किसान हैं बड़े खुश रहेंगे क्योंकि हमने गल्ले की कीमतें मुकर्रर कर दी हैं । एक भाई ने बतलाया है कि गन्ने की जब कीमत मुकर्रर है, कपड़े की कीमत मुकर्रर है तो गेहूं और चावल की कीमत क्यों नहीं मुकर्रर की जा सकती है ? लेकिन इसके सम्बन्ध में देखने की बात यह है कि गल्ले की कीमत बहुत सी बातों पर निर्भर है । यदि बारिश ज्यादा हो गई या कहत पड़ गया तो उसके बमुजिब कीमत कम और ज्यादा हो जाती है और इसलिए भी कीमत कम या ज्यादा हो सकती है कहीं से आपने माल ज्यादा मंगा लिया तो उसका भाव सस्ता हो गया । इसलिए यह कहना कि इस प्रकार हम गल्ले की कीमत मुकर्रर कर देंगे और उससे किसानों को फायदा होगा मेरी समझ में ठीक नहीं लगता । अलबत्ता अगर हम यहां यह कह कर केवल किसानों को खुश करना चाहते हैं तो वह दूसरी बात है । मैं तो कहूंगा कि साहब हमको समाज को इस तरीके से बनाना है कि वह सुखी समाज बन जाय और सुखी समाज तब बनेगा जब कि गांवों में सच्चे मानों में उन का स्वराज्य होगा । हम लोग जो ऊपर से काम कर रहे हैं हम उनको ऊपर से काम नहीं करने देते हैं । यह तजुर्बे की बात है कि हमारे कलक्टर्स, कप्तान और जो बड़े अफसर हैं वे अफसरियत का ख्याल करते हैं और वह इस बात का ख्याल नहीं करते कि यह जो लोग नीचे पड़े हैं उनको उठाना है और उनको उनके पैरों पर खड़ा करना है । उनको ठीक रास्ता दिखलाना है । मेरा तो अपना यह ख्याल है कि हमारी सरकार बजाय यह कहने के कि हम ऐसा इंतजाम करेंगे और वैसा इंतजाम करेंगे, वह उन लोगों को अपने घरों का इंतजाम करना सिखाये और अगर सरकार ऐसा करे तो मेरी समझ में यह ज्यादा अच्छा होगा ।

मेरा यह ख्याल है और मैं ने सुना है कि शायद महात्मा गांधी जी ने भी यह कहा है कि हर एक गांव को इस तरीके से मुनज्जम किया जाय कि वह लोग अपनी चीज़ें आप बनायें और वह अपने घर में खुदमुख्तार हो जायें । यह बड़ी सहल सी बात है क्योंकि हम जानते हैं कि गांवों में किन किन चीजों की जरूरत होती है । अब गांव वालों ने गल्ला तो पैदा कर लिया है मगर कपड़े की जरूरत है, मसलन् बढ़ई की जरूरत है लुहार की जरूरत है और कुछ और सामान की जरूरत होती है और हमें ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए कि उनकी जरूरत की चीज़ें उनको वहां वहीं मुहैय्या हो जायं । मुझे ठीक तो नहीं मालूम लेकिन शायद महात्मा गांधी जी ने भी यही कहा था कि गांवों का इस तरीके से प्रबन्ध किया जाय कि गांव वालों को उनकी जरूरत की चीज़ें वहीं मिल जायें । सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें रह जाती हैं जैसे कि लोहा है या रेडियो है, कुछ ऐसे बड़े बड़े सामान हैं जो कि गांवों में पैदा नहीं किये जा सकते उनके लिए बेशक बड़े बड़े कारखाने कायम किये जायं और उन कारखानों से वहां पर माल पहुंचाया जाय । इस तरीके से अगर इंतजाम किया जाय तो मेरा अपना यह ख्याल है कि लोगों को ज्यादा आसूदगी मिलेगी ।

अब मेरे भाई अक्सर मुझ से नाराज हो जाते हैं जब मैं कुछ जातिपांति की बात करता हूं । लेकिन किया भी क्या जाय ? हमारी सभ्यता में जातिपांत मौजूद है और उसको देखना चाहिए । सिर्फ यह कह देने से कि जातिपांत नहीं होनी चाहिए, जातिपांत मिटती नहीं है । मेरा कहना यह है कि आपको और हमको यह देखना चाहिए कि शहरों में ज्यादातार ब्राह्मण, बनिए, कायस्थ और खत्री मिलगे और गांवों में ज्यादातर राजपूत, जाट, गूजर, चमार और अहीर मिलेंगे । मेरा कहना यह है कि शहरों का इंतजाम वह करेंजो कि बड़े बड़े दिमाग वाले हैं, लाला लोग और होशियार लोग हैं यह बड़े बड़े लोग शहरों का इंतजाम करें और गांवों की इंतजाम उनको करने दें जो कि वहां पर बसते हैं जैसे कि राजपूत हैं, गूजर हैं और जाट वगैरह हैं । गांवों की सरकार फिर जिले में हों और गांव वालों का जो जिले का इंतजाम है वहां से प्रान्तीय सरकारों में उनके प्रतिनिधि जायं ।

इसी प्रकार नगर के प्रतिनिधि प्रांतीय सरकार में जायें। इसमें यह लाभ होगा कि वहां पर सब लोगों के प्रतिनिधि पहुंच जायेंगे जो कि आज की मौजूदा हालत में नहीं हो पा रहा है। वैसे कहने को तो रोज यह कह दिया जाता है कि साहब हम गांव वालों की सरकार बनाते हैं मगर होता तो यह है कि कुछ अकलमंद और होशियार लोग ही सरकार में पहुंचते हैं और वे चंद लोग ही जिस तरीके से चाहते हैं बाकी तमाम लोगों को चलाते हैं और अपने फायदे के लिए रास्ता दिखलाते हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यह है कि हमारी सरकार को ज्यादा हस्तक्षेप न करते हुए, लोगों पर ज्यादा हुकूमत ना करते हुए, उनको इस काबिल बनाये कि वह हुकूमत अपने आप करें।

इसके साथ ही साथ मैं यह जरूर कह दूं कि यह एक बड़े दुःख की बात है कि हम देख रहे हैं कि गांवों से लोग शहरों में काफी तादाद में जा रहे हैं। अब यह सोचनें की बात है कि वे गांवों को छोड़ कर शहरों की ओर क्यों जा रहे हैं? वह केवल इसलिए जा रहे हैं कि गांवों में उनको न तो वह चीजें मिलती हैं जो कि उनको शहरों में मिलती हैं और दूसरे गांवों में जमीनें भी बहुत थोड़ी हैं। मेरे बहुत से गांव वाले मित्र कहते हैं कि साहब हम क्या करें? हमारा इन थोड़ी सी जमीनों पर गुजारा नहीं चलता है। अब यह बात देखने की है कि क्यों उनका गुजारा नहीं होता है?

मैं अभी फारमूसा गया था और मुझे वहां पर एक किसान को दिखलाया गया जिसको कि देख कर मुझे बहुत हैरत हुई। अब मैं यह नहीं कह सकता कि वह असल चीज और हकीकत थी या झूठ थी। यह भी हो सकता है कि उन्होंने मुझे कुछ झूठ दिखला दिया हो और वह दरअसल में हकीकत न हो। बहरहाल मैं ने एक किसान के घर को देखा जिसके कि पास सिर्फ ३ एकड़ जमीन थी लेकिन उसका पक्का मकान बना हुआ था और उसमें रेडियो भी लगा हुआ था और बाकायदा पलंग बिछे हुए थे। मुझे यह देख कर हैरत हुई कि यह इतनी थोड़ी सी जमीन में किस तरीके से इतने अच्छे प्रकार के जीवन व्यतीत कर सकता है। उन्होंने मुझे बतलाया कि एक कारण तो खुदा की देन है और दूसरे हमारी जमीन अच्छी है और मौसम इतना अच्छा है कि एक जमीन पर तीन फसलें तो जरूर ही होती हैं और कभी कभी एक ही जमीन पर चार, चार फसलें भी हो जाती हैं। अब मैंने यहां अपने देश में कभी यह नहीं सुना कि एक जमीन में दो दफे चावल पैदा होता हो.....

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : काश्मीर में पैडी की डबल क्रौपिंग होती है।

राजा महेन्द्र प्रताप : माननीय सदस्य से मुझे यह सुन कर खुशी हुई। लेकिन चार फसलें तो हमारे यहां नहीं होती हैं। हमारे यहां चार फसलें तो कभी नहीं होती हैं लेकिन वहां पर चार फसलें होती हैं। वे वहां पर सुअर रखते हैं। वहां सुअरों से बड़ा लाभ पहुंचता है लेकिन हमारे रास्ते में यह धर्म वगैरह की बाधा बन कर आ जाती है जिसके कि कारण हम सुअर नहीं पाल सकते, मुर्ग नहीं पाल सकते और बहुत दफा बकरियां भी नहीं पालते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां पर खेती के अलावा और भी धंधे होते हैं मसलन् वहां रेशम पैदा करने का भी एक बहुत बड़ा धंधा है।

सभापति महोदय : अब माननीय सदस्य अपनी बात समाप्त करें।

राजा महेन्द्र प्रताप : शहद पैदा करने का भी एक बहुत अच्छा धंधा है जो कि गांवों में हो सकता है। हम अन्य धंधों को सुचारू रूप से करने के लिए किसानों को बतलायें और उनको सही रास्ता दिखलायें ताकि वह गांवों में आत्मनिर्भर बन सकें। बस मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कहना चाहता था।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : सभापति महोदय, हमारे भाई श्री झूलन सिंह ने जो बिल उपस्थित किया है उसके सिद्धान्त बहुत अच्छे हैं । लेकिन अगर अर्थ शास्त्र की दृष्टि से देखा जाय तो आपको पता लगेगा कि जो प्राइस अथवा मूल्य होता है उसका फिक्सेशन कैसे होता है । उसका फिक्सेशन जो होता है वह इस बात पर आधारित होता है कि कंजम्पशन और प्रोडक्शन में क्या अन्तर है । इसलिए जब कंजम्पशन और प्रोडक्शन में संतुलन होगा तभी इस प्राइस में भी संतुलन हो सकता है अन्यथा प्राइस में भी संतुलन नहीं हो सकता है ।

दूसरी बात यह है कि अर्थ शास्त्र की मार्जिनल युटैलिटी का जो सिद्धान्त है उसको हमें अपने सामने रख कर इस बिल के ऊपर विचार करना चाहिए .....

सभापति महोदय : सदस्य अपना भाषण अगले दिन, जब इस विधेयक पर अग्रेतर विचार होगा, जारी रख सकते हैं ।

इस के पश्चात् लोक सभा शनिवार १९ अगस्त, १९६१/२८ श्रावण, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

दैनिक संक्षेपिका

शुक्रवार, १८ अगस्त, १९६१

२७ श्रावण, १८८३ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	१५३१—५४
	तारांकित प्रश्न संख्या	
६२७	बैंक निक्षेप बीमा योजना	१५३१–३२
६२८	पंजाब में इस्पात वेलन मिलें	१५३२–३३
६२९	खेतरी तांबा परियोजना	१५३३–३४
६३०	युद्ध के खतरे के लिए जहाजों का बीमा . . .	१५३४–३५
६३१	करारोपण मंत्रणा समिति . . .	१५३५—३८
६३२	दिल्ली में विज्ञान संग्रहालय . . .	१५३८–३९
६३३	रेणुका राय समिति की रिपोर्ट . . .	१५४०–४१
६३४	गैर-सरकारी क्षेत्र में तेल उद्योग का विस्तार .	१५४१—४३
६३५	शक्ति और संसाधनों का विकेन्द्रीकरण . .	१५४३—४५
६३६	कोयला धोने के कारखानों से प्राप्त मध्यम कोटि का कोयला	१५४५—४७
६३७	इस्पात कारखानों में कर्म समितियां . .	१५४७–४८
६३८	खम्भात का अशोधित तेल . . .	१५४८—५०
६३९	कच्छ में तेल की खोज . . .	१५५०
६४०	भारतीय विमान बल के डकोटा के साथ दुर्घटना . .	१५५०–५१
६४१	पाकिस्तान द्वारा आकाश सीमा का अतिक्रमण . .	१५५२—५४
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	१५५४—१६३४
	तारांकित प्रश्न संख्या	
६४२	आयुध कारखानों में इस्पात का उत्पादन . .	१५५४
६४३	पूर्व-प्राथमिक शिक्षा . .	१५५४
६४४	अशोधित तेल को साफ करने की लागत . . .	१५५५
६४५	आकाश सीमा का अतिक्रमण . . .	१५५५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः		
तारांकित प्रश्न संख्या		
६४६	बैंकों को मंजूर किया गया शोध-विलम्ब-काल	१५५५–५६
६४७	दिल्ली विश्वविद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्षों का प्रशिक्षण	१५५६
६४८	प्राथमिक स्कूलों के लिए पुस्तकें	१५५६
६४९	वनस्पति शास्त्र-विशेषज्ञों का रूसी शिष्टमंडल	१५५७
६५०	नौसेना का लापता विमान	१५५७–५८
६५१	सांस्कृतिक संगठनों को अनुदान	१५५८
६५२	नोट छापने वाला मुद्रणालय	१५५८
६५३	आई० एन० एस० "हमला"	१५५८–५९
६५४	लद्दाख के खनिज स्रोत	१५५९
६५५	भारत को अमरीका से सैनिक सहायता	१५५९
६५६	खर्च न किया गया जापानी ऋण	१५६०
६५७	सरकारी कर्मचारी और निर्वाचन के सिलसिले में की जाने वाली सभाएं	१५६०–६१
६५८	अफीम कारखाना, गाजीपुर	१५६१
६५९	नागा विद्रोही	१५६१
६६०	औषधीय जड़ी बूटी अनुसन्धान	१५६१–६२
६६१	विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा	१५६२
६६२	लौह अयस्क का चूरा	१५६२
६६३	जैसलमेर में तेल	१५६३
६६४	तेल की खोज करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी	१५६३
६६५	न्यायाधीशों का अखिल भारतीय तालिका	१५६४
६६६	सह-शिक्षा	१५६४
६६७	कोयला खानों के लिए जल संभरण योजनाएं	१५६४–६५
६६८	दुर्गापुर इस्पात कारखाने में हड़ताल	१५६५
६६९	सशस्त्र सेना मुख्यालयों का प्रतिरक्षा मंत्रालय के साथ मिलाया जाना	१५६५–६६
६७०	अन्नपूर्ण अभियान	१५६६
६७१	कोयला उपकर	१५६६–६७
६७२	औद्योगिक प्रबन्ध "पूल"	१५६७
६७३	भारत भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग	१५६७
६७४	बंगलौर का हवाई अड्डा	१५६७–६८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

६७५ उत्तर प्रदेश में तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम . १५६८
६७६ कोयला उद्योग का विकास १५६८–६९
६७७ खम्भात से बम्बई तक पाइप लाइन . . १५६९
६७८ गोंडल के भूतपूर्व नरेश . . . १५६९
६७९ तेल का शोधन . . १५७०
६८० ताज महल . १५७०

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१४४३ बीकानेर में पुरातत्वीय खुदाई . . . १५७०–७१
१४४४ कोयला धोने के कारखाने . . १५७१
१४४५ पाकिस्तान में भारतीय कम्पनियां . . . १५७१
१४४६ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सहायक आयुक्तों के क्षेत्रीय कार्यालय . . १५७१–७२
१४४७ बैंकों का वैज्ञानिक . . . १५६२
१४४८ बरौनी का तेल शोधक कारखाना . १५६२
१४४९ भारतीय आयुध कारखाने की पदाली . . १५७३
१४५० मध्य प्रदेश के लिए लोहा तथा इस्पात . . १५७३–७४
१४५१ मध्य प्रदेश में इस्पात बेलन कारखाना (रोलिंग मिल) . १५७४
१४५२ लक्कदीव तथा मिनिकाय द्वीप समूह का भूतत्वीय सर्वेक्षण १५७४
१४५३ आयकर का बकाया . . १५७४
१४५४ सामान का पकड़ा जाना १५७५
१४५५ गुजरात तथा बड़ौदा विश्वविद्यालयों में सांस्कृतिक समारोह . १५७५
१४५६ गुजरात में लड़कियों को शिक्षा १५७५–७६
१४५७ महाराष्ट्र में वैज्ञानिक अनुसंधान . . . १५७६
१४५८ केरल में खनिज निक्षेप १५७६–७७
१४५९ पंजाब और हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिये जल की सुविधायें . . . १५७७
१४६० पंजाब विश्वविद्यालय के लिये होस्टल . १५७७
१४६१ उड़ीसा के लिये कोयला १५७७–७८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१४६२	मैसूर में मद्यनिषेध	१५७८
१४६३	तांबे की खानें	१५७८
१४६४	पंजाब में राजनीतिक पीड़ितों के बच्चे	१५७८–७९
१४६५	तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क	१५७९
१४६६	रूरकेला नगर	१५७९
१४६७	पश्चिम बंगाल में पुरातत्वीय खुदाइयां	१५७९–८०
१४६८	लाल किला, दिल्ली, की मरम्मत	१५८०
१४६९	हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शिक्षा	१५८०–८१
१४७०	आयुध कारखाना, खमरिया	१५८१
१४७१	अन्तरिक्ष खोज कार्यक्रम	१५८१–८२
१४७२	इस्पात का उत्पादन	१५८२
१४७३	दिल्ली से विदेशियों की मूर्तियों को हटाना	१५८२–८३
१४७४	मंत्रियों को दिया गया यात्रा भत्ता	१५८३
१४७५	जनगणना	१५८३
१४७६	कोयला की उत्पादन लागत	१५८३–८४
१४७७	कैदियों के लिये मजूरी कमाने की योजना	१५८४
१४७८	बहादुरशाह की कृतियां	१५८४–८५
१४७९	निर्धन लोगों को विधि सम्बन्धी सहायता	१५८५
१४८०	भारतीय प्रशासन सेवा आदि परीक्षाओं के लिये मौखिक परीक्षा	१५८५
१४८१	दिल्ली में विस्फोट	१५८५–८६
१४८२	पंजाब विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक समारोह	१५८६
१४८३	मेक्सिको में कृषि विकास सम्बन्धी प्रतिवेदन	१५८६
१४८४	राष्ट्रीय युवक केन्द्र, नई दिल्ली	१५८७
१४८५	अल्प बचत कार्य	१५८७
१४८६	हलवाड़ा विमान दुर्घटना	१५८७
१४८७	हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम	१५८८
१४८८	सैनिक अफसर द्वारा आत्महत्या करने की चेष्टा	१५८८
१४८९	गोदावरी बेसिन में भूकम्पीय सर्वेक्षण	१५८९
१४९०	जिप्सम	१५८९

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या		
१४९१	पूर्वी अफरीका की चाय कम्पनियों में जीवन बीमा निगम द्वारा पूंजी लगाना	१५८९
१४९२	कोयले का निर्यात	१५९०
१४९३	विशेष आदिमजातीय खण्ड	१५९०
१४९४	हिमाचल प्रदेश का औद्योगिक सर्वेक्षण	१५९०–९१
१४९५	कार्यवाहक पदाधिकारी	१५९१
१४९६	राष्ट्रीय बचत केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड	१५९१–९२
१४९७	औषध तथा एंटीबायोटिक्स पर गोष्ठी	१५९२
१४९८	सशस्त्र सेना मुख्यालय में कर्मचारियों की अर्द्धस्थायी स्थिति	१५९२–९३
१४९९	सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालयों में पर्यवेक्षक अधिकारियों के वेतन क्रम	१५९३
१५००	सशस्त्र सेना के मुख्यालय में भर्ती	१५९३–९४
१५०१	१९६० की हड़ताल	१५९४
१५०२	सेना के सामान की स्थानीय खरीद	१५९४
१५०३	५०५ आर्मी बेस की कर्म समिति	१५९५
१५०४	राजनैतिक पीड़ित	१५९५
१५०५	लोक सहायक सेना	१५९५–९६
१५०६	विश्व बैंक का ऋण	१५९६
१५०७	पंजाब के लिए कोयला	१५९६
१५०८	सिविल अस्पताल, इम्फाल के निकट टैंक पर भवन निर्माण	१५९७
१५०९	इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजिकल कालिज, दुर्गापुर	१५९७
१५१०	उड़ीसा में खेल के मैदान	१५९७–९८
१५११	दिल्ली में मद्यनिषेध के अपराध	१५९८
१५१२	विमान के शस्त्रास्त्रों का उत्पादन	१५९८
१५१३	कोयला खनन	१५९८–९९
१५१४	आय कर कार्यालय, कलकत्ता, में कर्मचारी परिषद् (स्टाफ काउंसिल)	१५९९
१५१५	दिल्ली प्रशासन में सतर्कता विभाग	१५९९
१५१६	त्रिपुरा में अध्यापक	१५९९
१५१७	मनीपुर में अध्यापक	१६००
१५१८	दिल्ली प्रशासन	१६००
१५१९	त्रिपुरा में नये कालिज	१६००–०१

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१५२० सरकारी कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता . . . १६०१
१५२१ अंकलेश्वर का तेल १६०१
१५२२ त्रिपुरा में राजस्व तथा भूमि सुधार अधिनियम . १६०१–०२
१५२३ बिहार में टैक्नीकल शिक्षा . . . १६०२–०३
१५२४ पिछड़े वर्गों का अखिल भारतीय सम्मेलन . . १६०३
१५२५ धोखा धड़ी के मामले . १६०३–०४
१५२६ कन्नूर छावनी . . . १६०४
१५२७ मनीपुर में बहुप्रयोजनीय स्कूल . . १६०४
१५२८ तासेंग लांग की रानी गिडल्लो . १६०४–०५
१५२९ मनीपुर में नागा १६०५
१५३० असैनिक लेखाओं सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन १६०५
१५३१ दिल्ली में अपहरण के मामले . १६०६
१५३२ पंजाब की शिक्षा संस्थाओं को अनुदान . . १६०६
१५३३ राष्ट्रमंडलीय देशों में तेल . १६०६–०७
१५३४ शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी गोष्ठियां . . १६०७
१५३५ नियमों का हिन्दी में अनुवाद . १६०७
१५३६ मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट . . . १६०७–०८
१५३७ माध्यमिक स्कूलों के पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की सूची १६०८
१५३८ हिन्दी में गोष्ठियां . . . १६०८
१५३९ 'ऑल मैन आर ब्रदर्स' १६०८–०९
१५४० महात्मा गांधी की शिक्षायें १६०९
१५४१ छात्रावास . . . १६०९
१५४२ अलीपुर की टक्साल के कामगर १६०९–१०
१५४३ भारत में प्रविधिक शिक्षा की सुविधायें . . १६१०
१५४४ खनन प्रमाणपत्र १६१०
१५४५ कोयला खनन के लिये पोलैण्ड का सहयोग . . १६१०–११
१५४६ आसाम में तेल-कूप १६११
१५४७ 'राजतरंगनी' और अन्य पुस्तकों की पांडुलिपियां . . १६११
१५४८ पंजाब में खेल-कूद . . . १६१२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१५४९ वीसा १६१२
१५५० मोटर स्पिरिट आदि की आवश्यकता . १६१२–१३
१५५१ पंजाब में आदिमजातीय क्षेत्र १६१३
१५५२ अवैध रूप से हथियार बनाने वाले कारखाने . १६१३
१५५३ निवृत्ति वेतन के मामले . . १६१३
१५५४ क्षमादान और दण्ड परिहार १६१४
१५५५ राज्यों में विदेशियों द्वारा खरीदी गयी सम्पत्ति . . १६१४
१५५६ पंजाब में नगरपालिका के मेहतर . १६१४
१५५७ केन्द्रीय करों में कमी १६१५
१५५८ पंजाब में राजस्व की वसूली १६१५
१५५९ पंजाब को कच्चे लोहे का संभरण . १६१५
१५६० पंजाब के लिये लोहे की चादरें १६१५–१६
१५६१ पंजाब में शिशु कल्याण कार्यक्रम . . . १६१६
१५६२ इस्पात का मूल्य . . . १६१६
१५६३ भुवनेश्वर के समीप छावनी . . . १६१६–१७
१५६४ कमलपुर गांव (मैसूर) में संग्रहालय . . . १६१७
१५६५ दिल्ली में किराया न्यायाधिकरण . . . १६१७–१८
१५६६ भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में जम्मू तथा काश्मीर के अधिकारी . . . १६१८–१९
१५६७ जम्मू तथा काश्मीर को केन्द्रीय सहायता . . १६१९
१५६८ अफीम की दरें १६२०
१५६९ केरल के लिए लोहा और इस्पात . १६२०–२१
१५७० लाहौल तथा स्पीती में बहु प्रयोजन खण्ड . . . १६२१
१५७१ उड़ीसा में गटीश्वर मंदिर १६२१
१५७२ अस्थायी पदों को स्थायी बनाना . . १६२१–२२
१५७३ तिब्बती शरणार्थी १६२२
१५७४ कैमीकल इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स . . . १६२२–२३
१५७५ छावनी बोर्ड १६२३
१५७६ नाम-पट्टे १६२३–२४
१५७७ पालम पर अनधिकृत रूप से फोटो खींचना . . १६२४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१५७८	जनगणना करने वाले कर्मचारी	१६२४
१५७९	रूरकेला इस्पात संयंत्र	१६२५
१५८०	फारस की खाड़ी का तेल	१६२५
१५८१	गांधीनगर क्षेत्र (गुजरात) में कोयला	१६२५–२६
१५८२	आन्ध्र प्रदेश के उद्योगों के लिये कोयला	१६२६
१५८३	भारतीय खान एवं व्यावहारिक भूतत्व विज्ञान विद्यालय, धनबाद	१६२६–२७
१५८४	मैसूर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिए मकानों के लिए ऋण	१६२७
१५८५	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए मकान	१६२७–२८
१५८६	केरल में ग्राम्य संस्था	१६२८
१५८७	कालेजों के लिये इमारत अनुदान	१६२८
१५८८	नये विश्वविद्यालय	१६२९
१५८९	बाढ़ बीमा योजना	१६२९
१५९०	भारत के रक्षित बैंक के कर्मचारी	१६२९–३०
१५९१	खान और तेल मन्त्री का जम्मू तथा काश्मीर राज्य का दौरा	१६३०
१५९२	सेना इंजीनियरों की कमी	१६३०
१५९३	सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान	१६३०
१५९४	राजस्थान में पुरातत्वीय सर्वेक्षण	१६३१
१५९५	राजस्थान में अस्पृश्यता	१६३१–३२
१५९६	राजस्थान में तम्बाकू और पोस्त उत्पादन शुल्क	१६३२
१५९७	राजस्थान में विद्यार्थियों के पर्यटन के लिये सहायता	१६३२
१५९८	राजस्थान में शिक्षा विकास योजनाएं	१६३२–३३
१५९९	राजस्थान में शिक्षा संस्थाओं को अनुदान	१६३३
१६००	राजस्थान में भंगियों के लिये मकान	१६३३
१६०१	जुलाई १९६० की हड़ताल के परिणामस्वरूप मन्त्रालयों को नुकसान	१६३३–३४
१६०२	मन्त्रालयों द्वारा बचत	१६३४
सभा पटल पर रखे गये पत्र		१६३४—३६

(१) कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, १९५२ की धारा १२ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत कोयला बोर्ड के वर्ष

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—क्रमशः

१९५९–६० के लेखे के बारे में भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(२) दूसरी लोक-सभा के तेरहवें अधिवेशन, १९६१ में मन्त्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाला एक अनुपूरक विवरण संख्या ४ ।

(३) कापीराइट अधिनियम, १९५७ की धारा ४३ के अन्तर्गत दिनांक १ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १५५५ में प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट (प्रथम संशोधन) आदेश, १९५८ की एक प्रति ।

(४) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उपधारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ।

(क) दिनांक १५ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ९०४ ।

(ख) दिनांक १५ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ९०६ ।

(५) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उपधारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक २२ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९४९ की एक प्रति जिस में दिनांक १ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८३७ का का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

(६) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १५ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ९०० ।

(ख) दिनांक १५ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ९०१ ।

(ग) दिनांक १५ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ९०२ ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—क्रमशः

(घ) दिनांक २२ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ९४५ ।

(ङ) दिनांक २२ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ९४६ ।

(७) विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, १९४७ की धारा २७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा विनियम नियम, १९५२ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १५ जुलाई, १९६१ को जी० एस० आर० संख्या ८९७ ।

(ख) दिनांक २९ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ९७२ ।

राज्य सभा से सन्देश १६३६

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना दी :—

(एक) कि राज्य सभा १४ अगस्त, १९६१ की अपनी बैठक में लोक-सभा द्वारा २ मई, १९६१ को पास किये गये भारी बंडलों पर निशान लगाना (संशोधन) विधेयक, १९६१ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(दो) कि राज्य सभा १६ अगस्त, १९६१ की अपनी बैठक में लोक-सभा द्वारा २ मई, १९६१ को पास किये गये दिल्ली (शहरी क्षेत्र) किरायेदार सहायता विधेयक, १९६१ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(तीन) कि राज्य सभा को लोक-सभा द्वारा १० अगस्त, १९६१ को पास किये गये नमक उपकर (संशोधन) विधेयक, १९६१ के बारे में राज्य सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(चार) कि राज्य सभा ने १४ अगस्त, १९६१ की अपनी बैठक में भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) संशोधन विधेयक, १९६१ को पास कर दिया है ।

(पांच) कि राज्य सभा ने १४ अगस्त, १९६१ की अपनी बैठक में विदेशी पंचाट (मान्यता देना तथा लागू करना) विधेयक, १९६१ को पास कर दिया है ।

राज्य सभा द्वारा पारित किये गये विधेयक—सभा पटल पर रखे गये १६३६

(१) भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) संशोधन विधेयक ।

(२) विदेशी पंचाट (मान्यता देना और लाग करना) विधेयक ।

विषय पृष्ठ

विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन विचाराधीन . . . १६३९–४१

सरदार हुक्म सिंह ने प्रस्ताव किया कि विशेषाधिकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् सरदार हुक्म सिंह ने प्रस्ताव किया कि बम्बई के ब्लिट्ज के सम्पादक श्री आर. के. करांजिया, इस प्रस्ताव के स्वीकार होने के एक सप्ताह के अन्दर इस सभा में उपस्थित हों। इस प्रस्ताव पर श्री नौशीर भरूचा ने एक संशोधन रखा कि श्री राघवन को सभा में उपस्थित होने के लिये बुलाया जाय। प्रस्ताव तथा संशोधन पर चर्चा अगले दिन तक के लिये स्थगित कर दी गई।

विधेयक संयुक्त समिति को सौंपा गया १६४२–४३

१७ अगस्त, १९६१ को प्रत्यय विधेयक पर विचार किये जाने के प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही। विधि मन्त्री (श्री अ० कु० सेन) ने विधेयक को एक समिति को सौंपने का संशोधन रखा। संशोधन स्वीकृत हुआ।

विधेयक विचाराधीन १६४३–५०

वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) ने प्रस्ताव किया कि आयकर विधेयक पर प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाय। विधेयक पर विचार को स्थगित करने सम्बन्धी एक संशोधन को अनियमित ठहराया गया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत १६५०

छियास्सीवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरःस्थापित १६५०–५१

(१) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (श्री माहन्ती का)।

(२) लोक प्रतिनिधित्व (अनर्हता निवारण) विधेयक (श्री खुशवक्त राय का)।

(३) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) (श्री नरसिंहन का)।

गैर सरकारी सदस्य का विधेयक––परिचालन सम्बन्धी संशोधन स्वीकृत १६५१–५३

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् ने ५ मई, १९६१ को प्रस्तुत किये संविधान (संशोधन) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर अपना भाषण समाप्त किया। श्री मुरारका ने विधेयक पर राय जानने के लिये उसे ३१ अक्तूबर, १९६१ तक परिचालित करने के लिए एक संशोधन रखा। संशोधन स्वीकृत हुआ।

विषय पृष्ठ

गैर सरकारी सदस्य का विधेयक वाद विवाद स्थगित हुआ . . १६५३–५५

सरदार अमर सिंह सहगल ने प्रस्ताव किया कि सिख गुरुद्वारा विधेयक, १९५८ को एक संयुक्त समिति को सौंपा जाय। डा० राम सुभग सिंह ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पर वाद विवाद अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

गैर सरकारी सदस्य का विधेयक विचाराधीन . . . १६५५–६८

श्री झूलन सिंह ने प्रस्ताव किया कि खाद्यान्न के मूल्य निर्धारण विधेयक पर विचार किया जाय। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

शनिवार, १९ अगस्त, १९६१/२८ श्रावण, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि

सरदार हुक्म सिंह द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन के बारे में अग्रेतर चर्चा, आय कर विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में अग्रेतर चर्चा तथा अणुशक्ति विभाग के प्रतिवेदन के बारे में चर्चा।

GIPND—LS III—1104(Ai)LSD—16-9-61—125